मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

शासकीय प्राथमिक शाला उमरिया

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
	भाग-एक	
1.1	विभागीय संरचना एवं विभागीय संगठन	03
1.2	अधीनस्थ कार्यालय	10
1.3	स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व	18
1.4	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	20
	भाग-दो	
2.1	बजट विहंगावलोकन	34
2.2	योजनावार बजटीय विवरण	37
	भाग-तीन	
3.1	राज्य योजनाएं	48
3.2	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	66
3.3	अन्य योजनाएं/गतिविधियाँ	97
	भाग-चार	
4	सामान्य प्रशासनिक विषय	120
	भाग-पांच	
5	अभिनव योजना/पहल	124
	भाग-छः	
6	प्रकाशन	132

भाग - एक

1.1 विभागीय संरचना एवं विभागीय संगठन

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

1.3 विभाग के दायित्व

1.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.1 विभागीय संरचना

1.1.1. विभागीय संरचना

विभागीय संरचना निम्नानुसार है:-

मध्यप्रदेश शासन	
विभाग का नाम - स्कूल शिक्षा विभाग	
मंत्री	डॉ. प्रभुराम चौधरी
सचिवालय	
प्रमुख सचिव	श्रीमती रश्मि अरुण शमी
उप सचिव	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव
उप सचिव	श्री सुधीर कोचर
उप सचिव (पदेन)	श्री के.के. द्विवेदी
उप सचिव (पदेन)	श्री प्रमोद सिंह
अवर सचिव	श्री राजेन्द्र डेकाटे
	श्रीमती कलावती उईके
वित्त	
वित्तीय सलाहकार	डॉ. राजीव सक्सेना

1.1.2 विभागीय प्रमुख

विभागीय प्रमुख निम्नानुसार है:-

आयुक्त, लोक शिक्षण	श्रीमती जयश्री कियावत
प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम	श्री राजेश जैन
संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्रीमती आईरीन सिंथिया जे.पी.
संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्रीमती आईरीन सिंथिया जे.पी.
सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल	श्री अनिल सुचारी
संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड	श्री प्रभातराज तिवारी
निदेशक, महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान	श्री प्रभातराज तिवारी
सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड बोर्ड	श्री सैयद सरवर हुसैन रिज़वी
राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाईड	श्री आर.के. त्रिवेदी
अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय	मेजर जनरल संजय शर्मा

1.1.3 विभागीय संस्थाओं / विभागीय प्रमुख एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी

1.1.3.1 लोक शिक्षण संचालनालय

आयुक्त, लोक शिक्षण	श्रीमती जयश्री कियावत
अपर परियोजना संचालक (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) / संचालक (प्रशासन)	श्री गौतम सिंह
संचालक (प्रभारी)	श्री के.के. द्विवेदी
अपर संचालक	श्री डी.एस.कुशवाह
	सुश्री कामना आचार्य
संयुक्त संचालक	श्री संजय कुमार
	श्री प्रभातराज तिवारी
	श्री शीतांशु शुक्ला
	श्री सैयद सरवर हुसैन रिजवी

1.1.3.2 राज्य शिक्षा केन्द्र

संचालक	श्रीमती आईरीन सिंथिया जे.पी.
अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री सौरभ कुमार सुमन
अपर संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्री ओ.एल. मण्डलोई
नियंत्रक, वित्त	श्री पंकज मोहन
संयुक्त संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री रवीन्द्र सिंह
	श्री देवभूषण प्रसाद

1.1.3.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

अध्यक्ष	श्रीमती सलीना सिंह
सचिव	श्री अनिल सुचारी
अतिरिक्त सचिव	सुश्री शीला दाहिमा
उपसचिव	श्री प्रकाश सिंह चौहान
परीक्षा नियंत्रक	श्री बलवंत वर्मा
अपर संचालक वित्त	श्री गोपाल प्रसाद सिंह

1.1.3.4 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

अध्यक्ष (पदेन)	डॉ.प्रभुराम चौधरी माननीय मंत्री,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
संचालक	श्री प्रभात राज तिवारी
उपसंचालक	डॉ.संजय पटवा

1.1.3.5 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश

चेयरमेन	श्रीमती रश्मि अरूण शमी प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
निदेशक	श्री प्रभातराज तिवारी
उप निदेशक	श्री प्रशांत डोलस

1.1.3.6 म.प्र मदरसा बोर्ड

अध्यक्ष	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
सचिव	श्री सैयद सरवर हुसैन रिज़वी

1.1.3.7 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

अध्यक्ष	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
उपाध्यक्ष	–
प्रबंध संचालक	श्री राजेश जैन

1.1.3.8 भारत स्काउट एवं गाईड

अध्यक्ष	डॉ. अशोक अर्गल, महापौर, नगर निगम मुरैना
राज्य मुख्य आयुक्त	श्री पारसचन्द्र जैन
राज्य सचिव	श्री आर.के.त्रिवेदी

1.1.3.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय

अपर महानिदेशक (विभागाध्यक्ष)	मेजर जनरल संजय शर्मा
उप महानिदेशक	ब्रिगेडियर अवधेन्द्र प्रताप सिंह
संचालक	ग्रुप कैप्टन ए.के. उपाध्याय, वा.से.मे.
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)	कर्नल भूपल कुमार
अपर निदेशक (योजना एवं समंवय)	कर्नल के. सुरेश कुमार
अपर निदेशक (पर्स)	कर्नल वी.के. शर्मा
अपर निदेशक (प्रशासनिक)	मेजर राहुल राय
संयुक्त संचालक (राज्य कोष्ठ)	श्री गुलाबराव सूर्यवंशी

1.1.4 विभागीय संगठन

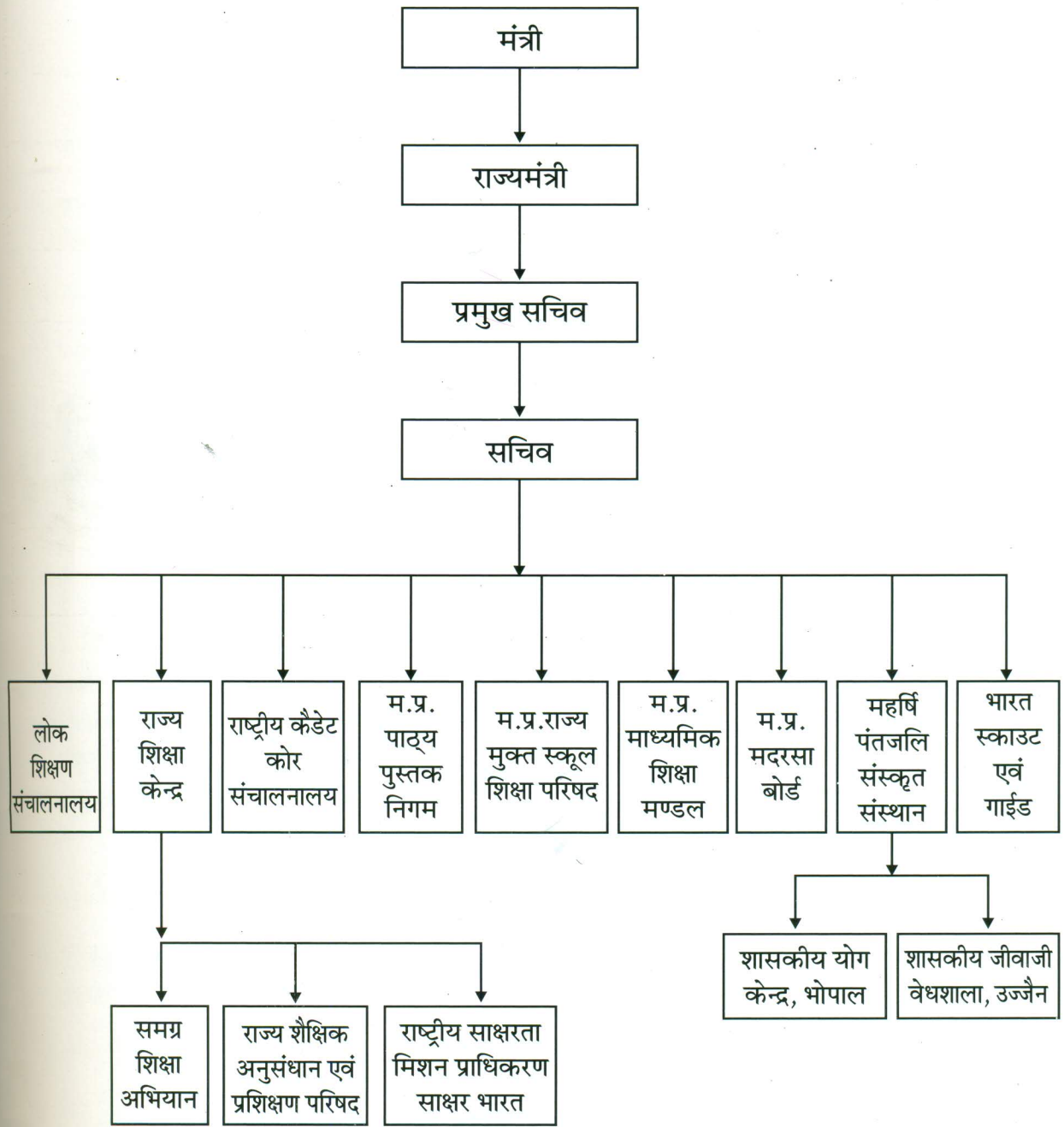

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

1.2.1 आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालय

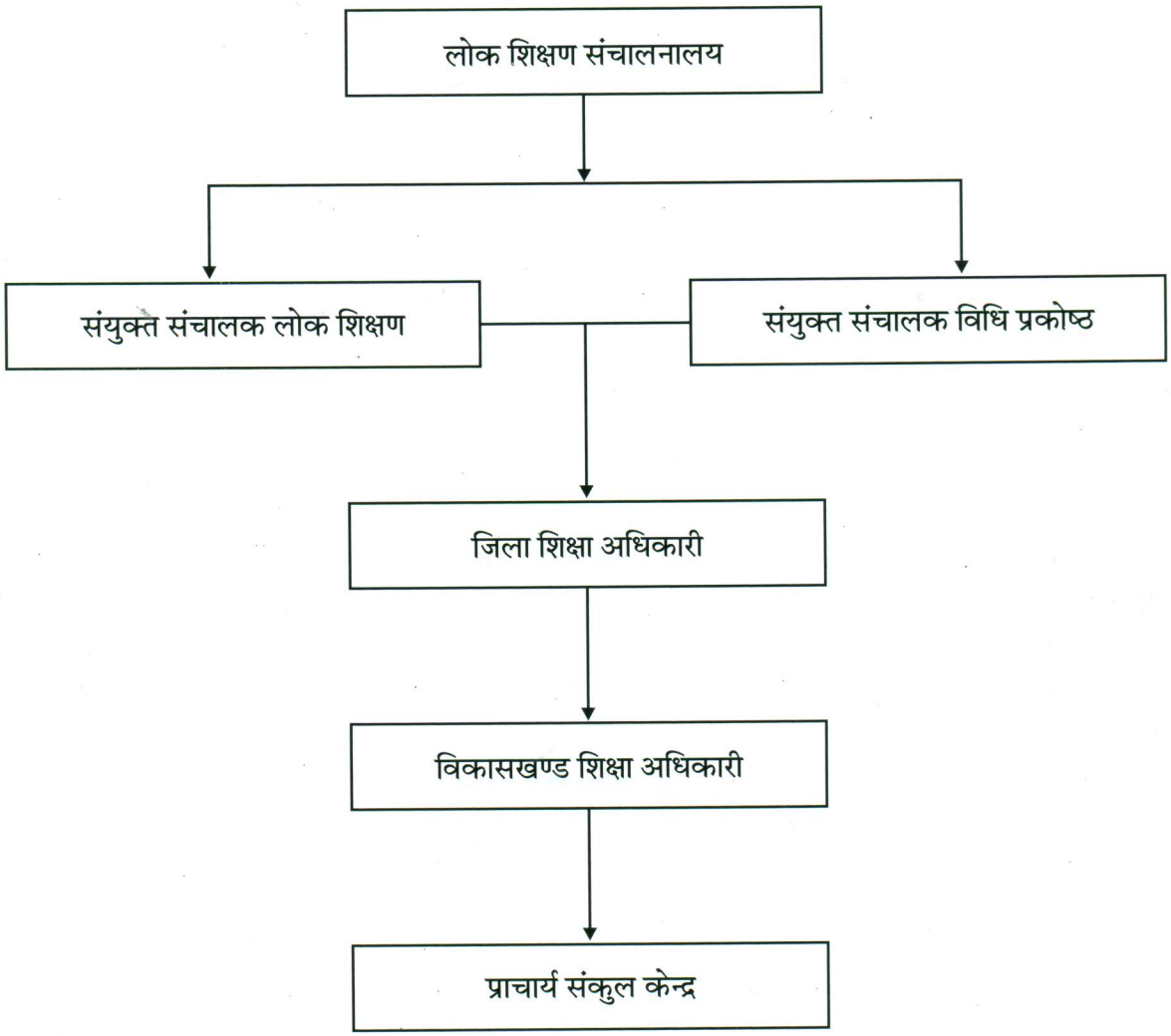

1.2.2 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीनस्थ कार्यालय

संचालक, राज्य शिक्षा केन्द

- म. प्र. समग्र शिक्षा अभियान मिशन
  - जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र (डीपीसी)
    - विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी)
      - जन शिक्षा केन्द्र (सीआरसी)
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
  - प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.)
  - राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (एस.आई.एस.ई.)
  - आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान (ई.एल.टी.आई.)
  - शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय
  - शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.)
  - पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान (पी.पी.टी.आई.)
  - शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (जी.ई.सी.)
  - जिला स्त्रोत केन्द्र (डी.आर.सी.)
  - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)
- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण

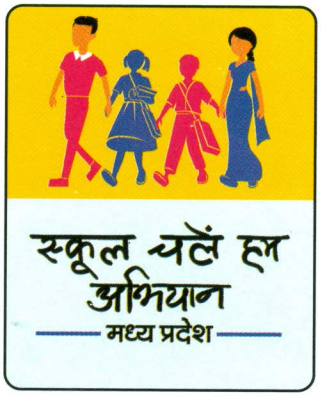

1.2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा अधिनियमित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है।

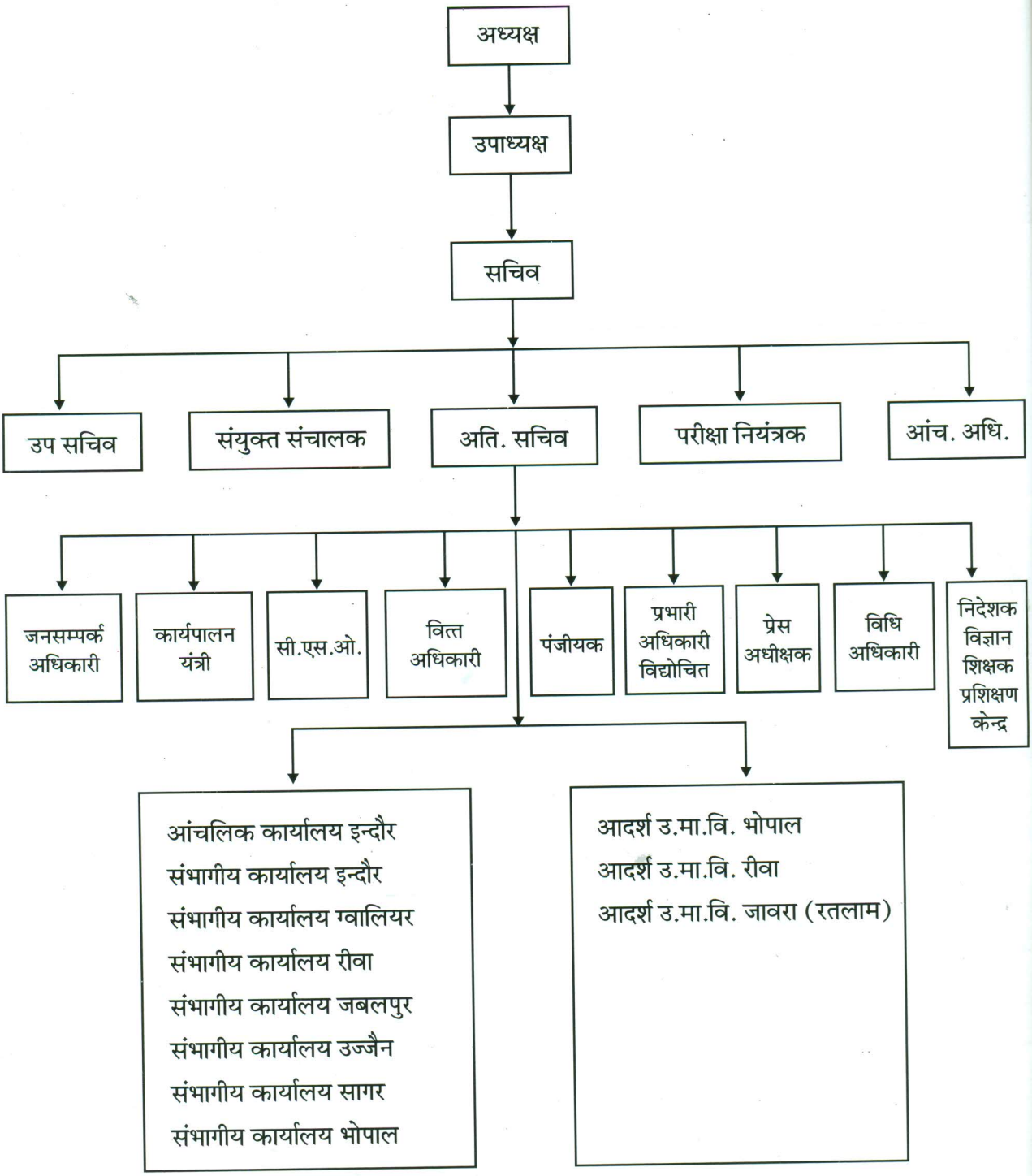

1.2.4 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

सन 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की तरह म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत, सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मंत्रि-परिषद् के संकल्प द्वारा वर्ष 1995 में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है।

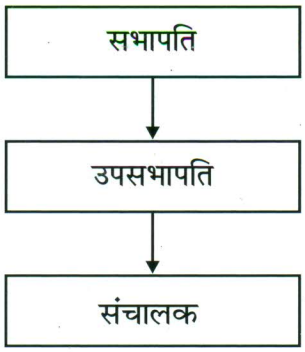

1.2.5 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, के आदेश क्रमांक एक 44-1/2007/20-3 द्वारा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम 2007 की धारा 3(1) के प्रावधान अनुसार महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान दिनांक 18.08.2008 से प्रभावशील हो गया है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान में जीवाजी वेधशाला उज्जैन एवं राज्य योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल को निहित किया गया है।

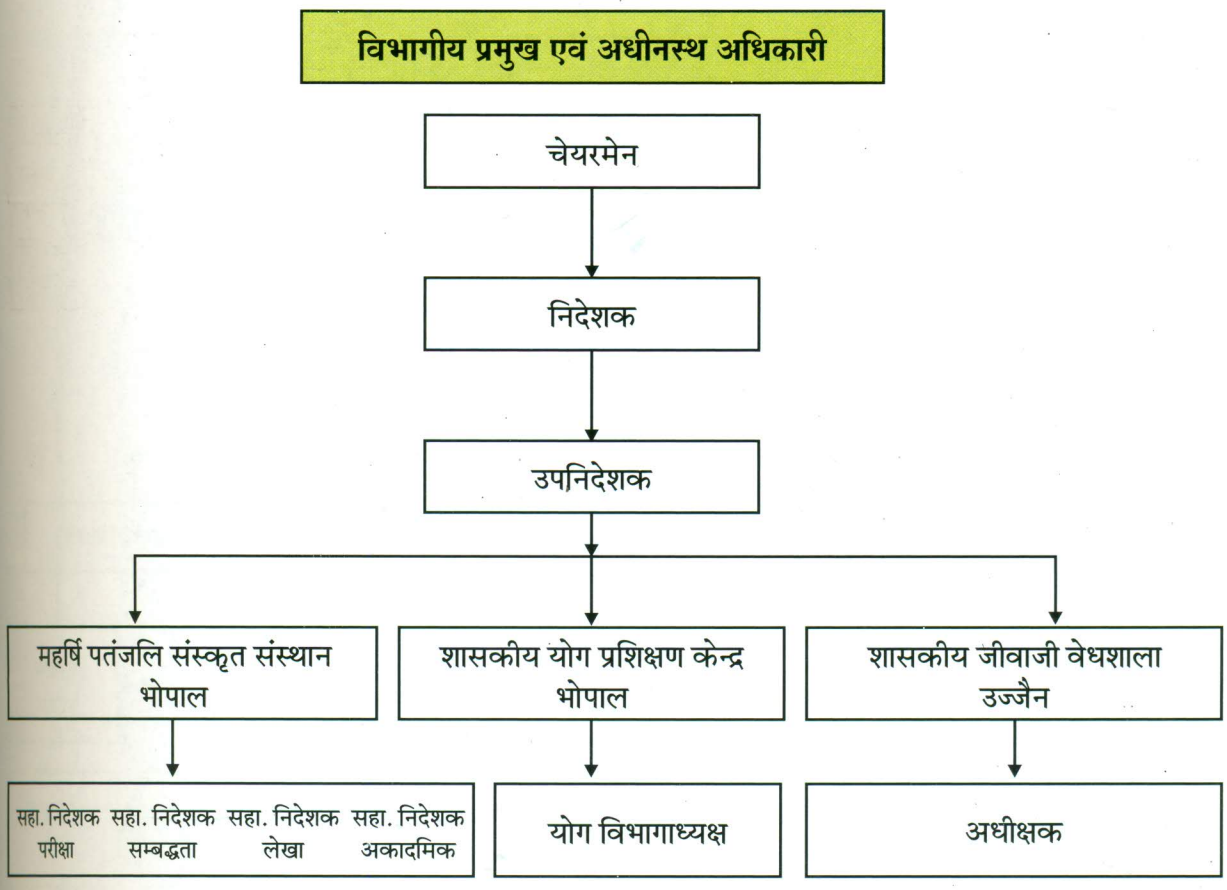

1.2.6 म.प्र. मदरसा बोर्ड

म.प्र. मदरसा बोर्ड का गठन म.प्र. विधान सभा द्वारा पारित म.प्र. मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 द्वारा 22 सितम्बर 1998 को किया गया है। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त सात सदस्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तथा शासन के विभिन्न विभागों के 12 सचिव एवं विभागाध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। बोर्ड के प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु शासन द्वारा मदरसा बोर्ड में सचिव की पद स्थापना की जाती है।

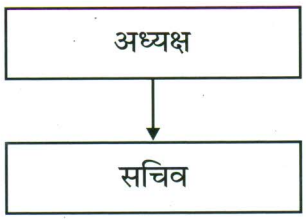

1.2.7 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959 के अन्तर्गत दिनांक 07.08.1968 को की गई। निगम का कार्य संचालन मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार होता है।

इसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के शालेय स्तर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें लागत मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

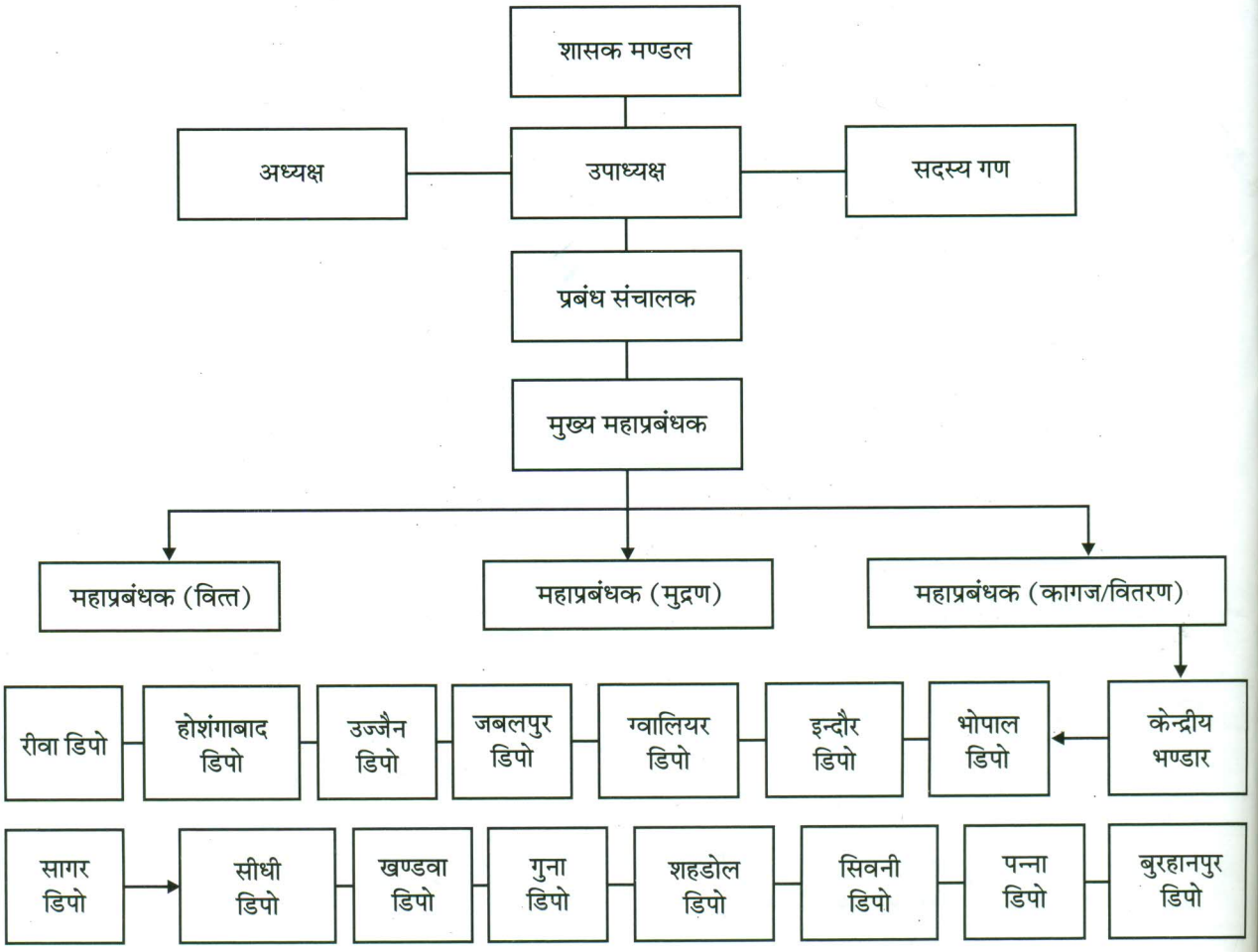

1.2.8 भारत स्काउट एवं गाईड

भारत स्काउट एवं गाइड आंदोलन का प्रांरभ में इसके मात्र 502 सदस्य थें, लेकिन आज लगभग 4.4 मिलियन है। जिसमें 2.5 मिलियन स्काउट एवं 1.5 मिलियर गाइड भारत में है एवं सम्पूर्ण विश्व में 40 मिलियन स्काउट-गाइड एवं कार्यकर्ता है, जो विश्व बंधुत्व और शांति का अलख जगा रहे है। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं विश्व में 161 देश इस आंदोलन के सदस्य है विश्व स्काउट संगठन का मुख्यालय स्विटजरलैण्ड में एवं विश्व गाइड संगठन का मुख्यालय लंदन में है।

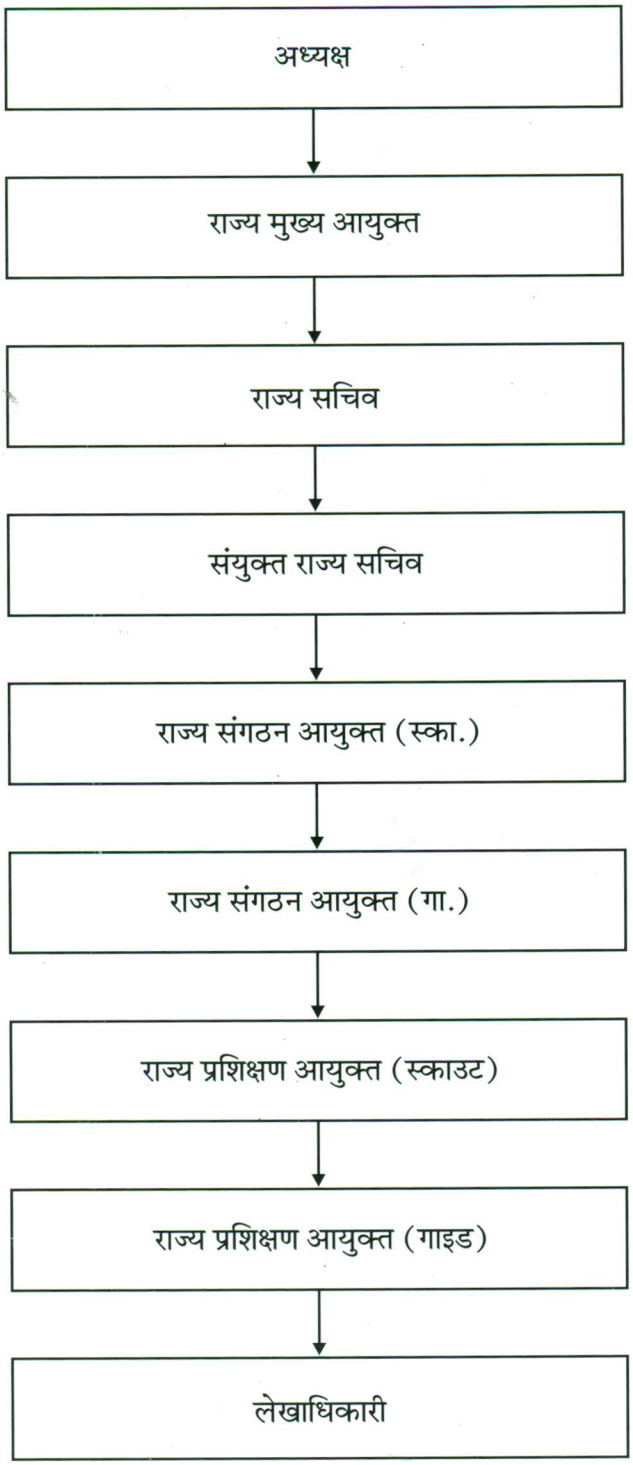

1.2.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय

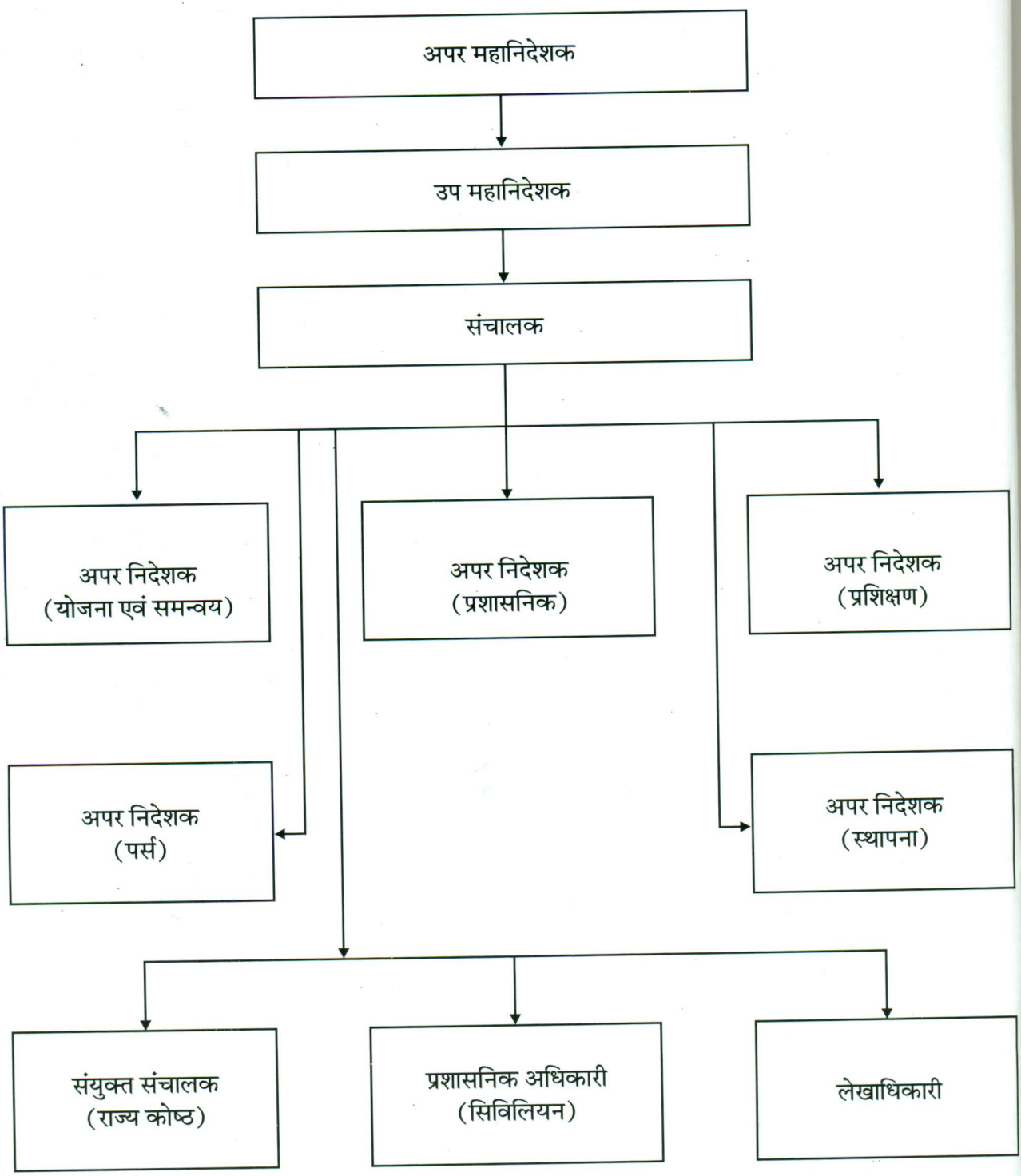

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारी वर्ग में प्रथम श्रेणी के अंतर्गत एक पद स्वीकृत है। अधिकारी वर्ग के शेष सभी पद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भरे गये हैं।

1.2.9.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय के अधीनस्थ कार्यालय

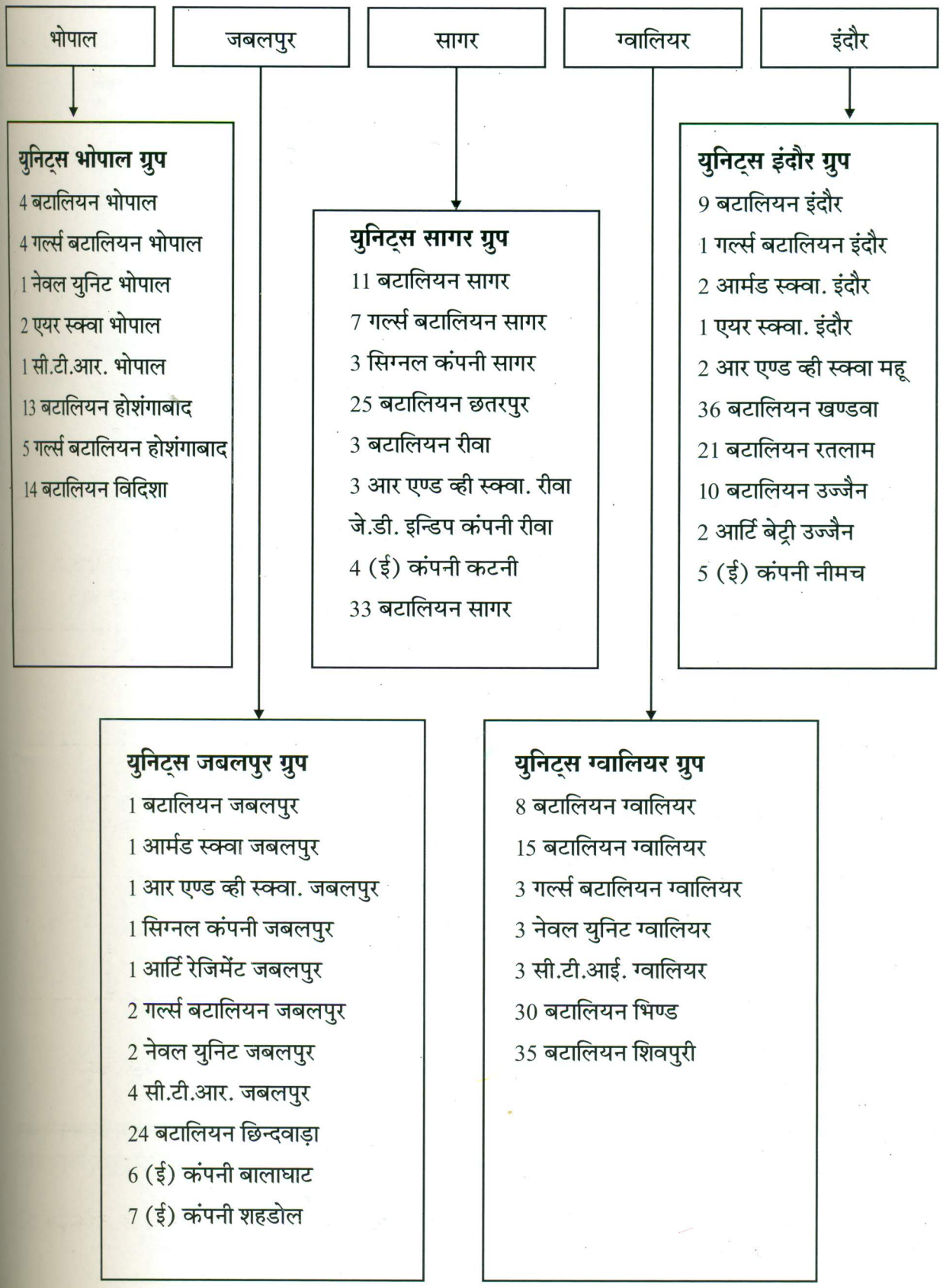

1.3 स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व

1. पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
3. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बद्ध नीति
4. अनौपचारिक शिक्षा
5. शालाओं का सेट अप तथा स्वरूप से सम्बद्ध नीति
6. नवीन शालाएं खोलना तथा शालाओं का विस्तार और विकास
7. शाला पाठ्यचर्या
8. शाला भवन
9. शालाओं के लिए उपकरण, जिसमें कागज तथा अभ्यास पुस्तिका शामिल हैं।
10. शालाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें, शाला पुस्तकालय, पुस्तक बैंक
11. अध्यापन की पद्धतियाँ तथा तकनीकें
12. शाला के अध्यापकों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण
13. अशासकीय शालाओं को अधिकार में लेना
14. अशासकीय शालाओं को सहायक अनुदान
15. शालाओं में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद
16. बालचर तथा पथ दर्शिकाएं
17. शाला की परीक्षाओं का संचालन
18. राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान
19. दिव्यांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा योजना
20. प्रौढ़ शिक्षा
21. राष्ट्रीय छात्र सेना
22. भाषाई अल्प संख्यकों का संरक्षण
23. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से सम्बन्ध हो, (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन वि भाग आदि विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, ड्यूटी, निवृत्त वेतन, पदोन्नति, निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन
24. योग

1.3.1 विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे अधिनियम एवं नियम

1. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
2. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011
3. मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम, 2002
4. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965
5. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1969
6. मध्य प्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी व्यवस्था) अधिनियम 1973
7. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) अधिनियम 1974
8. राज्य शिक्षा सेवा का गठन वर्ष 2013
9. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017

1.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.4.1 साक्षरता, शालाएं एवं नामांकन

1.4.1.1 साक्षरता

1.4.1.1 वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर और वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर निम्नानुसार है–

विवरण	साक्षरता दर			
	म.प्र.		राष्ट्रीय	
	2001	2011	2001	2011
महिला साक्षरता दर	50.3	59.2	53.7	64.6
पुरूष साक्षरता दर	76.1	78.7	75.3	80.9
कुल साक्षरता दर	63.7	69.3	64.8	73.0
अनु. जाति की साक्षरता दर				
महिला	43.3	54.7	41.9	56.5
पुरूष	72.3	76.7	66.6	75.2
कुल	58.6	66.2	54.7	66.1
अनु. जन जाति की साक्षरता दर				
महिला	28.4	41.5	34.8	49.4
पुरूष	53.6	59.6	59.2	68.5
कुल	41.2	50.6	47.1	59.0

1.4.1.2 स्कूलों की संख्या

विवरण	साक्षरता दर
प्राथमिक	84255
माध्यमिक	56651
हाईस्कूल	8242
हायर सेकेण्डरी	9060

नोट – इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूल सम्मिलित है।

1.4.1.2.1 लोक शिक्षण संचालनालय

स्तर	2002 के पूर्व की स्थिति में	वर्ष 2018-19 की स्थिति में
प्राथमिक	55980	80807
माध्यमिक	12490	30228
हाईस्कूल	1704	5009
हायर सेकेण्डरी	1517	4249

1.4.1.3 प्रदेश में छात्रों की संख्या / नामांकन (शासकीय एवं निजी)

स्तर	छात्रों की संख्या / नामांकन (संख्या लाख में)
प्राथमिक	75.85
माध्यमिक	42.38
हाईस्कूल	24.87
हायर सेकेण्डरी	14.27

स्रोत - यू डाईस 2018-19

1.4.1.4 शासकीय एवं निजी स्कूलों में छात्रों के वर्गवार नामांकन (संख्या लाख में)

स्तर	बालक	बालिका	अ.जा.	अ.ज.जा.
प्राथमिक	39.55	36.30	12.95	19.41
माध्यमिक	22.27	20.11	7.24	9.90
हाईस्कूल	13.36	11.51	4.25	4.82
हायर सेकेण्डरी	7.61	6.66	2.39	1.99

स्रोत - यू डाईस 2018-19

1.4.1.5 शासकीय एवं निजी स्कूलों में छात्रों के वर्गवार नामांकन (संख्या लाख में)

स्तर	शिक्षकों की संख्या
प्राथमिक शिक्षक / सहायक शिक्षक	149619
माध्यमिक शिक्षक/ उच्च श्रेणी शिक्षक	65807
उच्च माध्यमिक शिक्षक/ व्याख्याता	13802

स्रोत - यू डाईस 2018-19

1.4.1.6 मदरसा

मदरसों की जानकारी				
मदरसों की संख्या	कार्यरत शिक्षक	नामांकन (लाख में)		
		बालक	बालिका	योग
2018	7424	0.66	0.63	1.29

स्रोत - मदरसा बोर्ड

1.4.1.7 डी.एल.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या	डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट्स की संख्या	डी.एल.एड. की भरी हुई सीट्स
2017-18	43	3550	3463
2018-19	43	3600	3553
2019-20	43	3600	3476

1.4.1.8 बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या	स्वीकृत सीट्स	भरी हुई सीट्स
2017-18	09	1385	755
2018-19	09	1385	797
2019-20	09	1385	1287

1.4.1.9 एम.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या (01 संस्था देवास में एम.एड. नहीं)	स्वीकृत सीट्स	भरी हुई सीट्स
2017-18	08	275	223
2018-19	08	340	247
2019-20	08	340	247

1.4.2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

1.4.2.1 शिक्षण सत्र 2019-20 की हाईस्कूल परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) में 1127322 तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) में 800315 छात्र सम्मिलित है। इस प्रकार परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1927637 है।

1.4.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी नियमित परीक्षाओं के संदर्भ में गत 3 वर्षो के उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं का प्रतिशत का सांख्यिकीय विवरण

परीक्षा में					वर्ष				
उत्तीर्ण		2017			2018			2019	
	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
हाईस्कूल	48.53%	51.43%	49.86%	64.09%	69.34%	66.54%	59.15%	63.69%	61.32%
हायर सेकेण्डरी	64.16%	72.38%	67.87%	64.39%	72.39%	68.07%	68.34%	76.31%	72.37%

1.4.2.3 वर्ष 2019-20 मार्च की परीक्षाओं हेतु स्थापित परीक्षा केन्द्रों की जानकारी

स.क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा केन्द्र संख्या
1.	हाईस्कूल	3937
2.	हायर सेकेण्डरी	3658

1.4.2.4 शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता देना

शैक्षणिक सत्र 2019–2020 में अशासकीय संस्थाओं को नवीन सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की अद्यतन जानकारी –

स.क्र.	संभाग का नाम	नवीन सम्बद्धता जारी की गई		हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी सम्बद्धता	कुल सम्बद्धता जारी की गई
		कक्षा-9वीं	कक्षा-11वीं		
1.	ग्वालियर	112	21	21	3330175
2.	सागर	53	23	10	86
3.	रीवा	72	34	10	116
4.	उज्जैन	84	44	17	145
5.	इन्दौर	88	40	13	141
6.	भोपाल	97	37	26	160
7.	जबलपुर	48	24	18	90
	योग	554	235	124	913

1.4.3 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

1.4.3.1 विभिन्न प्रवेश वर्ष में प्रविष्ट छात्र-संख्या

क्र.	वर्ष	कुल छात्र संख्या (प्रविष्ठ)			कुल
		8वीं	10वीं	12वीं	(10+12)
1	2017	–	93632	74182	167814
2	2018	–	103655	102919	206574
3	2019	–	115138	93629	208767

1.4.3.2 सफल परीक्षार्थियों के प्रतिशत का विवरण

क्र.	वर्ष	हाईस्कूल (कक्षा 10वीं)			हायर सेकण्डरी (12वीं)		
		कुल सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	कुल सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	2018	103655	43791	42.24	102919	47323	45.98
2	2019	115138	30526	26.51	93629	39422	42.10

1.4.4 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल

1.4.4.1 परीक्षा परिणाम(कक्षा-पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड से उत्तरमध्यमा द्वितीय खण्ड तक)

क्र.	वर्ष	2015-16		2016-17		2017-18	
		सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या
1	पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड (9 वीं) (स्थानीय परीक्षा)	1158	1158	1222	1222	1244	1244
2	पूर्वमध्यमा द्वितीय खण्ड (10 वीं) (बोर्ड परीक्षा)	1540	551	1687	1264	2709	1066
3	उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड (11 वीं) (स्थानीय परीक्षा)	715	715	723	723	975	975
4	उत्तरमध्यमा द्वितीय खंड (12 वीं) (बोर्ड परीक्षा)	725	369	1286	760	1591	1018
	कुल	4138	2793	4918	3969	6519	4303

कुल (10+12)
167814
206574
208767

(12वीं) उत्तीर्ण प्रतिशत
45.98
42.10

2017-18 लित त्र ख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या
44	1244
09	1066
75	975
91	1018
19	4303

1.4.5 मदरसा बोर्ड

वर्ष 2019 में पंजीयन/नवीन मान्यता की संख्या : 74

पूर्व वर्ष में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या : 1944

कुल मदरसे : 2018

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के सहयोग से मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल सामान्य, हाई स्कूल मौलवी, हायर सेकण्डरी सामान्य, हायर सेकण्डरी आलिम में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या :

वर्ष	हाईस्कूल	हायर सेकण्डरी
2018-2019	577	249

1.4.6 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण

स.क्र.	वर्ष	वितरित पुस्तकों की संख्या (लाख में)	पुस्तकों का मूल्य (रू. लाख में)
1.	2016-17	629.49	23598.64
2.	2017-18	693.56	27771.00
3.	2018-19	773.96	34259.44

1.4.7 स्काउट एवं गाइड द्वारा किये जा रहे कार्य :-

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय भोपाल प्रस्तावित कार्ययोजना वर्ष 2019-2020 के लक्ष्य अनुसार निम्न कार्यक्रम प्रदेश/संभाग/जिले में आयोजित किये गये।

अ. आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं शिविर :

क्र.	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य			पूर्ति		
		स्काउट	गाइड	योग	स्काउट	गाइड	योग
1	द्वितीयचरण/रजतपंख जांच	600	300	900	196	190	386
2	द्वितीय सोपान जांच	1600	800	2400	813	541	1354
3	तृतीयचरण/रजतपंख जांच	300	150	450	12	6	18
4	तृतीय सोपान जांच	800	400	1200	223	106	329
5	निपुन रोवर-रेंजर जांच	200	200	400	48	36	84
6	चतुर्थचरण-हीरकपंख जांच	100	100	200	25	20	45

7	राज्य पुरस्कार जांच	300	300	600	47	28	75
8	सेल्फ लर्निंग मॉडल्स कोर्स	1000	500	1500			3283
9	बेसिक स्का.मास्टर शिविर	600	–	600	349	–	349
10	बेसिक कब मास्टर शिविर	300	–	300	38	–	38
11	बेसिक रो.ली. शिविर	100	–	100	18	–	18
12	बेसिक गा.के. शिविर	–	300	300	–	190	190
13	बेसिक फ्ला.लीडर शिविर	–	150	150	–	38	38
14	बेसिक रेंजर लीडर शिविर	–	50	50	–	12	12
15	एडवांस स्का.मास्टर शिविर	300	–	300	23	–	23
16	एडवांस कब मास्टर शिविर	150	–	150	6	–	6
17	एडवांस रो.ली. शिविर	50	–	50	0	–	0
18	एडवांस गा.के. शिविर	–	150	150	–	35	35
19	एडवांस फ्ला. लीडर शिविर	–	100	100	–	14	14
20	एडवांस रेंजर लीडर शिविर	–	50	50	–	02	02
21	ट्रेनिंग कौसलर कोर्स	–	–	–	20	3	23
22	अध्ययन कार्यशाला	–	–	–	34	14	48
23	प्रशिक्षक दल संगोष्ठी	–	–	–	17	4	21
24	बैज परीक्षक कार्यशाला	–	–	–	38	15	53
25	डी.ओ.सी./डीटीसी/सचिव संगोष्ठी	–	–	–	40	20	60
26	हस्तकला प्रशिक्षण	–	–	–	14	8	22
27	राष्ट्रपति प्रशिक्षण शिविर	–	–	–	37	41	78
28	स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम	–	–	–	117	46	163
29	रोवर-रेंजर ट्रेकिंग	–	–	–	48	17	65
30	स्काउटर-गाइडर हाईक	–	–	–	30	13	43
32	कब-बुलबुल उत्सव				113	92	205
33	स्काउट-गाइड रैली				160	95	255

	75
	3283
	349
	38
	18
0	190
3	38
2	12
	23
	6
	0
5	35
4	14
2	02
3	23
4	48
4	21
5	53
0	60
8	22
1	78
6	163
7	65
3	43
92	205
95	255

ब. राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतिभागिता -

राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम सत्र 2019-2020								
क्र.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	स्थान	कोटा	प्रतिभागिता की स्थिति			प्रतिभागी जिले
					स्काउट	गाइड	योग	
1	राष्ट्रीय रोवर-रेंजर समागम	10-14 जून 2019	एनटीसी पचमढी	6+6+2	6	7	13	रायसेन
2	ट्रायवल स्का.गा.रो.रें. मीट	25-29 जून 2019	दादर नगर हवैली	6+6+1 4+4+1	6 4	7 5	7	बडवानी/ अनुपपुर
3	योगा फेस्ट	20-22 जून 2019	भुसावल महाराष्ट्र	5+5+1 5+5+1	11	11	22	रतलाम, शाजापुर
4	ट्रायवल स्का.गा.रो.रें. मीट	16-20 सितम्बर 2019	पालम झारखण्ड	2+2 2+2+1	4	5	9	बालाघाट
5	रथयात्रा सर्विस केम्प	1-5 जुलाई 2019	पुरी उडीसा	4	4	0	4	दमोह, शाजापुर
6	ट्रायवल स्काउट-गाइड जम्बूरी	19-23 अगस्त 2019	जगतपुरा राजस्थान	2+12+2	8	8	16	भिण्ड, सागर
7	ट्रेकिंग कम इन्वारमेन्ट	24-30 सितम्बर 2019	देहरादून उत्तराखण्ड	2+2+1	3	2	5	अशोकनगर
8	नेचर स्टेडी कम ट्रेकिंग	15-19 अक्टूबर 2019	कालाकुण्ड इन्दौर	4+3+1	5	3	8	होशंगाबाद
9	रोवर-रेंजर यूथ फोरम	29 सितम्बर 3 अक्टूबर	सुन्दरगढ उडीसा	4+4+1	4	5		सतना
10	हेम कोर्स	01-17 सितम्बर 2019	नई दिल्ली	4+4	2	0	2	2 सागर आवेदन फार्म
11	रोवर-रेंजर जम्बूरी	1-7 दिसम्बर 2019	खुरदा उडीसा	12+18+3	13	20	33	कटनी, ग्वालियर
12	ट्रायवल स्काउट-गाइड जम्बूरी	1-5 अक्टूबर 2019	उदयपुर राजस्थान	9+9+2	9	7	16	बडवानी
13	स्किल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	17-26 सितम्बर	भिलाई (दुर्ग) छ.ग.	5+5+1	6	5	11	बालाघाट
14	फ्री बींइग मी बॉडी कान्फिडेन्स	16-20 नवम्बर 2019	नई दिल्ली	4+4	4	4	8	भोपाल, ग्वा., इन्दौर उज्जैन

15	रोवर-रेंजर संगोष्ठी	29 सितम्बर-3 अक्टूबर	नई दिल्ली ग्वालियर	2+2	2	2	4	जबलपुर,
16	ओपन यूनिट रैली	9-13 जनवरी 2020	अम्बाला हरियाणा	2+2 2+2+1	4	5	9	मुरैना
17	महात्मागांधी जयंती स्वच्छता	2-6 दिसम्बर	बठिण्डा पंजाब	8+8+2	9	9	18	सागर संभाग
18	पचमढी उत्सव 2019	25-31 दिसम्बर (म.प्र.)	पचमढी	5+3	5	3	8	होशंगाबाद

संभाग स्तर :-

संभाग स्तर पर स्काउटर-गाइडर सेमीनार, अभिरूचि केन्द्र संचालकों की बैठक, प्रधानमंत्री /उपराष्ट्रपति शील्ड कार्यशाला, जिला अधिकारियों के साथ बैठक, तृतीय सोपान स्काउट-गाइड जांच शिविर, निपुण रोवर-रेंजर जांच शिविर, तृतीय चरण-स्वर्णपंख जांच शिविर आयोजित किये गये है।

जिला स्तर :-

जिला स्तर पर अभिरूचि केन्द्र संचालित, जल सेवा शिविर, विश्व पृथ्वी दिवस, विभिन्न अवसरों पर सेवा कार्य, श्रमदान, विश्व तम्बाखू निषेध दिवस, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर, पर्यावरण दिवस, विश्व योगा दिवस कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, जन जागरण रैली, वृक्षारोपण कार्यक्रम, संस्था प्रधान संगोष्ठी, स्काउटर-गाइडर बैठक, जिला संघ पदाधिकारियों की बैठक, जिला कार्यकारिणी बैठक, जिला परिषद की बैठक, मतदाता जागरूकता रैली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विभिन्न समितियों की बैठक आयोजित की गई। द्वितीय सोपान स्काउट-गाइड जांच शिविर, द्वितीयचरण-रजतपंख जांच शिविर, पेट्रोल लीडर केम्प आयोजित किये जा रहे।

स. राष्ट्रीय स्तर के आयोजन जिसकी मेजबानी मध्यप्रदेश द्वारा की गई जो निम्नानसार है-

1. भारत स्काउट एवं गाइड मध्य क्षेत्र पचमढी द्वारा मध्य क्षेत्र स्तरीय ऑन लाईन यूथ मेम्बरशिप रजिस्टेशन वर्कशाप दिनांक 27 व 28 अगस्त 2019 तक राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल में सम्पन्न हुई।
2. भारत स्काउट एवं गाइड मध्य क्षेत्र मुख्यालय पचमढी द्वारा मध्य क्षेत्र स्तरीय ट्रेकिंग कम नेचर स्टडी कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 15 से 19 अक्टूबर 2019 तक, संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र कालाकुण्ड इन्दौर में किया गया।

जबलपुर,
मुरैना
सागर संभाग
होशंगाबाद

नमंत्री /उपराष्ट्रपति
ांच शिविर, निपुण

सरों पर सेवा कार्य,
, विश्व योगा दिवस
स्था प्रधान संगोष्ठी,
, जिला परिषद की
ठक आयोजित की
ट्रोल लीडर केम्प

-

म्बरशिप रजिस्टेशन
न्न हुई।

चर स्टडी कार्यक्रम
न्दौर में किया गया।

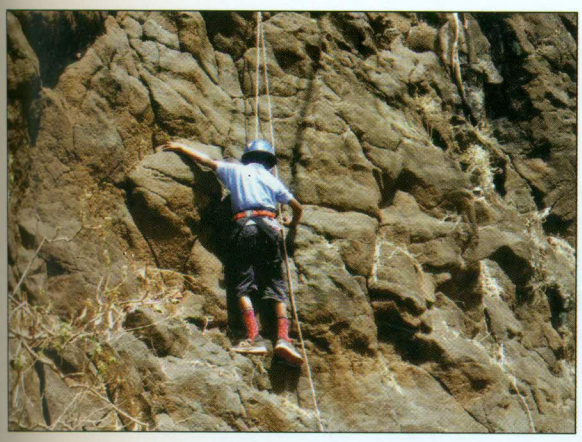

1.4.8 एनसीसी संचालनालय

1.4.8.1 एनसीसी की गतिविधियों का जिलेवार संचालन

क्र.	संभाग / जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या	महाविद्यालयों की संख्या		कैडेट
		शासकीय	निजी		शासकीय	निजी	
1.	भोपाल	12	12	3140	18	16	2632
2.	सीहोर	15	09	1724	04	02	540
3.	रायसेन	12	05	1070	04	0	196
4.	राजगढ़	04	03	270	02	0	213
5.	विदिशा	23	03	2050	10	01	1020
6.	बैतूल	10	05	1357	02	0	266
7.	होशंगाबाद	22	09	2515	10	0	1392
8.	हरदा	06	01	674	01	01	95
9.	श्योपुर	0	0	0	01	0	53
10.	मुरैना	08	01	825	05	0	617
11.	भिण्ड	08	0	600	07	0	481
12.	ग्वालियर	26	08	2472	15	12	2754
13.	शिवपुरी	08	0	625	06	0	405
14.	गुना	04	0	310	01	0	120
15.	अशोक नगर	03	0	0	0	0	0

16.	दतिया	05	0	454	01	0	114
17.	देवास	03	01	341	03	0	177
18.	रतलाम	06	01	640	03	0	256
19.	शाजापुर	04	01	367	03	0	205
20.	आगर	01	0	89	0	0	0
21.	मंदसौर	07	01	705	02	0	213
22.	नीमच	03	0	225	03	0	209
23.	उज्जैन	12	03	1317	10	02	1496
24.	इंदौर	23	34	3375	16	04	2255
25.	धार	04	0	450	04	0	265
26.	अलिराजपुर	01	01	150	01	0	54
27.	झाबुआ	04	0	350	01	0	160
28.	खरगौन	05	01	400	02	01	173
29.	बड़वानी	04	01	375	01	0	53
30.	खण्डवा	10	02	850	04	0	267
31.	बुरहानपुर	12	01	850	02	0	196
32.	जबलपुर	38	10	3496	29	10	2971
33.	नरसिंहपुर	11	05	1200	04	01	378
34.	छिंदवाड़ा	20	0	1500	08	0	745
35.	सिवनी	04	0	400	01	01	107
36.	मंडला	08	02	800	03	0	213
37.	बालाघाट	09	02	850	03	0	200
38.	डिण्डौरी	02	0	200	0	0	0
39.	उमरिया	02	0	150	0	0	0
40.	शहडोल	06	0	500	02	0	188
41.	अनूपपुर	04	0	350	02	0	172
42.	सागर	25	06	2400	12	06	1309

था	कैडेट
	2632
	540
	196
	213
	1020
	266
	1392
	95
	53
	617
	481
	2754
	405
	120
	0

43.	दमोह	08	0	950	05	01	428
44.	पन्ना	07	02	750	01	0	107
45.	छतरपुर	10	02	1050	07	0	660
46.	टीकमगढ़	03	02	400	02	0	263
47.	कटनी	08	02	625	03	0	213
48.	रीवा	18	03	1824	07	0	916
49.	सिंगरौली	01	0	100	01	0	119
50.	सीधी	04	01	400	02	0	161
51.	सतना	11	01	1100	05	01	400
कुल		462	138	47615	239	58	26427

428
107
660
263
213
916
119
161
400
26427

भाग - दो

2.1 बजट विहंगावलोकन

2.2 योजनावार बजटीय विवरण

2.1 बजट विहंगावलोकन

2.1.1 बजटीय विवरण, स्कूल शिक्षा विभाग

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
2011454.78	1802264.67	2563152.02	2014862.52	2630222.98	1681834.23

(दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

2.1.2 संचालनालय, लोक शिक्षण, के अधीन संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का बजटीय विवरण

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1580858.01	1475708.79	2155390.72	1672327.62	2090685.45	1462751.73

(दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

2.1.3 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन समग्र शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों क वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का बजटीय विवरण

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
425668.78	323289.21	403043.34	338592.80	534070.69	215740.19

(दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

2.1.4 राष्ट्रीय कैडेट कोर का वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का बजटीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
4927.99	3266.67	4717.96	3942.10	5466.84	3342.31

(व्यय 31 दिसम्बर 2019 तक की स्थिति में)

2.1.5 म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक का बजटीय विवरण

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
18809.78	18700.06	24605.83	21531.71	28819.00	16106.10

(दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

2.1.6 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड का वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक का बजटीय विवरण

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल पंजीकृत स्वशासी संस्था है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बजट व आय-व्यय का प्रावधान पंजीयन/परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019, एवं 2019-20 प्रावधिक एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
3854.50	3838.95	5707.10	2404.78	4141.60	1043.36

(दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

2.1.7 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक का बजटीय विवरण

राज्य शासन से अनुदान -महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान को वर्ष 2019-20 के लिये राज्य शासन से रुपये 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।

आय के अन्य स्त्रोत- संस्थान द्वारा अन्य आय-व्यय स्वयं के वित्तीय संसाधनों से किये जाते है, जो सम्बद्धता शुल्क एवं परीक्षा सम्बन्धित कार्यों से प्राप्त शुल्क पर निर्भर है।

वित्तीय वर्ष, 2017-18 ,2018-19 एवं 2019-20 के आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय#	बजट प्रावधान	व्यय*	बजट प्रावधान	व्यय**
297.00	619.09	315.00	339.86	350.00	369.29

(दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

\# उक्त व्यय में संस्थान के नवीन भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को दी गई अग्रिम राशि रूपये 4 करोड़ सम्मिलित हैं, जिसका भुगतान संस्थान के स्वयं के वित्तीय संसाधन से किया गया है।

* अधिक व्यय भुगतान संस्थान के स्वयं के वित्तीय संसाधन से किया गया है।

** दिसंबर 2019 की स्थिति में -उक्त व्यय में संस्थान के नवीन भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को दी गई अग्रिम राशि रूपये 1.5 करोड़ सम्मिलित है, जिसका भुगतान संस्थान के स्वयं के वित्तीय संसाधन से किया गया है।

2.1.8 म.प्र. मदरसा बोर्ड का वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक का बजटीय विवरण

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड को राज्य शासन द्वारा वार्षिक अनुदान रूपये 32 लाख स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
41.44	33.08	23.32	24.53	26.12	21.07

*(दिनांक 13.02.2020 तक प्राप्त अनुदान का आय-व्यय)

2.1.9 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम का वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक का बजटीय विवरण

निगम के वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान शासक मण्डल/साधारण सभा की बैठक में पारित किये गये, जिसमें राशि रूपये 33453.81 लाख की प्राप्तियों तथा रूपये 31526.32 लाख के भुगतानों का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के वर्षांत में निगम के शासक मण्डल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

बजट 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 (प्राप्तियॉ एवं भुगतान):

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
29434.12	24585.53	32967.72	32011.65	38288.94	36064.54

2.1.10 भारत स्काउट एवं गाइड का वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 तक का बजटीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
148.00	148.00	133.00	133.00	133.00	68.24

2.2 योजनावार बजटीय विवरण

2.2.1 संचालनालय, लोक शिक्षण के अधीन संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का बजट एवं व्यय

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
			बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय*
1	1500	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	7220.19	6165.15	8087.31	6829.82	8761.55	6641.91
2	3930	विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	6882.93	6059.80	7653.97	6784.02	8266.01	6613.98
3	4396	सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	270437.53	248427.31	421146.05	281794.70	705354.21	536625.79
4	3491	माध्यमिक शालाएं	188317.68	170267.46	253432.99	170238.24	363953.92	286923.10
5	4031	विभागीय परीक्षा परिषद्	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	4321	संस्कृत शालाएं	425.00	364.50	योजना क्रमांक 9949 में समाहित की गई है।			
7	9948	प्राथमिक शालाएं	13000.00	12711.14				
8	9949	अशासकीय शालाओं की अनुदान	6748.00	5742.63	50000.00	36175.34	55000.00	40713.48
9	0222	शासकीय संस्कृत विद्यालय	436.21	380.27	498.39	430.45	532.90	406.87
10	0581	हायर सेकेण्डरी शालाएं	122450.12	111286.23	157318.20	125124.04	227076.95	176642.75
11	1516	जीवाजी वैधशाला-उज्जैन	70.19	60.87	76.15	69.70	88.42	65.16
12	1797	टी.टी.महाविद्यालय, शिवपुरी तथा आवासीय खेलकुद स्कूल सीहोर	150.45	137.82	268.21	212.95	344.19	174.34
13	3858	लोक शिक्षण संचालनालय	2560.86	2157.25	3182.03	2280.08	3004.14	1572.00
14	4193	शास.विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायिकरण	7799.82	7090.00	8729.24	8087.58	9881.28	7464.72
15	4395	सरकारी पुस्तकालय	832.61	720.90	1931.52	850.13	1826.66	795.99
16	6007	मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन, जिला खनिज प्रतिष्ठान	8847.59	2776.96	9702.17	1292.12	8043.38	1003.01
17	6968	शालाओं का उन्नयन	3193.77	2870.47	2409.51	1375.76	2126.73	1222.61

18	6090	गायन विद्यालयों को अनुदान	90.00	82.26	100.00	85.19	50.00	46.33
19	6663	संयुक्त संचालक विधि एवं खेल प्रकोष्ठ कार्यालय की स्थापना	284.40	247.65	योजना क्रमांक 9230 में समाहित की गई है।			
20	9230	संयुक्त संचालक कार्यालयों की स्थापना	1723.60	1454.31	2129.80	1976.28	2361.97	1947.56
21	0701	अतिथि शिक्षकों का मानदेय	16386.21	14706.10	18590.00	18336.82	32561.22	20087.44
22	5545	महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान	330.00	306.90	350.00	315.00	350.00	245.00
23	4514	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	3.60	1.83	4.00	1.78	0.80	0.00
24	4598	स्काउट एसोसिएशन को अनुदान	198.73	192.82	240.00	236.75	259.09	253.27
25	6968	शालाओं का उन्नयन	2975.00	2952.80	10000.00	2330.81	2862.00	2581.66
26	8403	पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानेदय	725000.00	723912.52	960000.01	850860.55	554576.67	314264.88
27	2669	नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	18800.00	18611.35	15000.00	13465.81	14639.67	8532.96
28	6005	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	95483.70	95483.16	75000.00	44610.00	0.00	0.00
29	6344	मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा एवं अधोसंरचनात्मक विकास	2745.00	1188.45	2266.75	2230.15	2300.00	567.12
30	3782	आवासीय खेलकूद स्कूल	76.37	42.89	योजना क्रमांक 1797 में समाहित की गई है।			
31	7515	मदरसा बोर्ड को अनुदान-क्षेत्र गहन कार्यक्रम	30.80	30.80	योजना क्रमांक 1235 में समाहित की गई है।			
32	1235	मदरसा बोर्ड को अनुदान एवं मदरसों का अधोसंरचना विकास	405.00	379.41	482.00	410.80	636.52	331.99
33	7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
34	2267	नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	9774.00	9413.11	11000.00	9541.42	10274.50	0.00
35	6813	साइकिलों का प्रदाय	13665.00	13665.00	21099.79	21099.79	20204.00	17513.00
36	2075	अतिरिक्त संकाय	5.00	0.00	योजना क्रमांक 0581 में समाहित की गई है।			
37	2076	1736/हायर सेकेण्डरी विद्यालय में विद्युत कने.	3000.02	450.00	615.04	430.51	827.50	23.98

38	2077	आवासीय खेलकूद एवं शा.शारीरिक शिक्षा विद्यालय का संचालन	500.00	242.68	325.00	0.00	272.79	71.66
39	2078	हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	2657.74	0.00	6950.00	896.45	1758.60	0.00
40	2079	स्कूल भवनों के रिटरोफिटिंग हेतु	920.00	0.00	राजस्व योजना क्रमांक 0581 एवं पूंजी अनुभाग 6970 में समाहित की गई है।			
41	2080	कक्षा 9 से 12 हेतु छात्रावास/अधोसंरचना सी. डब्ल्यू.एस.एन. हेतु	400.00	0.00	योजना क्रमांक 0816 में समाहित की गई है।			
42	0732	राष्ट्रीय अकादमी एवं मुख्य सैन्य सेवायें	18.00	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
43	0731	बालिका छात्रावास का संस्थापना एवं संचालन सुरक्षा व्यवस्था तथा मैस संचालन	4434.40	0.00	योजना क्रमांक 0816 में समाहित की गई है।			
44	0816	छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	5209.50	0.00	13482.00	3298.11	7029.25	4095.41
45	1265	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय	5000.00	5000.00	17700.00	17638.54	2000.00	42.54
46	2446	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान म.प्र. इकाई	30.00	9.00	33.00	23.10	31.83	17.82
47	6015	विकास खण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान	630.00	492.77	योजना क्रमांक 4980 में समाहित की गई है।			
48	4980	उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान	323.67	228.30	1000.01	552.55	882.04	206.61
49	5133	विविध छात्रवृत्तियां	2598.50	1146.92	1469.48	1075.03	2321.21	442.94
50	5539	ग्रंथालयों की सुदृढ़ीकरण	450.00	227.90	33.00	21.32	202.16	77.89
51	6012	शिक्षक प्रोत्साहन	9.00	2.67	योजना क्रमांक 5541 में समाहित की गई है।			
52	5541	शैक्षिक अभ्युत्थान	118.50	67.89	207.00	43.07	949.41	92.32
53	1084	खेल कूद तथा गतिविधियों पर व्यय	600.00	478.07	योजना क्रमांक 5542 में समाहित की गई है।			
54	8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	810.00	36.91	योजना क्रमांक 3858 में समाहित की गई है।			
55	5542	खेलकूद परिसर का निर्माण एवं गतिविधियों का संचालन	605.00	185.70	1260.00	485.56	990.53	373.01
56	5732	सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान	441.00	241.00	448.00	181.97	236.43	189.14
57	6017	कृषि विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	19.80	0.00	25.00	6.98	22.73	6.97

58	6019	वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिया	720.00	643.57	800.00	503.99	454.66	222.60	74
59	6493	व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण	300.00	300.00	400.00	349.20	363.72	203.68	75
60	5473	राज्य पुस्तकालय की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	76
61	7127	बेटी बचाओ योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति	80.00	42.82	80.00	1.90	100.00	24.65	77
62	0327	अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	0.00	0.00	640.00	639.93	268.80	268.80	
63	53.5133	विविध छात्रवृत्तियां (अनुसूचित जाति उपयोजना)	0.00	0.00	4850.00	3487.49	1637.00	1583.06	
64	53-5133	विविध छात्रवृत्तियां (केन्द्र क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना)	0.00	0.00	7700.00	7699.79	3234.00	46.67	
65	53-5902	राज्य शासन अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 एवं 10)	0.00	0.00	450.00	6.49	189.00	151.26	
66	53-8805	राज्य शासन अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 एवं 8)	0.00	0.00	2200.00	2199.72	924.00	924.00	
67	53-0727	स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए उन्नयन विकास अनुरक्षण	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	
68	49-7765	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (अनुसूचित जाति उपयोजना)	0.00	0.00	6400.00	3631.16	2940.00	881.25	
69	49-7765	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (केन्द्र क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना)	0.00	0.00	1000.00	999.99	420.00	85.32	
70	1498	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत अपूर्ण कार्यो से संबंधित व्यय	1500.00	1495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	2077	आवासीय खेलकूद एवं शा.शारीरिक शिक्षा विद्यालय का संचालन	0.00	0.00	225.00	215.02	300.00	133.29	
72	6970	शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार	20092.64	3055.51	45900.00	20393.68	25000.44	18890.06	
73	8707	छात्रावास भवनों का निर्माण	500.00	428.84	योजना क्रमांक 0816 में समाहित की गई है।				

*(दिसबंर

74	7479	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	503.89	374.16	योजना क्रमांक 6970 में समाहित की गई है।			
75	7592	शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	36.96	0.00	योजना क्रमांक 6970 में समाहित की गई है।			
76	7128	मुख्यालय/संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण	1000.00	668.89	500.00	500.00	992.50	459.88
77	5473	राज्य पुस्तकालय की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
		योग	**1580858.01**	**1475708.79**	**2155390.72**	**1672327.62**	**2090685.45**	**1462751.73**

*(दिसबंर 2019 की स्थिति में)

2.2.2 राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन समग्र शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का बजट एवं व्यय

(राशि रूपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
	(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं						
1	समग्र शिक्षा अभियान (5330) (राजस्व)	0.00	0.00	0.00	0.00	424235.46	151672.19
2	समग्र शिक्षा अभियान (5330) (पूँजीगत)	0.00	0.00	0.00	0.00	47137.27	39112.53
3	4 सर्व शिक्षा अभियान (राजस्व) (8810)	278000.00	255823.45	304524.00	288444.13	0.00	0.00
4	सर्व शिक्षा अभियान (पूँजीगत) (8810)	62000.00	21264.56	30529.96	12666.78	10.00	0.00
5	कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय (6809)	9200.00	3726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	साक्षर भारत योजना (6011)	6300.00	4236.10	700.00	0.00	691.10	691.07
	योग (अ)	285050.11	335753.96	335753.96	301110.92	472063.83	191475.79
	(ब).राज्य बजट से संचालित कार्यक्रम/योजनाएं						
1	नि:शुल्क गणवेश (6716)	6500.00	2500.00	5600.00	5600.00	5976.90	3347.06
2	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक सामग्री का प्रदाय (2267)	1100.00	1100.00	1100.00	660.00	981.15	549.44
3	छात्राओं को नि:शुल्क साईकिल का प्रदाय (6813)	8900.00	2670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना (5776)	0.01	0.00	418.00	125.40	425.00	297.50
5	निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां (5627)	701.50	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00

6	आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (6484)	21400.00	19260.00	31000.00	17670.00	30011.20	6051.00
7	छात्रावास भवन निर्माण (8799)	4000.00	0.00	1750.05	0.00	0.03	0.00
8	विद्यालय भवन निर्माण (7728)	0.01	0.00	0.01	0.00	800.00	560.00
9	विद्यालय शिक्षक योग्यता (One-Step-up) (7472) भवन निर्माण (7728)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
10	100 सीटर बालक छात्रावास भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कक्षा 6-8 तक के छात्रों हेतु छात्रावास सहित उत्कृष्ट विद्यालय (7618)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
12	वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन (1233)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
13	प्राथमिक स्तर पर मानिटरिंग हेतु निधि (7478)	800.00	500.00	700.00	378.00	556.10	200.20
14	शालाओं में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण (7479)	1100.00	0.00	1500.00	450.00	1505.00	1053.50
15	एकेडेशन ऑफ स्कूल (7485)	250.00	225.00	262.50	70.88	209.14	46.00
16	ई-गवर्नेन्स (6735)	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	शालाओं में शौचालय निर्माण/जीर्णोद्धार (7592)	1000.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
18	शालाओं में अकादमिक मूल्याँकन (7616)	50.00	45.00	55.00	29.70	600.00	366.00
19	राजाराम मोहन राय लायब्रेरी (2071)	0.01	0.00	80.00	0.00	80.00	2.00

20	छात्रावास में चौकीदार कक्ष का निर्माण (7733)	550.00.00	00.00	976.00	263.00	1200.20	720.00
21	Intervention of CWSN (7734)	0.01	00.00	400.00	108.00	150.20	60.00
22	सोलर लाईट (2066)	900.00	00.00	400.00	108.00	150.20	60.00
23	सोलर लाईट (2066) (पूंजीगत) (2066)	900.00	00.00	400.00	108.00	150.20	60.00
24	ड्रिकिंग वाटर (2067)	1350.00	00.00	2000.00	1000.00	800.20	560.00
25	इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (2068)	2000.00	810.00	3000.00	0.00	0.20	0.00
26	इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (पूंजीगत) (2068)	2000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
27	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का अधोसंरचना संरक्षण एवं विकास (2068)	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	1275.00
28	स्काऊट एवं गाईड की गतिविधियाँ (0729)	133.00	132.00	133.00	95.76	121.85	68.24
29	माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर (0730)	3000.00	0.00	545.00	95.76	1000.00	318.60
30	शोध एवं मूल्यांकन (0739)	50.00	50.00	50.00	47.00	290.00	180.00
योग (ब)		57014.60	27993.50	52570.40	26498.26	48906.41	15624.54

(*31 दिसंबर 2019 की स्थिति में)

(स). बजट म.प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

(राशि रूपये लाख में

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
1	1502 - डाइट्स	8340.05	6678.55	8696.53	7077.23	7738.37	5527.61
2	5788 -पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान -जबलपुर	8340.05	6678.55	8696.53	7077.23	7738.37	5527.61
3	3668-राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान-जबलपुर	292.93	279.72	362.37	332.51	414.07	304.15
4	3694 -राज्य शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ शिक्षा भोपाल (P/ NP)	1482.25	1177.42	1504.82	1266.00	1544.43	949.00

5	67-आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान-भोपाल(P/NP)	118.45	104.64	132.32	117.85	159.08	94.90
6	4402 - सरकारी शिक्षा महाविद्यालय (P/ NP)	2203.48	1610.29	2353.94	1832.09	2026.44	1548.61
7	5481 - वृहद निर्माण कार्य	300.00	299.78	1500.00	260.70	1000.00	133.69
8	7617 - पीएसएम परिसर, जबलपुर	300.00	0.00	50.00	0.00	90.93	0.00
9	7471-शाला भवन एवं छात्रावास संधारण पर व्यय	11.00	2.97	0.08	0.00	0.93	0.00
	योग (स)	13154.18	10245.60	14718.99	10983.63	13100.45	8639.86
	महायोग (अ+ब+स)	425668.78	323289.21	403043.34	338592.80	534070.69	215740.19

(*31 दिसंबर 2019 की स्थिति में)

2.2.3 राष्ट्रीय कैडेट कोर का वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का बजटीय विवरण

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	स्कीम कोड	स्कीम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
			प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1	3755	वरिष्ठ संभाग	3361.62	2330.47	4507.96	3942.10	5438.19	3342.31
2	3754	कनिष्ठ संभाग	1351.79	933.07	स्कीम वरिष्ठ संभाग में मर्ज की गई	-	-	-
3	8808	आई.टी.	4.50	3.13	समाप्त किया गया	-	-	-
4	2081	एनसीसी के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु	210.08	00.00	210.00	00.00	28.65	-
		योग	**4927.99**	**3266.67**	**4717.96**	**3942.10**	**5466.84**	**3342.31**

(31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

2.2.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश व्यय अनुमान

(व्यय का विवरण अधिनियम धारा 12)

(राशि रूपये लाख में)

व्यय के शीर्ष		वास्तविक लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
		2017-18	2018-19	2018-19	2019-20
अ	राजस्व				
ए-	मुख्यालय/प्रशासन	6760.41	7870.00	7870.00	8390.00
बी-	संभागीय कार्यालय	800.97	1120.35	1114.95	1286.90
सी-	आदर्श विद्यालय	1776.56	1884.88	2179.76	2411.74
डी-	परीक्षा	7809.43	8010.00	8710.00	9190.00
ई-	शैक्षणिक कार्य (अकादमी व्यय)	234.60	1075.00	820.00	1075.00
योग-राजस्व व्यय		**17381.97**	**19960.23**	**20694.71**	**22353.64**
ब	पूंजीगत लेखा				
एफ-	भवन निर्माण	236.60	500.00	500.00	750.00
जी-	मुद्रणालय	0.00	15.00	15.00	15.00
एच-	वाहन	29.42	20.00	20.00	20.00
आई-	फर्नीचर एवं अन्य कार्यालयीन उपकरण	132.00	150.00	150.00	200.00
योग-पूंजीगत व्यय		**398.02**	**685.00**	**685.00**	**985.00**
स	जमाधन/अग्रिम धन लेखा	140.86	152.00	152.00	320.00
बृहद योग		**17920.85**	**20797.23**	**21531.71**	**23658.64**

ये लाख में)

अनुमान
0-20
8390.00
1286.90
2411.74
9190.00
1075.00
2353.64
750.00
15.00
20.00
200.00
985.00
320.00
3658.64

भाग - तीन

3.1 राज्य योजनाएं

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.3 अन्य योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं

3.1.1 लोक शिक्षण संचालनालय के तहत प्रमुख राज्य योजनाएं

3.1.1.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना म.प्र. शासन की एक महत्वपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी योजना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना प्रदेश के समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

शिक्षा सत्र 2017-18 से योजनान्तर्गत एन.सी.ई.आर.टी. की पाठयपुस्तकों का अभिग्रहण कर कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठयपुस्तकें तथा द्वितीय चरण में शिक्षा सत्र 2018-19 से कक्षा 10वीं में गणित, विज्ञान विषय तथा कक्षा 12वीं में गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्यपुस्तकें अभिग्रहित कर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना अन्तर्गत सम्मिलित की गई है।

शिक्षण सत्र 2019-20 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मद में राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 102.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, योजना अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत् समस्त वर्गों के कुल 24,66,145 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जाकर लाभान्वित किया गया है।

3.1.1.2 सुपर 100 योजना

सुपर-100 योजना अन्तर्गत प्रदेश के शासकीय स्कूलों के म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वी बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। चयनित विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत कक्षा 11वी एवं 12वी में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल/शासकीय मल्हाराश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन्दौर में अध्ययन के साथ-साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा इंजीनियरिंग/मेडीकल/सी.ए.फाउंडेशन आदि में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश हेतु आवश्यक कोचिंग प्रदाय की जाने की योजना है।

शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि. इन्दौर में वर्ष 2019-20 में कक्षा 11वी में वाणिज्य संकाय में 50, गणित संकाय में 51 एवं जीव विज्ञान संकाय में 50 विद्यार्थियों एवं कक्षा 12वी में वाणिज्य संकाय के 47, गणित संकाय के 50, एवं जीव विज्ञान संकाय के 50 विद्यार्थी प्रविष्ट होकर कोचिंग प्राप्त कर रहे है।

शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि. भोपाल में वर्ष 2019-20 में प्रवेश से चयनित छात्र-छात्राओं को कक्षा 11वी में वाणिज्य संकाय में 51, गणित संकाय में 51 एवं जीव विज्ञान संकाय में 50 विद्यार्थियों एवं कक्षा 12वीं में गणित संकाय में 47, जीवविज्ञान संकाय में 51 एवं वाणिज्य संकाय में 45 विद्यार्थी प्रवेशित होकर अध्ययन कोचिंग प्राप्त कर रहे है।

वर्ष 2019-20 में योजना में 593 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2019 में आयोजित परीक्षा में जे.ई.ई. मेन्स 44, नीट में 22 एवं सी.ए. हेतु 16 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

3.1.1.3 प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 12 वीं की माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रुपये 25,000/-प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया। तद्उपरान्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिये अंक सीमा 75 प्रतिशत कर दी गई थी। वर्ष 2017-18 से सभी वर्ग के विद्यार्थी, जिन्हें कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत

उससे अधिक अंक प्राप्त हुये हैं, उन्हे इस योजना का लाभ दिया गया। योजना का स्वरूप निम्नानुसार है :-

1. योजना का नाम- इस योजना का नाम "प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना" है।

2. योजना की पात्रता- इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रतिभाशाली छात्र/छात्राएं पात्र हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12वीं) परीक्षा में

   2.1 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे।

   2.2 जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रथम प्रयास में नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो।

   2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रूपये 25,000/- छात्र के खाते में RTGS द्वारा अंतरित की जाती है।

उक्त योजनान्तर्गत 2017-18 की माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये जाने पर शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 67,615 (सरसठ हजार छैः सौ पन्दह) विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी रूपये 25,000/- की दर से कुल राशि रूपये 1,69,03,75,000/- (एक सौ उन्हत्तर करोड़ तीन लाख पिचहत्तर हजार) वितरित कर वर्ष 2018-19 में लाभान्वित किया गया था। वर्ष 2019-20 में योजना अंतर्गत राशि रूपये 20.00 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

3.1.1.4 निःशुल्क साईकिल वितरण योजना

निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी, जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह जिस ग्राम का निवासी है, उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय/हाई स्कूल

संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम/शहर के शासकीय स्कूल में जाता है, उसे नि:शुल्क सायकिल वितरण योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ छात्र को कक्षा 9वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा अर्थात कक्षा 9 वीं में पुन: प्रवेश लेने पर उसे सायकिल की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे मजरे /टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 कि.मी. से ज्यादा है तो ऐसे मजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्रों को भी सायकिल दी जावेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं, जिनकी शाला छात्रावास से 2 कि.मी या अधिक दूरी पर है, को भी साईकिल प्रदाय की जावेगी । ये सायकिलें छात्रावास को आवंटित की जायेगी ओर छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं इनका प्रयोग कर सकेगी। छात्रावास छोड़ते समय सायकिलें छात्रावास में ही जमा करना आवश्यक होगा । कक्षा 9 वीं के विद्यार्थी को 20 इंच की सायकिल प्रदान की जाती है।

नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 से संचालित है। वर्ष 2016-17 से पूर्व पात्र बच्चों को सायकिल क्रय हेतु राशि रू. 2400/- प्रदान की जाती थी। वर्ष 2016-17 से लघु उद्योग निगम के माध्यम से सायकिल क्रय कर प्रदान की जा रही है। प्रदेश में पहली बार शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम दिवस 24 जून 2019 को सायकिलों का वितरण किया गया। वर्ष 2019-20 में कक्षा 9वीं के लगभग 4.32 लाख छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे। योजना के तहत विगत वर्ष में नि:शुल्क सायकिल योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं के लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	शैक्षणिक सत्र	लाभान्वित छात्र / छात्राओं की संख्या(लाख में)
1	2016-17	4.16
2	2017-18	4.50
3	2018-19	4.21

3.1.1.5 मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन

भारत शासन की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना प्रदेश में वर्ष 2011-12 में की गई थी। इन स्कूलों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किये जाने की योजना है। वर्ष 2015-16 से यह योजना राज्य योजना के रूप में संचालित है। वर्ष 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीट निर्धारित की गई हैं। मॉडल स्कूल हेतु मॉडल स्कूल में कक्षा 9 वीं में प्रवेश, चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2018-19 में मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 87.00 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 77.7 प्रतिशत रहा है। वर्तमान में मॉडल स्कूलों में 48765 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह मॉडल स्कूल शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

वर्तमान में 201 मॉडल स्कूलों में से 197 स्थानों पर स्वंय के मॉडल स्कूल भवन निर्मित हो चुके है। शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.1.1.6 उत्कृष्ट स्कूलों की स्थापना एवं संचालन

शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थापित एक शासकीय उ.मा.विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में 41 जिला मुख्यालयों पर एवं 194 विकास खण्ड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है। वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 45959 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1,84,862 विद्यार्थी हैं। वर्ष 2018-19 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं का परीक्षा परिणाम क्रमश: 97.38 प्रतिशत एवं 89.00 प्रतिशत रहा है।

3.1.1.7 ज़िला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल छात्रावास योजना

प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में प्रवेश पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अन्य ग्रामों, विकासखण्ड अथवा जिलों से चयनित विद्यार्थी इन विद्यालयों में प्रवेश तो लेना चाहते है, किन्तु आर्थिक विषमताओं के कारण जिला अथवा विकासखण्ड स्तर पर स्वयं की व्यवस्था से किराये आदि पर नहीं रह पाते हैं। इस कठिनाई के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 से प्रदेश के 224 जिला एवं ब्लॉक स्तरीय उत्कृष्ट एवं 201 मॉडल स्कूलों के लिए छात्रावास योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 41 ज़िला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में तीन वर्षो की कार्ययोजना में 100-100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित किए जाने की योजना है। (छात्रावासों में विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।)

इस योजनान्तर्गत भवन निर्माण होने तक 50 सीटर बालक तथा 50 सीटर बालिका छात्रावास का संचालन की योजना है। वर्तमान में 28 बालक एवं 24 बालिका छात्रावास संचालित है, इनमें 1302 बालक तथा 758 बालिका लाभान्वित हो रही है।

3.1.1.8 बालिका छात्रावास (200 सीटर बालिका छात्रावास भवन निर्माण एवं संचालन)

आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में 200 सीटर 6 स्थानों पर (हरसूद जिला खंडवा, छतरपुर, छिंदवाडा, झाबुआ, शहडोल और उज्जैन) बालिका छात्रावास भवन निर्माण हेतु प्रति भवन राशि रूपये 579.00 लाख के मान से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 04 स्थानों पर संचालन प्रारंभ हो गया है। जिसमें 330 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

3.1.1.9 हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी विद्यालय निर्माण

वर्ष 2016-17 के पूर्ण स्वीकृत 136 में से 133 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 03 प्रगतिरत हैं। वर्ष 2017-18 से 622 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 81 पूर्ण हो चुके हैं तथा 454 प्रगतिरत हैं।

3.1.1.10 हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी विद्यालय विद्युतीकरण

प्रदेश के 1736 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल विद्युतविहीन हैं, इस हेतु म.प्र. विद्युत मंडल को आवश्यक राशि प्रदान की गई है। 1499 स्कूलों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 200 (37 स्कूलों में स्थानों पर विद्यालय स्तर से विद्युत व्यवस्था करा ली गई है) स्कूलों में कार्यवाही जारी हैं। जिसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

3.1.1.11 दिव्यांग छात्रावास की स्थापना एवं संचालन

09 संभागीय मुख्यालयों पर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संभाग 50 सीटर बालक एवं 50 सीटर बालिका दिव्यांग छात्रावास के निर्माण हेतु (कुल 100 सीटर हेतु) लागत राशि रूपये 346.00 लाख प्रति इकाई निर्माण हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनका निर्माण संभागीय मुख्यालय पर स्थित ऐसे स्कूलों में किया जायेगा, जहां सह शिक्षा उपलब्ध है। वर्तमान में ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जो कक्षा 8वीं तक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित छात्रावास में रह कर 8वीं पास करते है तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययन करना चाहें, उन्हें राज्य शिक्षा केन्द्र में संचालित छात्रावास में व्यवस्था की गई है।

3.1.1.12 शास. उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालयों मे मल्टीपरपज हॉल के निर्माण

शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत 17 शास. उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालयों मे मल्टीपरपज हॉल के निर्माण हेतु राशि रूपये 1.00 करोड़ प्रति हॉल की दर से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में 03 स्थानों पर कार्य प्रगतिरत है।

3.1.1.13 सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन

सैनिक स्कूल, रीवा की स्थापना वर्ष 1962 में प्रदेश के छात्रों को सेना के लिए तैयार करने के लिए की गई थी। सैनिक स्कूल रीवा, म.प्र. में 541 छात्र अध्ययन करते हैं। जिसमें प्रदेश के छात्रो को एन.डी.ए. के लिए तैयार किया जाता हैं। सैनिक स्कूल, रीवा के संचालन हेतु कर्नल रैंक के अधिकारी को प्राचार्य का दर्जा दिया जाता हैं। शेष शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारी स्थानीय समिति के द्वारा चयनित किये जाते है।

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
			प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय
4.	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग म.प्र.	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए) (2.1)	1750.00	940.00	2200.00	2199.72	3233.00	1636.89
5.		राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 (2.1.1)	5250.00	4249.32				
6.		प्री मेट्रिक अ.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) (2.2, 2.1.2)	7700.00	7699.93	13000.00	11193.77	16432.00	1780.52
7.		पोस्ट मेट्रिक अ.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12) (2.3)	11500.00	5328.25	7400.00	4631.15	7060.00	966.57
8.		सफाई एवं जोखिमपूर्ण कार्य छात्रवृत्ति (अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति) (कक्षा 01 से 10तक) (2.5)	640.00	262.18	640.00	639.93	940.80	549.61
9.		अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11 वी) (2.6)	1350.00	1299.38	1300.00	1299.97	1400.00	0.00
10.	आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र.	राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया, सहारिया) के बालकों के लिए (3.1)	1320.00	1965.00	4915.24	814.02	4000.00	2233.56
11.		राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक) (3.1.1 ज्व 3.1.2)	21800.00	14387.80			4066.00	100.17

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
			प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय
12.		प्री मेट्रिक अ.ज.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) (3.2)	2000.0	2000.0	7000.00	6999.93	7500.00	3002.36
13.		पोस्ट मैट्रिक अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (3.3)	4600.0	4600.0	3000.00	3000.00	5900.00	1410.26
14.		अ.ज.जा. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (कक्षा 11वीं) (3.5)	1389.90	989.90	1125.00	1124.97	1125.00	602.97
15.	संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं	राज्य छात्रवृत्ति प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) (4.1)	49.50	49.40	70.00	47.76	65.00	7.21
16.	अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग म.प्र.।	राज्य छात्रवृत्ति माध्यमिक स्तर (कक्षा 06 से 10 तक) (4.1.1)	105.20	81.90	120.00	110.20	120.00	77.18
17.		पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (4.2)	40.00	40.00	60.00	60.00	106.00	21.44
18.		कन्या साक्षरता प्रोत्साहन कक्षा 11 वी (4.4)	6.80	6.80	16.00	16.00	16.60	10.17
19.	आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक	राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक) (5.1)	2700.0	2700.0	16627.34	16625.47	17000.00	6169.9
20.		रपोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं वं 12वीं तक)(5.2)	13400.00	11736.00				
21.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र.।	नि:शक्त जन छात्रवृत्ति (8.1)	525.90	333.10	371.11	173.75	185.08	57.57
	महायोग:-		79437.15	60308.71	59249.13	54008.37	71472.48	19092.6

3.1.1.15 आवासीय खेलकूद संचालन

विभाग द्वारा जिला शिवपुरी में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं जिला सीहोर में शासकीय आवासीय विद्यालय संचालित है। उक्त संस्थाएं निम्नानुसार संचालित है :-

(1) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय (शिवपुरी) में शिक्षा विभाग के शिक्षक/अध्यापक/पी.टी.आई. संवर्ग को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के उपरांत चयनित किया जाता है। शिवपुरी में बी.पी.एड. (बेचलर ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन) दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होता है। कुल 55 सीट निर्धारित है, जिसमें 28 सीटें विभागीय एवं 27 सीटें विभागेत्तर अभ्यार्थियों के लिए प्रावधानित है।

(2) शासकीय आवासीय विद्यालय सीहोर में कक्षा 9वी से 12वीं तक के अभ्यार्थियों के प्रवेश के लिए कुल 200 सीट निर्धारित हैं। विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्रों को चयन किया जाता है। छात्र विद्यालय में 04 वर्ष अध्ययनरत रहकर अपनी रूचि अनुसार खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

शासकीय आवासीय विद्यालय, सीहोर में अध्ययनरत छात्रों की विगत चार वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	वर्ष	सीटों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	2016-17	200	179
2	2017-18	200	115
3	2018-19	200	108
4	2019-20	200	118

3.1.1.16 खेलकूद

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में म.प्र. के खिलाड़ियों की सहभागिता

वर्ष 2018-19 में अंतराष्ट्रीय स्तर पर एस.जी.एफ.आई. द्वारा फुटबाल का आयोजन इंडोनेशिया में आयोजित कराया गया, जिसमें प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है, जो म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए गौरव की बात है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं वर्ष 2019-20

वर्ष 2019-20 हेतु जारी राज्य स्तरीय खेल कैलेण्डर अनुसार मध्यप्रदेश में कुल 63 खेलों की 14, 17 एवं 19 आयुवर्ग में प्रतियोगिताएं विभिन्न जिलों में 39 स्थानों पर आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2019-20

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु जारी खेल कैलेण्डर अनुसार 63 खेलों (जिसमें जवाहर लाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता एवं सुब्रतो मुखर्जी फुटबाल भी सम्मिलित है) की विभिन्न आयुवर्गों (14, 17 एवं 19 बालक/बालिका) में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता की जा रही है।

वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ संपन्न हो चुकी है, के अनुसार पदक तालिका निम्नानुसार है:-

स.क्र.	वर्ष	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	कुल योग	पदक तालिका में स्थान
1	2015-16	45	59	77	181	नवां
2	2016-17	78	71	114	263	चौथा
3	2017-18	103	100	134	337	चौथा
4	2018-19	166	104	137	407	तृतीय
5	2019-20	183	111	129	423	तृतीय (प्रतियोगिताएं प्रचलन में हैं।)

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु जारी खेल कैलेण्डर अनुसार मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन भोपाल-शूटिंग, हूपक्वांडो, छतरपुर-बेसबाल, शिवपुरी-हेण्डबाल छिंदवाडा-बेडमिंटन, जबलपुर-कराते, देवास-सॉफ्ट टेनिस, सागर-कूडो, इंदौर-नेटबाल, वोवीनाम (आयोजित होनी शेष है) मंदसौर-टेनिस बाल क्रिकेट, सतना-डॉजबाल, उज्जैन-फील्ड आर्चरी, रायसेन-टेनिस बाल क्रिकेट, विदिशा-वॉलीबॉल, ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं के म.प्र. में सफल आयोजन किये गये।

शालेय खेल प्रतिभा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह

राष्ट्रीय प्रतियोगिता शालेय व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलों में प्रदेश के प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी को रूपये 10,000/-, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को रूपये 7,500/-एवं तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को रूपये 5,000/- की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदाय की जाती है।

फिट इंडिया मूवमेंट अन्तर्गत संचालित विभागीय खेलकूद गतिविधियां

स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत शालेय विद्यार्थियों को विद्यालय से राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर तक खेलों का आयोजन एवं सहभागिता के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया फिट इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष से स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी संवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों (महिला एवं पुरूष) के लिये व्यवस्थित रूप से राज्य स्तरीय विभागीय अधिकारी/कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लैदर बॉल क्रिकेट दिनांक 16 से 2 जनवरी 2020 तक खण्डवा, टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 06 से 10 फरवरी 2020 तक उमरिया, कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता (महिला/पुरूष) 08 से 10 फरवरी 2020 तक पचमढ़ी एवं बैडमिंटन व टेबल-टेनिस (महिला/पुरूष) 14 से 1 फरवरी 2020 भोपाल का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 09 संभागो सहित राज्य शिक्षण संस्थान की टीमों ने सहभागिता की। इसमें 6 खेलों में जिले/संभाग स्तर पर लगभग 1700 तथा राज्य स्तर पर 1000 से अधिक अधिकारी/ कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में सहभागिता की।

संचालनालय स्तर पर भी रोप स्कीपिंग, टेबल-टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकशी एवं टेनिस बाल क्रिकेट मैत्री मैच का आयोजन 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित किये जा रहे है, जिसमें विजेता एवं सहभागियों को पुरूस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे है।

3.1.1.17 ग्रंथालय

विभाग के प्रदेश में पॉच केन्द्रीय पुस्तकालय है। शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल, शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर एवं छत्तीस-जिलों में जिला पुस्तकालय संचालित है-

भोपाल	सीहोर	रायसेन	राजगढ	विदिशा	जबलपुर
नरसिंहपुर	छिन्दवाडा	सिवनी	मंडला	बालाघाट	धार
झाबुआ	खरगौन	खण्डवा	सीधी	सतना	सतना(नागौद)
ग्वालियर	भिण्ड	मुरैना	गुना	दतिया	शिवपुरी
उज्जैन	शाजापुर	रतनलाम	देवास	सागर	दमोह
पन्ना	छतरपुर	टीकमगढ	बैतूल	होशंगाबाद	शहडोल

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अधिग्रहित स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी (पूर्व में ब्रिटिश लाइब्रेरी) भोपाल को भी संचालित किया जाता है

मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल- मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल शहर में एक शिक्षा केन्द्र के रुप में तेजी से विकसित होती लाइब्रेरी है। इस वर्ष मुख्य गतिविधियों में इण्डिया क्विज 2018, पृथ्वी सम्मेलन, ग्रेजूएट ग्रूमिंग, आत्मविश्लेषण प्रतियोगिता, नई कलम रचना पाठ, ओपन मोटिवेशनल सेमिनार, खेल दिवस प्रतियोगिताएं, हिन्दी दिवस प्रतियोगिताएं आदि। विगत एक वर्ष पुस्तकालय के लिए विविध उपलब्धियों भरा रहा। वॉटर प्रूफिंग एवं सेंट्रल कूलिंग सिस्टम, सोलर पैनल भी लगवाए गए।

शासकीय श्री अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर- केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर को राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन प्रोजेक्ट अंतर्गत चयन होने से मॉडल लाईब्रेरी में विकसित किये जाने हेतु स्वीकृत राशि बजट राशि रुपये-87.00 लाख में से 50.00 लाख रुपये भवन के सुदृढीकरण, भवन के रंगरोगन एवं 37.00 लाख रुपये पुस्तकालय के विकास हेतु तकनीकी सामग्री, दृष्टिबाधित जन हेतु तकनीकी आवश्यक सामग्री, प्रिन्ट बुक्स, ई-जनरलस्, ई-बुक्स् आदि क्रय किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भवन के सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत राशि मे से प्रथम किस्त संबधित एजेंसी को प्राप्त होकर कार्य प्रारंभ हो चुका है। पुस्तकालय में वर्ष भर में विशेष आयोजकों/संस्थाओं जैसे- विचार मंच, रंजन कलश, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, पाठक संसद, हिन्दी परिवार, सृजन संवाद, इन्दौर लेखिका संघ, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, क्षितिज आदि द्वारा काव्य पाठ, रचना पाठ, साहित्यिक गोष्ठी लाइब्रेरियनस् डे, पुस्तकालय दिवस का आयोजन किया जाता है, जहॉ विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते है एवं उन्हें नि:शुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर- पुस्तकालय में प्रतिमाह इवेन्टस् का आयोजन किया जाता है। पाठकों में रीडिंग हैबिटस् का विकास हुआ है। इस वर्ष पुस्तकालय में मुख्य रुप से आयोजित होने वाले इवेन्टस में मॉक टेस्ट, कैरियर गाइडेन्स्, निबंध प्रतियोगिताएं, ग्रुप डिस्कशन, पेटिंग प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन, वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिताएं रही। शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय में स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है

केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर- केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर में फर्स्ट सेन्ट्रल इण्डिया पैरेन्टल फैस्ट-प्रगल्भ प्रतियोगिता के अंतर्गत नाट्य, गायन, कहानी लिखो, चित्रकला का आयोजन किया गया है। पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी, विशेष दिवसों पर गोष्ठी/सेमिनार का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत मॉक टेस्ट तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है।

केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा- केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा में महापुरुषों की जीवनियों पर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां, साहित्यकारों की आमंत्रित कर आयोजित की गई। शिक्षक दिवस, गांधी जयन्ती, स्व. लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, श्री भगत सिंह जयंती, श्री विश्वकर्मा जयंती के साथ ही राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किये जाते है।

जिला पुस्तकालय भोपाल एवं जिला पुस्तकालय सीहोर में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त कहानियां, कविता, योग, उपन्यास, विज्ञान, नाटक, महिला सशक्तिकरण आदि पर कुल 18450 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें हिन्दी की 12,250 एवं अंग्रेजी की 6200 पुस्तकें उपलब्ध है।

जिला पुस्तकालय राजगढ़ में प्रतिवर्ष पंचमी, गांधी जयंती, दशहरा एवं दीपावली के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिनमें पुस्तकालय के नियमित सदस्यों के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राएँ भी सम्मिलित होते हैं।

जिला पुस्तकालय नरसिंहपुर में आने वाले विभिन्न वर्ग के पाठकों को पत्र-पत्रिकाओं एवं सभी प्रकार के दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध कराये जाते हैं। पुस्तकालय में शहरी एवं ग्रामीण अंचलों से परीक्षाओं की तैयारी होती है।

जिला पुस्तकालय छिन्दवाड़ा में सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना की गई है एवं एक हॉल का निर्माण कार्य किया गया है।

जिला पुस्तकालय सिवनी में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है एवं सदस्यों की संख्या 213 है।

जिला पुस्तकालय मण्डला के नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस प्रारंभ की गई हैं। जिनमें छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अतिथि विद्ववानों द्वारा मार्गदर्शन। प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामाजिक पत्रिकाएं क्रय की जाती हैं। पुस्तकालय में महापुरुषों की जयंती, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय दिवसों पर समारोह आयोजित किये जाते हैं ।

नागौद (सतना) जिला पुस्तकालय में कैरियर काउंसलिंग, जागरुकता शिविर, हैपेटाइटिस जागरुकता एवं अन्य जागरुकता शिविरों का आयोजन किया गया है।

जिला पुस्तकालय गुना में उपलब्ध लगभग 25000 पुस्तकों का ऑटोमेंशन कार्य किया जा रहा है। पुस्तकालय में कुल सदस्यों की संख्या 1000 है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला पुस्तकालय ज्ञान लाइब्रेरी के आदेश के अनुरुप पुस्तकालय संचालन का समय 12 घन्टे किया गया है अर्थात अब प्रात: 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक संचालित हो रहा है। पाठकों की मांग के अनुरुप म.प्र. लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये नवीन साहित्य उपलब्ध कराया जाता है।

जिला पुस्तकालय शाजापुर पूर्व में किराये के भवन में संचालित होता था परन्तु अब एकीकृत शासकीय मा.वि. महालक्ष्मी शाजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये कक्षों किला परिसर शाजापुर में वर्ष 2019 से संचालित किया जा रहा है।

जिला पुस्तकालय रतलाम में विशेष सदस्यता अभियान विभिन्न स्कूलों एवं महाविद्यालयों में चलाया जाकर पाठकों की संख्या में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि शासन की योजना का लाभ अधिक से अधिक जनता तक पहुँचाया जा सके। वर्तमान में पंजीकृत पाठकों की संख्या 2800 है।

जिला पुस्तकालय देवास में समय समय पर साहित्यकारों द्वारा काव्य गोष्टी का आयोजन किया जाता है, पुस्तकालय में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भ्रमण कराकर ज्ञानवर्धक पुस्तकें एवं अन्य जानकारियॉ उपलब्ध कराई जाती है। शासकीय हाई/उ.मा.वि./प्रा.वि./मा.वि. के छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय में आने के लिए संस्था प्रधान को पत्र जारी किये गये, ताकि सभी विद्यार्थी पुस्तकालय का लाभ ले सकें।

जिला पुस्तकालय पन्ना में विगत एक वर्ष से स्टडी सेंटर का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लाभान्वित हो रहे हैं।

जिला पुस्तकालय बैतूल में पाठकों की सुविधा को ध्यान में विगत वर्षों से स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था है। पुस्तकालय में आने वाले पाठकों की संख्या बढ़ाने हेतु सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिला पुस्तकालय शहडोल में पुस्तकों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वाचनालय के हाल में कॉच पार्टीशन का कार्य एवं पेयजल हेतु आरो एवं वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय के लिये पेयजल की व्यवस्था हेतु नलकूप खनन कर पानी की व्यवस्था की गई है।

स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी- वर्ष 2019 से स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी बेबसाईट का कार्य शुरु किया गया है। मैप आई टी द्वारा निर्मित किये जा रहे वेबसाईट का पहला फेज लाईव हो चुका है। इसमें लाइब्रेरी में उपलब्ध कलेक्शन, सदस्यता शुल्क, नई किताबों की लॉजिंग एवं आगामी इवेन्टस् की जानकारी इत्यादि शामिल है। इसका डोमेन svlbpl.mp.gov.in है। इस वर्ष के अंत में इसका दूसरा फेज भी पूरा हो जायेगा। जिससे ऑनलाईन पेमेंट गेटवे और सदस्यों के लिए बुक डिस्कशन फोरम भी शामिल रहेगा। वर्ष 2019 में स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी के कैटलॉग को भी ऑनलाइन किया गया है। लाइब्रेरी के कलेक्शन में लगभग 3000 नई किताबें शामिल की चुकी हैं। नोबेल पुरुस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के ऑथर अभिजीत बैनर्जी की नई किताब गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स भी शामिल है। प्रति माह इवेंट्स का आयोजन किया गया, गॉधी जयंती पर भी युवा चर्चा की गई।

3.1.1.18 हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी नवीन विद्यालय

विगत तीन वर्षों में राज्य योजना मद से माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी शाला में उन्नयन की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	वर्ष	हाईस्कूल	हायर सेकण्डरी
1	2017-18	520	240
2	2018-19'	24	20
3	2019-20'		

वर्ष 2018-19 एव 2019-20 में प्रावधानित 200 हाईस्कूल एवं 200 हायर सेकेण्ड्री शालाओं में से 01 जनवरी 2019 तक उन्नत शालाओं की जानकारी दर्शाई गई है। शेष की कार्यवाही प्रचलन में है।

3.1.2 राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत प्रमुख राज्य योजनाएं

3.1.2.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

वर्ष 2019-20 में शासकीय प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं, म.प्र.मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं म.प्र.संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्कृत शालाओं के लगभग 66.74 लाख (प्रावधिक आंकड़े) बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण किया गया है।

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	75.76	72.52	67.52

3.1.2.2 निःशुल्क साईकल वितरण

शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् ऐसे बालक-बालिकाएं जो कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के पश्चात् कक्षा 6 में अध्ययन हेतु अन्य गाँव की माध्यमिक शाला में प्रवेश लेते हैं, वे निःशुल्क साईकल वितरण योजनांतर्गत पात्र हितग्राही हैं। वर्ष 2016-17 के पूर्व पात्र बच्चों को साईकिल के लिये रूपये 2300/- के मान से राशि प्रदान की जाती थी। वर्ष 2016-17 से साईकिल प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2016-17 में लगभग 1.75 लाख पात्र बच्चों को साईकल वितरित की गई। वर्ष 2017-18 से योजना में परिवर्तन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी, जो कक्षा 6वी एवं 9वी में अध्ययनरत हैं तथा उसी ग्राम के ऐसे मजरे-टोले में निवासरत हैं, जो उस माध्यमिक/हाईस्कूल से 2 किमी. की अधिक दूरी पर हैं, को सम्मिलित किया गया है, एवं ग्रामीण अंचलों में स्थित कन्या छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी जिनकी माध्यमिक/हाईस्कूल शाला 2 कि.मी. या उससे अधिक दूरी पर स्थित है, को सम्मिलित किया गया है। सत्र 2019-20 में प्रावधान अनुसार पोर्टल में पात्र लगभग 1.83 लाख छात्र/छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण का लाभ दिया गया।

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
निःशुल्क साईकल वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	1.76	1.95	1.80

3.1.2.3 सामान्य निर्धन वर्ग के परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण

शासकीय शालाओं में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत् सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवार, जिनकी आय रू 1,00,000/–वार्षिक से कम है, के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदाय योजना वर्ष 2008–09 से आरम्भ की गयी है। इसके अनुसा बालिकाओं को रू. 300/– वार्षिक तथा बालकों को रू. 200/–वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। वर्ष 2018–19 में सम पोर्टल के माध्यम से सामान्य निर्धन वर्ग के बच्चों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रही है।

3.1.2.4 निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना

शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के दर्ज बालक/बालिकाओं में से सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से ऊपर के बालक/बालिका को निःशुल्क गणवेश हेतु राज्य योजना से राशि दी जा रही है। वर्ष 2019–20 में भार शासन द्वारा निःशुल्क गणवेश प्रदाय हेतु अनुदान राशि रूपये 600/– प्रति बालक/बालिका के मान से प्रावधानित की गई है शासकीय शालाओं में कुल नामांकन 64,95,263 हैं। कुल नामांकन में से 5351764 छात्रों के लिये गणवेश की राशि 600/ प्रति छात्र की दर से कुल राशि रूपये 3211058400 समग्र शिक्षा अभियान से प्रदाय की गई हैं। शेष 11,43,499 छात्रों क 600/– प्रति छात्र की दर से कुल राशि रूपये 68,60,99,400 राज्य योजना मद से प्रावधान किया गया हैं। शासन के निर्ण अनुसार गणवेश की राशि छात्र/छात्राओं को शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से पालकों/ छात्र/छात्राओं के खातों में सीधे ज की गई हैं।

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18
नि:शुल्क गणवेश वितरण (लाभांवित बच्चे लाख में)	74.30	71.32	67.42

3.1.2.5 मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

स्थापना

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की संस्थापना 04 नवंबर सन् 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय निकाय-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई थी। इसके अन्तर्गत समस्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

उद्देश्य

प्रदेश में एस.सी.ई.आर.टी. के गठन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं -

1 राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान, शोध हेतु योजना तैयार कर क्रियान्वित कराना।

2 औपचारिक एवं गैर औपचारिक स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें विकसित करना।

3 शैक्षिक गतिविधियों एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

4 शिक्षा में उचित मूल्यांकन की तकनीक और प्रक्रिया का विकास करना।

5 शिक्षकों की विषयगत आवश्यकताओं का आंकलन कर सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना।

6 भावी शिक्षक तैयार करने हेतु सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कराना।

7 प्रारंभिक शिक्षा में लोक व्यापीकरण तथा गुणात्मक सुधार का कार्य करना।

8 शैक्षिक समस्याओं को हल करने में परस्पर समन्वय एवं निदानात्मक प्रक्रिया विकसित करना।

9 प्रदेश में प्रशिक्षण प्रभाग के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

10 सेवारत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना एवं उन्हें उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान करना।

11 सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु कार्यक्रम आयोजित कराना।

12 शैक्षिक प्रक्रिया/प्रविधियों/तकनीकी विकास हेतु नवाचार को प्रोत्साहित करना।

13 विद्यालयीन शैक्षिक गतिविधियों की अकादमिक मॉनिटरिंग आयोजित करना।

14 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसाओं एवं नीतियों के अनुरूप डाईट्स, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों इत्यादि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास सुनिश्चित करना।

कार्यक्षेत्र

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् भोपाल का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है। इसके अधीन निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं -

1 आंग्ल भाषा अध्यापन संस्थान, (ई.एल.टी.आई) भोपाल

2 प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.) भोपाल एवं जबलपुर,

3 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (एस.आई.एस..ई.), जबलपुर

4 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) ग्वालियर, देवास, खंडवा, उज्जैन, छतरपुर, और रीवा

5 शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर

6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) – 47

7 पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान (पी.पी.टी.आई.), जबलपुर

3.1.2.6 सहयोगी उपक्रम / संस्थाएं -आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (E.L.T.I.)

अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री निर्माण में गुणात्मक विकास करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल की स्थापना सन् 1964 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के अंतर्गत कार्यरत एक राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। इसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्य निम्नलिखित हैं :-

उद्देश्य :

(i) राज्य की उच्चतर/उच्च/माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा अध्यापन में गुणात्मक सुधार करना।

(ii) विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना।

(iii) राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय की आधुनिक पद्धति से अवगत कराना एवं उन्हें प्रशिक्षित करना।

(iv) नवाचार कार्यों, विशेषतया कक्षोन्मुखी शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

(v) शिक्षकों/शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए दीर्घकालीन/अल्पकालीन अवधि के उन्मुखीकरण/कार्यशाला / सेमीनार इत्यादि आयोजित करना।

(vi) ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में कार्यरत शिक्षकों हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(vii) अंग्रेजी भाषा के मूल्यांकन के क्षेत्र में एवं प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य में सहयोग करना।

(viii) समय-समय पर विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन एवं मूल्यांकन करना।

(ix) आंग्ल भाषा अध्यापन क्षेत्र में सतत् उन्नयन एवं स्तरीकरण हेतु अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन लेना।

कार्यक्षेत्र

संपूर्ण राज्य के समस्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

वित्तीय प्रावधान

इस संस्थान को म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सन् 1988 से ई.एल.टी.आई. सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से सन 2016 तक प्राप्त होती रही है।

सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

यह संस्थान प्रदेश के सभी स्तरों के शिक्षकों के लिये विभिन्न नियमित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व उन्मुखीकरण/सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित करता है।

1. पी.जी.डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश

इस संस्थान द्वारा एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम चलाया जाता है, जो बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इस पाठ्यक्रम में राज्य के शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अंत

आने वाले उच्चतर/उच्च/माध्यमिक विद्यालयों एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के व्याख्याताओं/शिक्षकों/अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मैथडॉलॉजी (अंग्रेजी भाषा की शिक्षण विधियां), ग्रामर (व्याकरण), फॉनेटिक्स (स्वर विज्ञान), लिंग्विस्टिक्स (भाषा विज्ञान) एवं टीचिंग मटीरियल (पाठ्यक्रम एवं सिलेबस डिजायन से संबंधित) विषय पढ़ाये जाते हैं। चूँकि यह सेवाकालीन प्रशिक्षण है अत: प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अभ्यासपाठ हेतु स्कूलों में भी शिक्षण कार्य किया जाता है। उक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षित शिक्षक राज्य द्वारा आयोजित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामग्री निर्माण तथा पाठ्य-पुस्तक लेखन आदि में अपना सक्रिय योगदान देते हैं।

2. मासिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

इस संस्थान द्वारा अंग्रेजी भाषा का मासिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में राज्य के शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले उच्चतर/उच्च/माध्यमिक/ प्राथमिक विद्यालयों एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के व्याख्याताओं/शिक्षकों/अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मैथडॉलॉजी (अंग्रेजी शिक्षण विधियां), ग्रामर (व्याकरण), फॉनेटिक्स (स्वर विज्ञान), अंग्रेजी लेखन शिक्षण जैसे विषय पढ़ाये जाते हैं।

3. EMPower Project ;ब्रिटिश काउंसिल) का समन्वयन

ब्रिटिश काउंसिल द्वारा प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के उज्जैन संभाग के सभी जिलों एवं सीहोर जिले के प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रोजेक्ट के अर्न्तगत लगभग 210 मास्टर ट्रेनर्स एवं 8000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

4. प्राथमिक शिक्षकों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण

राज्य शासन ने प्रदेश के बच्चों की आवश्यकता व बच्चों के पालकों की मांग को देखते हुए कक्षा 01 से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन सन् 2000 से प्रारंभ किया। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य इस संस्थान को दिया गया।

5. सेमीनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएं

इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित सेमीनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं -

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये उन्मुखीकरण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना।
- पाठ्यपुस्तक लेखन, पुनरीक्षण व मूल्यांकन हेतु कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना व प्रशिक्षण आयोजित करना।
- प्रदेश के विद्यालयों के व्याख्याताओं/शिक्षकों के लिये उपयोगी विषयों जैसे कि ब्सेंतववउ Interaction/ Language Game आदि पर कार्यशालाएं आयोजित करना।
- शिक्षक प्रशिक्षकों/शिक्षकों के लिए ज्मसमबवदमितमदबपदह आयोजित करना।
- हेड स्टार्ट केन्द्रों के लिये अंग्रेजी भाषा की सी.डी. का निर्माण करना।
- प्राथमिक शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा की ऑडियो सी.डी. का निर्माण करना।
- वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा शिक्षकों का उन्मुखीकरण।

3.1.2.7 बायलिंगुअल (Bilingual Books) पुस्तकें

कक्षा 1 एवं 2 हेतु बायलिंगुअल पुस्तकों का निर्माण किया गया, इसमें बच्चों की रीडिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए चित्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में सरल वाक्य दिये गये हैं एवं अंग्रेजी वाक्यों के नीचे उनका हिन्दी में उच्चारण एवं अनुवाद भी दिया गया है। प्रदेश की प्राथमिक शालाओं के बच्चों में अंग्रेजी भाषा के प्रति रूचि जागृत करने व सहायक पठन

सामग्री के रूप में वर्ष 2015-16 में रीड फॉर फन अंतर्गत लेवल 1 व 2 की 08 रंगीन बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण किया गया

1. माय कैट 2. नम्बर राइम 3. इट्स माय डे 4. नटी द स्क्विरिल
5. एट द फेयर 6. रैटीज होल 7. इन अ टॉय शॉप 8. बबलूज़ स्वीट्स

उपरोक्त पुस्तकों के 03 सेट्स प्रति शाला व एक-एक सेट डाइट, जिला शिक्षा केन्द्र व बी.आर.सी.सी. को भी उपलब्ध कराये गए। वर्ष 2017-18 में 05 बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण लेवल 3 व 4 हेतु किया गया व प्रति शाला 05 पुस्तकों के 2-2 सेट्स उपलब्ध कराए गए-

1. बिग और स्मॉल 2. माय बेबी 3. माय मेंगो ट्री 4. माय फेमिली 5. अवर फेस्टिवल्स

वर्ष 2019-20 में level V हेतु 10 बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण किया गया है। प्रति प्राथ.शाला व माध्यमिक शाला हेतु 2-2 सेट्स व 100 से अधिक नामांकन वाली शालाओं में 1-1 सेट और उपलब्ध कराया जाना है:-

1. फाइव फिंगर्स मेक अफ्रिस्ट 2. जिमी एण्ड गिनी 3. माय क्यूट लिटिल सिस्टर
4. रिडिल्स 5. राउण्ड द ईयर 6. द परफेक्ट परसन 7. वॉट अ ट्रेजर
8. हू एम आय 9. सिक्स फ्रेण्ड्स 10. तोषू एण्ड किटी इंन स्पेस

इन पुस्तकों का निर्माण प्राथमिक शाला के बच्चों की रूचि के अनुसार किया गया है। पुस्तकों में आकर्षक रंगीन चित्र हैं व पाठ्यवस्तु बच्चों के परिवेश से ही ली गयी है। पुस्तकों में अंग्रेजी के छोटे-छोटे शब्दों, वाक्याशों व वाक्यों कहानियों का प्रयोग किया गया है। बच्चे स्वयं पढ़ सकें, इसलिए देवनागरी में अंग्रेजी भाषा का उच्चारण भी दिया गया है।

3.1.2.8 परस्पर रेडियो संवाद Interactive Radio Instruction (आई.आर.आई.)

Interactive Radio Instruction आई.आर.आई. का अर्थ है परस्पर रेडियो संवाद। सामान्यत: जब हम रेडियो सुनते हैं तो वह केवल एक तरफा संवाद होता है। हमें वह सब चुपचाप सुनते रहना होता है, जो रेडियो से प्रसारित होत है। जब इसमें Interaction जुड़ जाता है तब आप चुपचाप बैठे एक श्रोता नही रह जाते। आपको रेडियो में बताई जा रही बात को सुनने के साथ-साथ कुछ ना कुछ गतिविधि भी करनी पड़ती है। मध्यप्रदेश में यह कार्यक्रम सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के शिक्षण सहयोग हेतु "इंग्लिश इज़ फन" कार्यक्रम के नाम से शैक्षणिक सत्र 2005-06 में, कुछ चुने हुये क्षेत्रों में प्रायोगिक तौ पर प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का विस्तार करते हुये वर्ष 2009-10 से 4 रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण पूरे प्रदेश में किय जा रहा है। इन कार्यक्रमों का प्रसारण विवरण निम्नानुसार है-

(i) इंग्लिश इज फन लेवल-1

कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

(ii) इंग्लिश इज फन लेवल-2

कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

(iii) झिलमिल

कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित, विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों की कठिन अवधारणाओं पर आधारित कार्यक्रम।

3-1-2-9 शाला दर्पण (अकादमिक मॉनिटरिंग) -

शाला स्तर पर होने वाली विभिन्न अकादमिक एवं अधोसरंचना आधारित संचालित गतिविधियों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। अकादमिक गतिविधियों की मॉनीटरिंग NIC के सहयोग से तैयार किये गए शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से सत्र 2019-20 में जुलाई 2019 से अद्यतन स्थिति तक राज्य की लगभग एक लाख से अधिक शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में लगभग ग्यारह हजार से अधिक निरीक्षण कर्ताओं ने स्वयं के स्कूल के साथ

मध्य प्रदेश शाला दर्पण

हमव-जंह फोटो के साथ सात लाख से अधिक निरीक्षण मोबाइल एप्प के माध्यम से किये गए।

शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक माह के प्रारंभ में जिला, विकासखंड, जनशिक्षा केंद्र स्तर के विभिन्न निरीक्षणकर्ताओं को राज्य स्तर से ही निरीक्षण हेतु शालाओं का आवंटन किया जाता है। जिससे जिले के दूरस्थ अंचल के समस्त स्कूलों का भ्रमण सुनिश्चित किया गया।

प्रत्येक निरीक्षणकर्त्ताओं को एक दिवस में अधिकतम दो शालाओं का भ्रमण करने निर्देश थे। सिस्टम से ये चेक लगाया हुआ है कि यदि किसी ने एक ही शाला का भ्रमण एक दिन में एक से अधिक बार किया है तो प्रथम रेस्पोंस को ही सिस्टम निरीक्षण को दर्ज करता है। ऐसा करने से हम ये सुनिश्चित करते है कि एक स्कूल का एक दिन में एक ही बार निरीक्षण हो।

मॉनीटरिंग के परिणाम पर समस्याओं को चिन्हांकित करते हुये इशू ट्रिगर में लिया गया। इशू ट्रिगर के आधार पर कार्यवाही कर स्कूल स्तर पर अकादमिक फील्ड सपोर्ट सपोर्ट दिया गया एवं अगले माह की विजिट की योजना, पोर्टल से ही ऑटो जनरेट कर बनाई जा रही है।

"शाला दर्पण" पोर्टल पर जिले, विकासखंड, संकुल स्तर के डैशबोर्ड/रिपोर्ट्स उपलब्ध है।

विभाग द्वारा पहली बार सत्र 2019-20 के प्रत्येक त्रिमाही में प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में "शाला दर्पण" के माध्यम से लगभग शत-प्रतिशत भ्रमण करना सुनिश्चित किया गया है।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.2.1 समग्र शिक्षा अभियान

"सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा" 1 अप्रैल 2018 से मार्च 2020 तक के लिए भारत शासन द्वारा नई एकीकृत शिक्षा योजना कार्यक्रम प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी तक लागू की गयी है
इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) समाहित है

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुावत्ता युक्तशिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के अंतर्गत बिन्दुओं को दर्शाया गया है।

उद्देश्य

- गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिशचित करना
- व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना
- निरूशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करना

शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शिक्षक शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (DIETs) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।

3.2.2 समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री एजुकेशन)

प्रदेश में 2009 से सेकेण्डरी एजुकेशन हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से योजना आरंभ की गई थी। भारत शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, योजना में बालिका छात्रावास, आई.सी.टी.@ स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेकेण्डरी स्तर पर समावेशित शिक्षा (IEDS) को एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत समन्वित समस्त योजनाओं यथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास, आई.सी.टी.@ स्कूल, माध्यमिक स्तर पर विकलांगो की समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.), व्यावसायिक शिक्षा के लिए वर्ष 2015-16 से इन सभी योजनाओं के लिए भारत शासन द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुपात 60:40 कर दिया गया है। भारत शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 12 के लिए समग्र शिक्षा अभियान का संचालन किया जाना है। अत: वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति तथा सर्व शिक्षा अभियान समिति को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान समिति गठित की गयी है।

सूचकांक	2007.08	2018-19
सकल पहुँच दर - GAR	60%	83%
सकल नामांकन दर -GER	41.1%	80.69%
शाला त्याग दर (सेकण्डरी स्तर)	27.7%	14.0
कक्षा 8 से 9 में अंतरण दर	58.6%	85.8%
जेंडर पेरिटी इंडेक्स-GPI	0.67	0.98

प्रगति-सूचकांक

क्रियान्वयन ढाँचा

समग्र शिक्षा अभियान समिति का गठन किया गया है। समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य सचिव है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्वशिक्षा अभियान का एकीकरण किया गया है।

शाला स्तर - शाला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति गठित की गई है।

अभियान की प्रगति

- **शाला का उन्नयन**-अभी तक भारत शासन द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार 1858 माध्यमिक शालाओं में से 1856 का हाईस्कूल में उन्नयन कर दिया गया है। सभी शालाएं आरंभ हो चुकी है।
- 125 विद्यालयों में संकाय आरम्भ कर दिया गया है।
- **भवन निर्माण** - शाला भवनो के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को सौंपा गया है। पूर्व में स्वीकृत 944 में से 937 भवन निर्मित हो चुके है। 34 लाख के 979 भवनों में से 969 पूर्ण हो चुके है। नव उन्नत स्कूलों में से 912 स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसमें से 581 भवन निर्मित हो गए है तथा 135 भवन फिनिशिंग एवं शेष अन्य स्तर पर है।
- हाई स्कूलों के लिए 5868 अतिरिक्त कक्ष, 1844 विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, 2744 गतिविधि (आर्ट, क्राफ्ट, संस्कृति) कक्ष, 2448 पुस्तकालय कक्ष, 3303 शौचालय एवं 1282 पेयजल सुविधा की स्वीकृति दी गई है। इन शालाओं में निर्माण का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। अभी तक इन कार्यों में से 16104 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष निर्माणाधीन है।
- गत वर्ष तक सभी शालाओं को रू. 50,000/- प्रति स्कूल के मान से वार्षिक स्कूल ग्रांट प्रतिवर्ष जारी की गई है। इस वर्ष से नामांकन के आधार पर शालाओं को राशि जारी करने का प्रावधान किया गया है।
- 9665 अतिरिक्त शिक्षकों के पद की स्वीकृति जारी कर पदपूर्ति की गई है।
- सभी जिलों में प्रतिवर्ष विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है।
- 18000 शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण संपन्न किया गया है।
- लगभग 90000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **विज्ञान मेलों का आयोजन**- प्रदेश में सभी विकासखंडों में जादू नहीं विज्ञान के नाम से विज्ञान मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को विज्ञान के ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया, जिन्हें प्रदर्शित कर ढोंगी व्यक्ति जन सामान्य में अंधविश्वास पैदा करते है।
- **विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट)** - भ्रमण यात्रा विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्त्रोत होता है। इससे छात्रों में अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है तथा विद्यार्थियों में कुशलता आत्मविश्वास, नेतृत्व के गुण विकसित करने में सहायता मिलती है। दिसंबर माह से लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट कराई जा रही है।
- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए 2,000 स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित किये जा रहे है। लगभग 1,68,452 बालिकाएं लाभांवित हुई है।
- **जीवन कौशल शिक्षा** - किशोरावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक, मानसिक बदलावों के साथ परिपक्वता आती है। किशोरावस्था के इस दौर में शारीरिक, मानसिक बदलाव होते है। किशोर आयु के बच्चे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपनी पहचान के प्रति अत्यधिक सचेत होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा (उमंग) आरंभ किया गया है। मॉड्यूल में स्वजागरूकता, संप्रेषण, हमारे संबंध समूह भावना, किशोरावस्था से परिचय, स्वास्थ्य, पोषण जेंडर, हिंसा एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को लिया गया है। उमंग सेशन के संचालन हेतु मॉनिटरिंग एवं मेंटरिंग का कार्य मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से कराया गया।
- वर्ष 2017-18 में लगभग 1874 शालाओं में संचालन
- 5.62 लाख विद्यार्थी लाभांवित हुए

- 2018-19 में बेसिक मॉड्यूल को सभी 9000 विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया।
- 2019-20 के लिए कक्षावार मॉड्यूल तैयार कराए गए। जिसमें कक्षा 9,10 एवं 11 के लिए पृथक्-पृथक् मॉड्यूल का परीक्षण किया गया।
- संचालन हेतु मास्टर ट्रेनर्स का चयन साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से किया गया।
- मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मॉनिटरिंग
- प्रत्येक शाला से नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया। प्राचार्यों का ओरिएंटेशन किया गया।
- उमंग केलेण्डर तैयार किया गया
- अभिरूचि परीक्षण (इंट्रेस्ट टेस्ट) - शासकीय शालाओं में कक्षा 10वी में दर्ज समस्त बच्चों के लिए इंट्रेस्ट टेस्ट की व्यवस्था प्रत्येक स्कूल स्तर पर की गई है ताकि बच्चों की प्रतिभा, क्षमता का आंकलन कर उन्हें दिशा दी जा सके।
- एप्टीट्यूड टेस्ट एवं केरियर काउंसलिंग - कक्षा 10वी के विद्यार्थियों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट एवं केरियर काउंसलिंग की कार्यवाही अप्रैल से जून के मध्य की गई है ताकि बच्चों का अपने केरियर के लिए विकल्पों के प्रति विजन तैयार हो सके एवं वे बेहतर विकल्पों का चयन कर सकें। समस्त स्कूलों से एक-एक शिक्षक को काउंसलर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2019-20 में दिसंबर माह तक लगभग 6 लाख विद्यार्थियों का इंट्रेस्ट एवं एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया गया है।

बालिका छात्रावास

प्रदेश में 201 विकासखंड शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े है। इन सभी विकासखंडों में 100 सीटर बालिका छात्रावास कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए संचालित है। छात्रावास के लिए 50 प्रतिशत सीटें अजा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित है। बालिकाओं के चयन हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, आश्रम शालाओं में कक्षा 8 पास करके आने वाली बालिकाओं, अस्थि बाधित बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं जिनके ग्राम में स्कूल की दूरी अधिक है, मॉडल स्कूल में प्रवेशित बालिकाएं को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में 20100 के लक्ष्य के विरूद्ध 21245 बालिकाएं दर्ज है। छात्रावास निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को सौंपा गया है। इसमें से 192 छात्रावास पूर्ण हो चुके है।

आई.सी.टी.@स्कूल

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में वर्ष 2005-06 में 230 विद्यालयों का चयन किया गया था, जिनमें कम्प्यूटर लेब हेतु 10-10 कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। 2151 स्कूलों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। शिक्षकों का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया है। अभी तक 5000 शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं।

दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्तों का प्रदाय :-

कक्षा 9 से 12 तक के दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में नामांकित कर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान है। आई.ई.डी.एस.एस.योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों को सुविधा भत्ते PFMS के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए पुस्तक, एस्कॉर्ट अलाउंस, स्टेशनरी, गणवेश, परिवहन, रीडर अलाउंस, उपकरण एक्सपोजर विजिट इत्यादि मदों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रू. 3000 के मान से राशि निर्धारित है। वर्ष 2014-15 में 12,073, वर्ष 2015-16 में 12,211, वर्ष 2016-17 में 12,380 एवं 2017-18 में 13073 विद्यार्थी लाभान्वित हुए है। वर्ष 2019-20 में 9,625 बच्चों को रूपये 3,21,29,250/- राशि जारी की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा

प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 2 ट्रेड IT/ IT मे एवं सिक्यूरिटी आरंभ किए गए थे। वर्ष 2016-17 से नवीन 263 विकासखंड स्तरीय विद्यालयों में इसे विस्तारित किया गया है तथा इन विद्यालयों में 8 ट्रेड यथा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, बैंकिंग एण्ड फाईनेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रिकल्स टेक्नालॉजी, हैल्थ केयर, आई.टी./आई.टी.ईएस., फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स, रीटेल, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म संचालित किये गये। वर्ष 2017-18 से नवीन 313 विद्यालयों में 5 ट्रेड यथा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, हैल्थ केयर, आई.टी./आई.टी.ई.एस., फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स ट्रेवल एण्ड टूरिज्म आरंभ किए गए हैं। वर्तमान में लगभग 99039 विद्यार्थी दर्ज है।

सत्र 2019-20 से 576 विद्यालयों में 08 ट्रेड-आई/आई.टीएस, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड हाईवेयर, ब्यूटी एण्ड वैलनैस, रिटेल, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, प्लम्बर एपेरल मेकअप्स एण्ड होम फर्निशिंग आरम्भ किये गये हैं साथ ही सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शास.उ.मा.विद्यालय रामना

जिला-सीहोर में ओटोमोटिव ट्रेड आरम्भ किया गया है। वर्तमान में नवीन व्यावसायिक योजनान्तर्गत प्रदेश के विद्यालयों में लगभग 130630 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

- **एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करना** - शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने कक्षा 9 से 12 में सभी विषयों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों को लागू करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष हमने कक्षा 11वीं में कला संकाय की पुस्तकें एनसीईआरटी की लागू की है। वर्ष 2021-22 तक कक्षा 9 से 12 के लिए सभी विषयों में एनसीईआरटी का पाठयक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें लागू हो जायेंगी।
- **ब्रिज कोर्स** - कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के दक्षता उन्नयन हेतु लगभग 20000 शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया। कक्षा 8 के विद्यार्थी जब कक्षा 9 में आते है तो उनका स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता है। सामान्यत: विद्यार्थी हिन्दी गणित एवं अंग्रेजी विषय में कमजोर होते है तथा पाठयक्रम को समझने में सक्षम नहीं होते हैं और शाला से बाहर हो जाते हैं। इस अंतर को पाटने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ब्रिज कोर्स का संचालन किया गया। विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स हेतु वर्कबुक एवं शिक्षकों के लिए हेंड बुक तैयार कराकर ब्रिज कोर्स का संचालन किया गया। लगभग 9000 शालाओं में लगभग 9 लाख विद्यार्थियों के लिए 25000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।
- **रेमेडियल टीचिंग**- त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में डी एवं ई श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल टीचिंग के रूप में विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही है।
- **कॉपी चेकिंग**- शिक्षकों को विद्यार्थियों की कॉपी चेक करने हेतु निर्देशित किया। जिलों एवं राज्य स्तर के अधिकारियों ने स्कूलों का भ्रमण कर चेक किया कि शिक्षक विद्यार्थियों की सही ढंग से कॉपी जॉचे। गल्तियों में सुधार कराएं।
- **शिक्षक प्रशिक्षण**- 19000 शिक्षकों को NCERT की पुस्तकों, ब्रिज कोर्स इत्यादि में प्रशिक्षण दिया गया। ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से इस वर्ष 2500 अंग्रेजी विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया। ग्रीष्मावकाश में सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में शिक्षकों के लिए अंग्रेजी विषय के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन ब्रिटिश काउंसिल से कराया जा रहा है।

बजट एवं व्यय -अंकेक्षित -राशि रू. लाख में वर्ष 2018-19

विवरण	कुल
विगत वर्ष का शेष	-21289.3
भारत शासन से प्राप्त राशि	42999.99
राज्य शासन से प्राप्त राशि	28666.64
अन्य प्राप्तियॉ -ब्याज इत्यादि	433.21
कुल उपलब्ध	50810.58
व्यय	24230.29
अंतिम शेष	26580.29

3.2.2.1 नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं तथा शासन से अनुदान प्राप्त सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान है। शाला प्रबन्धन समितियां, अपनी शाला की शाला विकास योजना तैयार करने एवं स्थानीय स्तर पर शाला प्रबन्धन के कार्य दायित्वों का निर्वहन करती हैं। उक्त प्रावधान के तहत प्रदेश की समस्त उल्लेखित शालाओं में शाला प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों का कार्यकाल दो वर्षीय समयावधि का होता है। वर्ष 2019-21

हेतु समितियों का गठन वर्ष 2019 में किया गया है। कार्य संचालन एवं क्षमता संवर्धन हेतु संपूर्ण प्रदेश की शाला प्रबन्धन समितियों के चयनित सदस्यों का प्रशिक्षण भी विभागीय पद्धति से किया जा रहा है। शाला प्रबन्धन समितियों में, कक्षावार मेधावी विद्यार्थियों के पालक/अभिभावक, श्रेणीवार वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के मेद्यावी विद्यार्थियों के विधिमान्य रुप से चयनित पालक/अभिभावकों, स्थानीय पंच/पार्षद एवं स्थानीय निकाय के प्रमुख (सरपंच/अध्यक्ष/महापौर) के द्वारा नामित अन्य किसी वार्ड की महिला पंच/पार्षद तथा शाला की वरिष्ठतम् महिला शिक्षिका एवं प्रधान पाठक सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन, पालक/अभिभावक सदस्यों में से किये जाने का प्रावधान है। समिति में 50 प्रतिशत न्यूनतम स्थान महिलाओं हेतु नियत है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011" बनाए गए है। यह नियम 26 मार्च 2011 को अधिसूचित किये गये हैं। नियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :

निजी स्कूलों को मान्यता-

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत यह व्यवस्था है कि सभी निजी स्कूलों को सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पदाविहित अधिकारी बनाया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत स्कूल संचालन के लिए शिक्षक और अधोसंरचना का न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किया गया है। अधिनियम अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रदेश में निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से मान्यता आवेदनों के निराकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयी है। प्रदेश में सत्र 2018-19 की स्थिति में जिलों द्वारा 27754 अशासकीय स्कूलों को मान्यता प्रदान की गयी है।

शिक्षा सुविधा का विस्तार -

बसाहट के नजदीक स्कूल की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी बसाहट में 40 बच्चे उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्कूल और 12 बच्चे उपलब्ध होने पर माध्यमिक स्कूल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। आवश्यक होने पर बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास की व्यवस्था का प्रावधान नियम में किया गया है।

स्कूल खोलने के उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर प्रदेश की बसाहटों में शाला सुविधा उपलब्धता की अधिसूचना जारी की गई है।

निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश -

अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में और यदि स्कूल प्री-स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा में पड़ोस स्थित वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। इन बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा बच्चों के आधार सत्यापन e-KYC कराकर की जा रही है।

अधिनियम के इस प्रावधान के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक लगभग 11.23 लाख बच्चों को निःशुल्क प्रवेश गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में दिया गया है। अधिनियम के इस प्रावधान के तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 में लगभग 1.62 लाख बच्चों को निःशुल्क प्रवेश निजी स्कूलों में दिया गया है। गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिए जाने के लिए मध्यप्रदेश में सत्र 2016-17 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रक्रिया में समस्त पालको को उनके ग्राम/वार्ड, पडोस तथा विस्तारित पडोंस में स्थित अशासकीय स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों को प्रर्दशित किया जाता है पालको को अपनी पसंद के स्कूलों को चयन करके ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके पश्चात सत्यापन केन्द्रों पर सत्यापन हेतु जाकर पात्र/अपात्र का सत्यापन किया जाता है। पात्र बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है। पालको को अपने बच्चें के आवंटि

स्कूल में प्रवेश लेना होता है । आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की गई एवं उसकी सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई। इस पूरी प्रक्रिया से इस वर्ग के बच्चों को बेहतर स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश प्राप्त हो रहा है।

सत्र 2016-17 से अध्ययनरत् बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को और अत्यधिक पारदर्शी करते हुये आर. टी.ई. के तहत प्रायवेट स्कूलों में नि:शुल्क अध्ययनरत् समस्त बच्चों का आधार सत्यापन कराया जाकर उनकी फीस प्रतिपूर्ति प्रारंभ की गई है। फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की ऑनलाईन व्यवस्था की गयी है। इसके तहत पोर्टल के माध्यम से प्रायवेट स्कूलों द्वारा आधार सत्यापन करते हुये ऑनलाइन प्रपोजल बनाया जाकर नोडल अधिकारी को सत्यापन हेतु भेजा जाता है। नोड़ल अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात जिले के सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृति उपरांत जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रानिक पेमेंट आर्डर के माध्यम से फीस की प्रतिपूर्ति की राशि सीधे स्कूल के बैंक खाते में की जाने की व्यवस्था की गयी है।

शिकायतों का निराकरण -

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकार से जुड़ी शिकायतों के निराकरण की जवाबदारी स्थानीय निकायों को दी गई है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन स्थानीय निकाय किस तरीके से करें इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, राज्य शासन द्वारा जारी किए गए है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों के लिए जिला पंचायतों को शिकायत निवारण का दायित्व सौंपा गया है। नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक नगरीय संस्था को यह दायित्व सौंपा गया है।

अधिसूचनाएँ - अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है :-

1. **वंचित समूह** - अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत वंचित समूह को परिभाषित करने की अधिसूचना नवंबर 2010 में जारी की जा चुकी है। इसके अतर्गत निम्न समूहों को वंचित समूह में शामिल किया गया है। दिनांक 03 जून 2017 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें निम्न समूह शामिल हैं:-

   (i) अनुसूचित जाति

   (ii) अनुसूचित जन जाति

   (iii) विमुक्त जाति

   (iv) वन भूमि के पट्टाधारी परिवार/वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार पत्रधारी परिवार

   (v) विकलांग बच्चे

   (vi) एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चे (सत्र 2018-19 से प्रभावशील)

2. **कमजोर वर्ग** - अधिनियम की धारा 2 (ड) के अन्तर्गत कमजोर वर्ग को परिभाषित करने की अधिसूचना नवबंर 2010 को जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को शामिल किया गया है। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है।

3. **अकादमिक प्राधिकार** - अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अकादमिक प्राधिकरण घोषित करने संबंधी अधिसूचना जुलाई 2010 में जारी की जा चुकी है।

4. **राज्य सलाहकार परिषद** - अधिनियम की धारा 34 के अनुसार राज्य शासन द्वारा राज्य सलाहकार परिषद के गठन की कार्यवाही फरवरी 2012 में की जा चुकी है। परिषद के द्वितीय कार्यकाल के गठन की अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 17.03.2015 को जारी की गई है।

5. **उपस्थिति प्राधिकारी** - अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जिलों में कार्यरत जनशिक्षकों को उनके क्षेत्र की शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति प्राधिकारी (Attendance Authority) नामांकित किया गया है।

6. वर्ष 2017-18 में शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 तथा नियम 18 में संशोधन किया गया।

1. नियम 12 में, उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा गया, अर्थात् :-

"(8) (एक) समिति के पालकों या अभिभावकों में से निर्वाचित सदस्य/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को अशोभनीय व्यवहार, नैतिक पतन, कर्तव्य निष्पादन न करने, किसी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की शिकायत पर जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब डिविजन अधिकारी द्वारा पद से हटा दिया जायेगा: परन्तु उस सदस्य को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।

(दो) समिति के अध्यक्ष को, जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब-डिविजन अधिकारी द्वारा समिति की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने की शिकायत पर पद से हटा दिया जाएगा: परन्तु अध्यक्ष को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।

(तीन)सब-डिविजन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील दाखिल कर सकेगा। कलेक्टर, यदि वह विलंब के कारणों से संतुष्ट है, अपील के आवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए माफी दे सकेगा। कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।"

2. नियम 18 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया गया अर्थात् :-

"(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी :-

(क) नियमित आधार पर, बालक की समग्र गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया की रूपरेखा बनाएगा तथा उसका क्रियान्वयन करेगा;

(ख) समस्त प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणाम तैयार करेगा; तथा

(ग) परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत् और व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

अधिनियम के तहत पूर्व में जो मुख्य निर्देश जारी किये गये हैं वह निम्नानुसार है

1. धारा 3 के अनुसार सभी बच्चों को अनिवार्यत: प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जानी है। अत: शासकीय शालाओं में किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नही ली जायेगी जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।
2. धारा 4 के अनुसार चिन्हित शाला से बाहर बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराया जायेगा तथा तदुपरांत उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था आवासीय ब्रिज कोर्स एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से की जायेगी अर्थात कोई भी बच्चा शाला से बाहर नही रहेगा।
3. धारा 5 के अनुसार बच्चों द्वारा शाला छोड़ने पर उसे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तुरन्त प्रदान करने का दायित्व शाला के प्रधानाध्यापक का होगा। ऐसी शाला जो प्राथमिक स्तर तक की हैं उनमें कक्षा 5वीं पास करने वाले बच्चों को अंक सूची के साथ ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में छात्र द्वारा आवेदन करने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 7 दिवस की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। धारा 5 (2) के अनुसार समय सीमा में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान न करने की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. धारा 14 (2) के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश से इंकार नही किया जायेगा
5. धारा 15 के अनुसार किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में या विहित विस्तारित अवधि के भीतर प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।
6. धारा 16 के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नही जाएगा तथा न ही शाला से बाहर किया जाएगा जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नही कर लेता।
7. धारा 17 के अनुसार स्कूल में नांमाकित किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।
8. धारा 24 के अनुसार शाला के शिक्षकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया

इसकी पूर्ति न करने पर शिक्षक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अकादमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:-

(I) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन।

(ii) समयसीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।

(iii) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना।

(iv) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना, और उसके अनुरूप आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पठन पाठन कराना।

(v) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक की उपस्थिति में नियमिता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।

(vi) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो चिन्हित किए जाए।

9. धारा 27 के अनुसार शिक्षकों का जन गणना, चुनाव तथा आपदा राहत को छोड़कर अन्य गैर शिक्षकीय कार्य में नियोजन निषिद्व है।

10. धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्रायवेट ट्यूशन अथवा प्रायवेट रूप से पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकेगा।

11. धारा 29 (2) के अनुसार शाला में बच्चों को गतिविधि आधारित प्रक्रियाओं एवं बाल केन्द्रित गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन कराया जाएगा।

12. धारा 30.(2) के अनुसार प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक लर्निंग रेकार्ड रखना अनिवार्य होगा।

13. अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के घंटे भी निर्धारित हैं:-

न्यूनतम कार्य दिवस/शिक्षण के घंटे

(I) न्यूनतम कार्य दिवस ---- प्राथमिक स्तर -200 दिवस

(ii) न्यूनतम कार्य दिवस ---- माध्यमिक स्तर-220 दिवस

(iii) प्राथमिक स्तर ---- 800 शैक्षणिक घंटे

(iv) माध्यमिक स्तर ---- 1000 शैक्षणिक घंटे

(v) शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे--45 घंटे (पठन पाठन तैयारी के घंटे सहित)

शाला सुविधा उपलब्धता -

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किमी की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी की परिधि में मिडिल शाला उपलब्ध कराई जानी है।
- निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पड़ोस की सीमा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अधिसूचना जारी।

3.2.2.2 स्कूल चलें हम अभियान 2019-20

स्कूल में नामांकन कराने, सतत् रूप से स्कूल आने के लिये प्रेरित करने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "स्कूल चलें हम अभियान" को जन आन्दोलन के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।

नवीन शिक्षा सत्र 2019-20 (स्कूल चले हम अभियान) नवीन शिक्षा सत्र 2019-20 प्रथम चरण में नामाकंन एवं पुर्नाभ्यास संबंधी निर्देश वार्षिक मूल्याकंन परिणाम की घोषणा, कक्षा 1 से 11वीं तक अध्ययनरत बच्चो का घर-घर जाकर सर्वे कर उनका कक्षा 1 में नामाकंन एवं शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ने तथा शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु निर्देश जारी किये गये।

द्वितीय चरण में कक्षा 1 से 11वीं तक ऐसे छात्र जिनका माह अप्रैल 2019 में विद्यालय में प्रवेश नही हो पाया है उन्हें शाला में प्रवेश दिलाना तथा शिक्षा पोर्टल 2019-20 के लिए उपलब्ध नामाकंन माडयूल में छात्रो की नामाकंन कि स्थिति को अद्यतन किया जाना है। सामुदायिक सहयोग से शाला से बाहर तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रणनीति तैयार करना सत्र 2018-19 के नामाकंन के आधार पर वर्ष 2019-20 में ऐसी शालाये जहॉ नामाकंन में गिरावट आई हैं इन शालाओ की विशेष समीक्षा कर नामाकंन में गिरावट के कारण ज्ञात कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायें। शाला में प्रवेशित छात्रो का पुर्नाभ्यास एवं जॉयफुल लर्निंग के साथ-साथ मूल्यांकन किया जाना है। तृतीय चरण में छात्रों का शाला में ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केन्द्रित रहेगा।

शिक्षा सत्र 2019-20 द्वितीय चरण में पुन: शाला प्रारंभ 17 जून 2019 को प्रवेश उत्सव में नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ एवं नामाकंन तथा उपस्थिति की नियमित समीक्षा की जायें।

3.2.2.3 नवीन आवासीय छात्रावास

वर्ष 2018-19 में प्रति 100 सीटर छात्रावास हेतु रूपये 36.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसमें लगभग 6000 बच्चें लाभान्वित हो रहे है। नवीन बालक आवासीय छात्रावास वार्षिक कार्य योजना 2019-20 में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक 100 सीटर नवीन बालक आवासीय छात्रावास स्वीकृत किया गया है। तथा पूर्व से संचालित 15 बालक आवासीय विद्यालय यथावत संचालित रहेगें। इस तरह 2019-20 में कुल 66 बालक आवासीय छात्रावास की संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रति 100 सीटर छात्रावास हेतु राशि रूपये 35.35 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें लगभग 6600 बच्चे लाभावित हो रहे है।

3.2.2.4 आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एस.टी.)

आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) शाला से बाहर रहे ऐसे बसाहटो के बच्चें जहॉ पडोस की सीमा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला नही है। तथा वह बच्चे जो शाला त्यागी या अप्रेवशी हैं इनके लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) में बच्चो को रखकर उनकी आयु के अनुरूप दक्षता उपलब्ध कराई जाती है।

शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये गये है। आवासीय विशेष केन्द्रो में बच्चो को आवासीय सुविधा, भोजन, एवं शैक्षिक सुविधा प्रदान की जाती है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2019-20 में 10906 बच्चो के लिए 33 जिलो में 218 केन्द्र संचालित किये गये है जिसमें प्रति बालक राशि रूपये 20000/- के मान से स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.2.2.5 पलायन छात्रावास -

पलायन छात्रावास की अवधि 03 एवं 06 माह की होती है। पलायन मौसमी होता है। तथा ये परिवार प्राय: खेती के समय एक शहर से दूसरे शहर पलायन करते है तथा अपने साथ शाला जाने योग्य बच्चो को भी ले जाते है। जिससे इनकी पढ़ाई अवरोध होती है। कक्षा में वापस आने के बाद उनकी दक्षताये अपने साथी से कम हो जाती है। जिससे वे साथियो की गति से नहीं सीख पाते है। इससे उनमें हीनभावना आने लगती है। और उनका पढ़ाई में मन नही लगता है। धीरे-धीरे वे इसके कारण ड्रापआउट हो जाते है। अत: प्रवासी परिवारो के बच्चो की शिक्षा की निरन्तरता में कोई बाधा न आये इसके लिए वर्ष 2019-20 में 6845 बच्चो के लिए 18 जिलो में 139 पलायन छात्रावास संचालित किये जाने की व्यवस्था है पलायन के समय बालक के के माता-पिता पढ़ने योग बच्चो को पलायन छात्रावास में प्रवेश करवा देते है ताकि पढ़ने योग्य बच्चो की पढ़ाई प्रभावित न हो तथा बच्चो की पढ़ई में निरन्तरता बनी रहे इन छात्रावासो में आवासीय एवं भोजन व्यवस्था प्रदाय की जाती है, पलायन छात्रावास के लिए प्रति बालक रूपये 5000/- के मान से 03 एवं 06 माह के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.2.2.6 अल्पसंख्यक छात्रावास-

अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए 02 अल्पसंख्यक छात्रावास भोपाल एवं बुरहानपुर में संचालित हैं।

3.2.2.7 बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय -

प्रारंभिक शिक्षा सुविधा से वंचित रहने वाली बालिकाओं के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक उ

आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बालिका छात्रावास योजना आरंभ की गई है। वर्तमान में 324 छात्रावास स्वीकृत हैं, जिनमें लगभग 23100 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

बालिका छात्रावास की गतिविधियां के अंतर्गत बालिकाओं को वृतिका, आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण, स्पोटर्स फॉर डेवलमेन्ट, लायब्रेरी एवं उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 में विभिन्न जिलों के छात्रावासों की बालिकाएं द्वारा राज्य स्तर की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया है।

वर्ष 2019-20 की वार्षिक कार्ययोजना में बालिका छात्रावास की बालिकाओं हेतु आत्म सुरक्षा गतिविधि संचालित करने के लिए प्रति छात्रावास रु.9000/- के मान से राशि स्वीकृत हुई है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण समस्त बालिका छात्रावासों में भी संचालित किया जा रहा है। छात्रावासों में समस्त बालिकाओं को हाईजीन किट प्रदाय किये गये हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत शासन की योजना है जिसके अनुसार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे विकासखंड (जहां महिला साक्षरता दर ग्रामीण महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत से कम तथा महिला व पुरुष साक्षरता दर में राष्ट्रीय औसत से अधिक हो) वहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आरंभ किये गये है।

बालिकाओं की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्वीकृति भारत शासन द्वारा प्रदान की गई है। योजना का उद्देश्य 75 प्रतिशत बालिकाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक समुदाय की व 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली, अनाथ, बेसहारा एवं एकल परिवार की बालिकाओं को 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराना है। वर्तमान में संचालित 207 के.जी.बी.वी. में लगभग 30975 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। सत्र 2018-19 में 08 आकांक्षी जिलों में संचालित 21 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक प्रति विद्यालय 25 सीट की स्वीकृति के साथ साथ सत्र 2019-20 में भी 08 आकांक्षी जिलों में संचालित 21 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक प्रति विद्यालय 25 सीट की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं सत्र 2019-20 में कुल 45 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 25-25 बालिकाओं की सीट वृद्धि के मान से 1650 अतिरिक्त छात्राओं के प्रवेश हेतु बजट प्रावधान किया गया हैं। कुल 525 अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों में यूनिसेफ के सहयोग से स्पोर्ट फार डेवलपमेन्ट (S4D) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बालिकाओं की शालाओं में दर्ज होने, कक्षा में उपस्थित रहने, बढ़-चढ़कर सीखने और अकादमिक उपलब्धियों के सुधार को बढ़ावा देगा। स्पोर्ट्स फार डेवलपमेन्ट कार्यक्रम को सभी 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संचालित किया गया है। छात्रावास की सहायक वार्डन को यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है एवं समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवायी गई है।

लायब्रेरी -

समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की गई है। जिनमें बाल साहित्य उपलब्ध करवाया गया है।

रेमेडियल कक्षाएं -

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में बालिकाओं के उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान है। इस हेतु समस्त छात्रावासों में विषयवार (गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान भाषा अंग्रेजी) अंशकालीन शिक्षिकाओं का प्रावधान है। अंशकालीन शिक्षिकाओं को पढ़ाने हेतु डाईट के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अंशकालिक स्वयं सेविकाओं को छात्रावासों में बालिकाओं को प्रतिदिन 3-4 घण्टे अध्यापन कार्य करना होता है। यह बालिकाओं के शाला लगने के समय पर निर्भर करता है कि 2 घण्टे प्रात: एवं 2 घण्टे साय: के समय हो सकता है। किसी भी स्थिति में एक ही विषय एक से अधिक शिक्षिका नही रखी जावेगी। शिक्षिकाओं को रखने का अधिकार छात्रावास प्रबंधन समिति का है।

कैरियर कांउसलिंग-

कैरियर निर्माण हेतु बालिकाओं को आवश्यकता आधारित कैरियर कांउसलिंग प्रदान की जाती है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं जैसे महिला डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि से भेंट करवाई जाती है। इससे बालिकाएं विभिन्न व्यवसायों से एवं उनमें प्रवेश की प्रक्रियाओं से परिचित हो सकेंगी।

वर्ष 2019-20 की वार्षिक कार्ययोजना में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास की बालिकाओं हेतु आत्म सुरक्षा गतिविधि संचालित करने के लिए प्रति छात्रावास रु.9000/- के मान से राशि स्वीकृत हुई है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण न केवल बालिकाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, वरन् विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की भी रक्षा करता है। अत: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। जुडो कराटे स्पर्धा में बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया हैं। जूडो एवं कराटे में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिका ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया हैं। छात्रावास की बालिकाओं द्वारा फुटवॉल एवं ज्वाईकॉडो में संभागीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया।

3.2.2.8 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा (आई.ई.डी.)

समग्र शिक्षा अभियान अतंर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की समावेशित शिक्षा का कार्य राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत सर्वे में वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के 89014 सी.डब्लू.एस.एन. बच्चों का चिन्हांकन करने के उपरांत सामान्य शालाओं में नामांकन किया गया है। चिन्हांकित बच्चों की समग्र पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है। समावेशित शिक्षा अंतर्गत उपरोक्त CWSN बच्चों को शैक्षिक सहयोग देने, इनके शिक्षकों एवं पालकों को दिव्यांगता के विषय में सहयोग करने के लिए 386 मोबाईल स्त्रोत सलाहकार (विशेष शिक्षक) विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ हैं। जिला स्तर पर समावेशित शिक्षा के क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग के लिए 27 जिलों में प्रशिक्षित सहायक परियोजना समन्वयक (आईईडी) भी पदस्थ हैं।

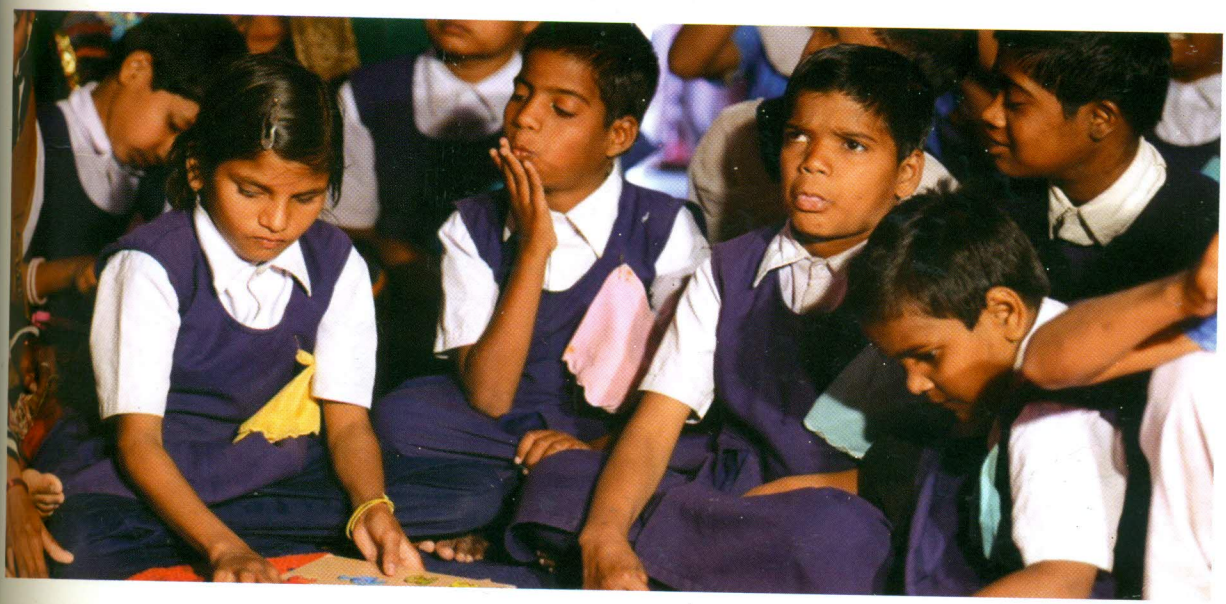

समावेशित शिक्षा अंतर्गत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा आंशिक रूप से मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में 50 सीटर एक सीडब्लूएसएन छात्रावास एवं 09 संभागीय जिलों में 50 सीटर एक बालिका सीडब्लूएसएन छात्रावास संचालित है। छात्रावास का संचालन विभागीय/स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 60 सीडब्लूएसएन छात्रावास संचालित हैं। इनमें कुल लक्ष्य 3000 बच्चों के विरूद्ध 2974 सीडब्लूएसएन बच्चे दर्ज होकर छात्रावास की सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

आई.ई.डी. योजना अंतर्गत संचालित 50 सीटर सीडब्लूएसएन छात्रावास के संचालन हेतु राशि रू. 18 लाख प्रति छात्रावास समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दर्ज 1499 दृष्टिबाधित बच्चों को सामाजिक न्याय विभाग की शासकीय ब्रेल प्रेस भोपाल के माध्यम से ब्रेललिपि की पाठ्यपुस्तकें मुद्रित करवाकर वितरित कराई गई हैं।

प्रदेश के सभी 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट) में एक आईईडी संसाधन केन्द्र एवं आगर-मालवा जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले के दो विकासखण्डों में एक-एक आई.ई.डी. संसाधन केन्द्र स्थापित हैं। इन संसाधन केन्द्रों का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन, सीडब्लूएसएन बच्चों के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं सामान्य शिक्षकों के प्रशिक्षण, पालकों के प्रशिक्षण आदि में किया जा रहा है।

समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 में भारत सरकार से आई.ई.डी. के लिए प्राप्त स्वीकृति अनुसार CWSN बच्चों के लिए परिवहन भत्ता रू. 250/- प्रतिमाह, मार्गरक्षण भत्ता रू. 250/- प्रतिमाह, वाचन भत्ता रू. 160/- प्रतिमाह एवं सीडब्लूएसएन बालिकाओं को रू. 200/- प्रतिमाह के मान से स्टायफंड 10 माह की अवधि के लिए भुगतान हितग्राही बच्चों के बैंक खातों में वन क्लिक के माध्यम से राज्य स्तर से ऑन लाईन किया जा रहा है।

आई.ईडी. अंतर्गत वर्ष 2019-20 में मुख्य रूप से निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित किये गये:-

(1) समस्त जिला परियोजना समन्वयकों एवं प्राचार्य डाईट समस्त का एक दिवसीय आईईडी में उन्मुखीकरण भारत सरकार के भोपाल स्थित क्षेत्रिय दिव्यांगजन सशक्तीकरण पुनर्वास केन्द्र पिपलानी भोपाल में किया गया।

(2) प्रत्येक जिले से एक मोबाइल स्त्रोत सलाहकार का दिव्यांगता के क्षेत्र में ICT एवं सुगम्य पुस्तकालय पर के प्रयोग पर प्रशिक्षण भोपाल में आयोजित किया गया।

(3) समस्त जिले के APC - IED का पाठ्यक्रम अनुकूलन पर दो दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

(4) प्रत्येक जिले के एक-एक मोबाईल स्त्रोत सलाहकार का एक दिवसीय CWSN के अभिभावको के प्रशिक्षण माड्यूल का उन्मुखीकरण

(5) भोपाल, सीहोर एवं हरदा जिले के 150-150 सामान्य शिक्षकों का आईईडी में प्रशिक्षण सम्बन्धित जिलों में किया गया।

(6) समस्त CWSN छात्रावासों के एक-एक केयर गीवर का भोपाल में दो दिवसीय उन्मुखीकरण किया गया।

(7) भोपाल के CWSN के अभिभावको का तीन दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल में आयोजित किया गया।

विश्व विकलांग दिवस 03 दिसम्बर 2019 का आयोजन प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक विकासखण्ड में किया गया है। इस अवसर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक एवं सामर्थ्य प्रदर्शन संबंधी आयोजन कराये जाकर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है।

3.2.2.9 शालाओं को अनुदान

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शाला के रखरखाव एवं नैमेत्तिका राशि को जोड़कर शाला की दर्ज संख्या के आधार पर स्कूल कम्पोजिट ग्रान्ट का प्रावधान किया गया है। सत्र 2019-20 से स्कूल कम्पोजिट ग्रान्ट दर्ज संख्या के आधार पर शाला प्रबंध समिति को प्रदाय की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

स.क्रं.	शाला का विवरण नामांकन के आधार पर	प्रदाय की जाने वाली कम्पोजिट ग्रान्ट
1	1-14 तक नामांकन वाली शालाएं	12500
2	15-99 तक नामांकन वाली शालाएं	25000
3	100-249 तक नामांकन वाली शालाएं	50000
4	250-1000 तक नामांकन वाली शालाएं	75000

3.2.2.10 शिक्षक प्रशिक्षण

वर्ष 2019-20 पीएबी में अनुमोदन उपरांत समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. **सेवाकालीन शिक्षक-प्रशिक्षण:-**

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत कक्षा 1-8 तक के समस्त शिक्षकों को मूलभूत दक्षता में हिन्दी एवं गणित में नीति आयोग की टीम 'साथ' एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के आपसी सहयोग से 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के 222329 सेवाकालीन शिक्षकों में से 207547 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इनके लिए साथ टीम प्रथम फाउंडेशन एवं पाठयपुस्तक कक्ष द्वारा मॉड्यूल वर्कबुक निर्मित किये गये जिन्हें जिलों में शिक्षकों तक पहुंचाया गया।

2. **शाला सिद्धि प्रशिक्षण:-**

समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के अर्न्तगत शाला सिद्धि पर भी प्रशिक्षिण किया गया है। जिसमें शाला सिद्धि का फालोअप एवं कार्ययोजना पर प्रशिक्षण दिया गया।

3. **मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज पर प्रशिक्षण-**

न्यूपा नई दिल्ली की गाईडलाईन पर आधारित 3000 प्रधानाध्यापकों का 10 दिवसीय लीडरशिप पर प्रशिक्षण पूर्व वर्षो में प्रदान किया गया था जिसके उपरांत उनके द्वारा शाला में क्या परिवर्तन आये। इस संबंध में सफलता की कहानी प्रत्येक जिले से प्राप्त की जानी थी इन कहानी को कैसे अंतिम रूप दिया जाना है। इस पर 2-4 मिनट की फिल्म एवं कहानी निर्धारित प्रपत्र में लिखने के लिए राज्य स्तर पर 100 डीआरजी को प्रशिक्षित किया गया। तत्पश्चात 210 हेडमास्टर एवं डाईट से प्रशिक्षण प्रभारी को निचले स्तर से सबसे अच्छी 5 स्टोरी को चयनित करके राज्य स्तर पर प्रस्तुत किया गया। इनमें से 5 मुख्य सर्वश्रेष्ठ कहानियों का चयन राज्य स्तर पर विशेषज्ञों की पेनल द्वारा किया गया।

4. **डाईट एवं जिला शिक्षा केन्द्र की फेकल्टी का प्रशिक्षण-**

दक्षता उन्नयन कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए जिला शिक्षा केन्द्र एवं डाईट की लगभग 100 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर एवं अकादमिक मॉनिटरिंग के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

5. **एपीसी आईईडी एवं मोबाइल स्त्रोत सलाहकार का प्रशिक्षण:-**

प्रत्येक जिले में कार्यरत मोबाईल स्त्रोत सलाहकारों को मल्टी केटेगरी पर साइटसेवर के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

6. **एमआईएस कोआर्डिनेटर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण:-**

समस्त जिलों में पदस्थ प्रोग्रामर एवं विकासखण्डों में पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 363 को डाटा विश्लेषण एवं ऑनलाईन एन्ट्री पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

7. **जीवन कौशल प्रशिक्षण:-**

राज्य के ऐसे जिले जहाँ फीमेल लिटरेसी रेट तुलनात्मक रूप से कम है जैसे- भिण्ड, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, छतरपुर जिलो के माध्यमिक शाला के शिक्षकों को यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया। साथ ही यूनिसेफ द्वारा उमंग मॉड्यूल शिक्षकों तक पहुँचाये गये है।

8. उपयंत्री / सहायक यंत्रीः-

समस्त जिलों के 294 उपंयत्री/सहायक यंत्री को निर्माण कार्य, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि सिविल से संबंधित विषयों में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

9. अंग्रेजी विषय में वर्चुअल प्रशिक्षणः-

इस वर्ष पांचवी एवं आठवी कक्षा को बोर्ड करने से बच्चों की अंग्रेजी विषय में दक्षताऐं कमजोर होने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर ईएलटीआई के माध्यम से मेंटर तैयार किये गये तथा क्लस्टर लेवल पर सीधे वर्चुअल क्लास संचालित करके शिक्षकों को अंग्रेजी विषय में ऑनलाईन एवं मेंटर की मद्द से प्रशिक्षित किया गया।

10. कक्षा 1 एवं 2 का जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय प्रशिक्षणः-

जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर प्रति शनिवार आयोजित होने वाले शैक्षिक संवाद के द्वारा समस्त प्राथमिक शाला के शिक्षकों को दक्षता उन्नयन एवं फालोअप के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

11. शाला प्रबंध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण-

लगभग 18 लाख शाला प्रबंध समिति के सदस्यों को 1 दिवसीय यूनिसेफ के सहयोग से निर्मित पोस्टर एवं फिल्म के माध्यम से शाला स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिसमें उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व शिक्षा का अधिकार, दक्षता उन्नयन, समावेशित शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि पर प्रशिक्षित किया गया।

12. बीएसी-सीएसी प्रशिक्षणः-

6511 विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक को दक्षता उन्नयन, में कार्य एवं उत्तरदायित्व लीडरशिप अकादमिक मॉनिटरिंग पर प्रशिक्षित किया गया।

13. निष्ठा प्रशिक्षणः-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई गाईड लाईन के अनुसार एनसीईआरटी एवं न्यूपा के विशेषज्ञों द्वारा राज्य स्तर पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के द्वारा 510 एसआरपी/केआरपी को सामान्य विषयों NCF-2005, Science, Maths, EVS, Social Studay Language की पेडागॉजी एवं लीडरशिप में प्रशिक्षित किया गया जो सीधे विकासखण्ड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इन सभी का निष्ठा पोर्टल पर निष्ठा एप के माध्यम से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, फीड बैक एवं रिफ्लेशन फार्म एसआरपी/केआरपी द्वारा ऑनलाईन अपने मोबाईल के माध्यम से दिये गये है। जिनकी रिपोर्ट निष्ठा पोर्टल पर दर्ज की गई है।

14. सहयोगी पार्टनर के द्वारा आयोजित प्रशिक्षणः-

राज्य शिक्षा केन्द्र के साथ विभिन्न स्वशासी संस्था अकादमिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से रूम टू रीड इण्डिया, एजूकेट गर्ल्स, लर्निंग लिंक फाउन्डेशन, न्यू एजूकेशन ग्रुप दिल्ली, प्रथम फाउन्डेशन मुम्बई, रामकृश्ण मिशन नई दिल्ली, एकलव्य, समावेश, एनएसई फाउन्डेशन, बोध शिक्षा समिति राजस्थान, ह्यूमना पीपुल टू पीपुल इण्डिया, एसआरएम फाउन्डेशन, रोटरी इण्डिया, भारत लर्न, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन पीरामल फाउंडेशन तथा खेल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आईआईटी कानपुर एवं आईआईटी मुम्बई द्वारा कक्षा 1 एवं 2 के शिक्षकों को एजुकेशनल गेम्स निर्मित करके शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न शैक्षिणिक गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षकों को अपने वित्तीय एवं अकादमिक सहयोग से राज्य शिक्षा केन्द्र के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया गया।

15. कर्मयोग ध्यान पर प्रशिक्षणः-

राज्य शिक्षा केन्द्र के 70 तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को ऑफिस मैनेंजमेंट, ध्यान, अपने आप को जानें आदि विषयों पर 3 दिवसीय पशिक्षण पंचमढ़ी एवं धार (माण्डू) में दिया गया।

3.2.2.11 प्रतिभा पर्व

प्रदेश में "प्रतिभा पर्व" के नाम से व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शालेय व्यवस्था व संचालन एवं अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का जायजा लिया जाता है। इसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, जनशिक्षक, बीएसी, बीआरसी, बीईओ, संकुल प्राचार्य, एपीसी, डीपीसी, डाइट प्राचार्य व डाइट फेकल्टी, डीईओ, सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास), प्राचार्य शास. शिक्षा महाविद्यालय व फेकल्टी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आदि हर स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रमुख रूप से शालेय व्यवस्था मूल्यांकन एवं शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिभा पर्व का मुख्य उददेश्य:-

- शिक्षा की गुणवत्ता की सही-सही स्थिति ज्ञात करना एवं नियमित अन्तराल पर प्रगति की समीक्षा करना,
- बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शासन की प्रतिबद्धता एवं प्राथमिकता दर्शाना एवं समाज को संवेदित करना,
- प्रदेश के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार हेतु कार्यक्रम व रणनीति निर्धारित करना,
- अपेक्षित दक्षता हासिल न कर पाने वाले बच्चों के लिए निदानात्मक/उपचारात्मक कदम उठाना,
- बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शिक्षकों, शिक्षा प्रशासन, जन प्रतिनिधियों एवं समाज को उत्तरदायी बनाना,
- शाला संचालन व शालेय सुविधाओं की सही-सही स्थिति ज्ञात करना तथा आवश्यक सुधार करना है।

प्रतिभा पर्व का आयोजन प्रदेश में एक साथ दिनांक 12-14 दिसम्बर, 2019 की अवधि में किया गया, जिसमें सभी 111035 प्राथमिक शालाएं एवं माध्यमिक शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 6743077 बच्चे शामिल सम्मिलित हुए। प्रतिभा पर्व का तीसरे दिवस बालसभा का आयोजन वार्षिक उत्सव के रूप में किया गया। बालसभा का संचालन बाल-केबिनेट के द्वारा किया गया।

बालसभा के अन्तर्गत शाला प्रबन्धन समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों व बच्चों के पालकों को आमंत्रित करके बच्चों के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत कर उनके मनोबल को बढ़ाने की प्रक्रिया की गयी, साथ ही समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित की गयी।

इस वर्ष प्रतिभा पर्व मूल्यांकन को अंतर्राष्ट्रीय/मानकों राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के मापदंडों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से यूनिसेफ के सहयोग से कक्षा 3, 5 व 8 में हिन्दी व गणित विषयों में मूल्यांकन का स्वरूप तैयार किया गया है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए हो।

कक्षा 3, 5, 8 में हिन्दी व गणित में बच्चेवार उपलब्धि जानने व डाटा सेम्पल विश्लेषण यूनिसेफ/AIR (अमेरिकन इंस्टीट्यूट फार रिसर्च) द्वारा कराया जाएगा। जिसके आधार पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के पैटर्न में बच्चों के लर्निंग आउटकम आधारित उपलब्धि स्तर प्राप्त करने हेतु लर्निंग जिलेवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस हेतु प्रति जिला 60 शालाएं कक्षा 3 हेतु 60 शालाएं कक्षा 5 हेतु व 60 शालाएं कक्षा 8 हेतु कुल 180 शालाएं प्रति जिले में सेम्पल के रूप में राज्य स्तर से चयनित की गयी हैं।

इन सेम्पल शालाओं में कक्षा 3, 5 व 8 हिन्दी एवं गणित में बच्चों के रेस्पांस को विषय शिक्षक/कक्षाशिक्षक द्वारा सत्यापनकर्ता अधिकारी की उपस्थिति में रेस्पांस शीट में अंकित किया जाएगा। इन रेस्पांस शीट को राज्य स्तर पर युनिसेफ/द्वारा विश्लेषण कराया जाएगा।

इस प्रकार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी शिक्षकों से अपील है कि वे

पूर्ण निर्भीक होकर इस दौरान अपनी शाला का एवं विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें जिससे सटीक लर्निंग गेप्स सामने आ सकें। इन्हीं लर्निंग गेप्स के आधार पर प्रभावी सुधारात्मक कार्य एवं निदानात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रतिभा पर्व का सुचारू आयोजन हमें गुणवत्तायुक्त शैक्षिक उपलब्धि प्रदान करेगा।

3.2.2.12 सतत्-व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation)

आर.टी.ई. के प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश में मूल्यांकन व्यवस्थाओं में सुधार एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य शाला-आधारित वह मूल्यांकन व्यवस्था है जो छात्रों में सम्यक विकास का आकलन करती है। सीसीई का 'सतत' पहलू अधिगम प्रक्रिया में सन्निहित सतत मूल्यांकन को दर्शाता है। सतत् मूल्यांकन का तात्पर्य छात्रों का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान अनौपचारिक रूप से विभिन्न तकनीकों से किया गया मूल्यांकन है (रचनात्मक मूल्यांकन) सीसीई का 'व्यापक' घटक बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास पर बल देता है। इसमें छात्रों के विकास के शैक्षिक, सह-शैक्षिक एवं सामाजिक वैयक्तिक पहलुओं का मूल्यांकन सम्मिलित है। इस प्रकार एक तनाव रहित, नियमित एवं प्रभावी मूल्यांकन व्यवस्था का परिचय कराने के उद्देश्य से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक, सह-शैक्षिक एवं सामाजिक-वैयक्तिक पहलुओं को विकसित करने के लिये बनाया गया शाला-आधारित फीड बैक प्रणाली है। आरटीई के संदर्भ में, राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रदेश को स्थापित दिशा निर्देशों का छात्रों के मूल्यांकन के संबंध में पुनरावलोकन किया है, इसमें कुछ परिवर्तन कर सीसीई पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। ये दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त समस्त शालाओं की सभी कक्षाओं में लागू हैं। ये दिशा निर्देश 2 अगस्त, 2010 को जारी किये गये थे और राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर हर वर्ष, इनमें आंशिक संशोधन किया जाता है। इस प्रकार सीसीई पर जारी दिशा निर्देश आरटीई के अनुपालन में हैं।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को और अधिक सरल एवं व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से प्रदेश की चयनित 234 शालाओं में सीसीई पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया गया और फील्ड ट्रायल से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नवीन सीसीई मार्गदर्शिका तैयार की गई है। फील्ड से प्राप्त फीडबैक के आधार संशोधित मूल्यांकन निर्देश वर्ष 2017-18 से जारी किए गए हैं इसमें शैक्षिक क्षेत्रों, सह-शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को मूल्यांकन में समावेशित किया गया है। आकलन प्रक्रिया में शिक्षकों को अधिक स्वायत्ता दी गई है। मध्यप्रदेश, सतत-व्यापक मूल्यांकन को राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के अनुरूप सही भावना में लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

आर.टी.ई.(RTE)संशोधन 2019

नि:शुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में हुए संशोधन एवं म.प्र. राजपत्र नोटिफिकेशन दिनांक 02 मार्च 2019 अनुसार कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं की परीक्षा के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं-

-नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् -

10-क (i) प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं की नियमित परीक्षा होगी।

(ii) परीक्षा में बैठने वाला कोई बालक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करता है।

(iii) यदि कोई बालक उपनियम (i) में निर्दिष्ट परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से दो माह की कालावधि के भीतर उसे पुनर्परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(iv) किसी बालक के उपनियम (iii) में निर्दिष्ट पुनर्परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की दशा में, उसे कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं, जो भी लागू हो, वो वापस रखा जाएगा।

आर.टी.ई. एक्ट 2019 संशोधन एवं गजट नोटिफिकेशन के अनुक्रम में कक्षा-5 एवं 8 की परीक्षा के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की गई-

- बच्चों को परीक्षा का अभ्यास कराए जाने के तहत त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन माह सितंबर 2019 में किया गया।
- त्रैमासिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर बच्चों के लर्निंग गेप की पहचान के लिए प्रश्नवार विश्लेषणकराया गया।
- आरटीई एक्ट में हुए संशोधन अनुसार बच्चों की डिटेंशन पालिसी के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक करने हेतु पत्र द्वारा अवगत कराया गया।
- परीक्षा की तैयारी हेतु समस्त विषयों के प्रश्न बैंक तैयार कर शाला स्तर तक पहुँचाए गए।
- परीक्षा में बच्चे अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकें इस हेतु समस्त विषयों के अभ्यास प्रश्नपत्र शाला स्तर पर उपलब्ध कराए गए।
- बच्चे निडर होकर वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकें तथा अच्छा प्रदर्शन कर सकें इसके लिए प्री वार्षिकपरीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

3.2.2.13 बच्चों की आधारभूत दक्षताओं का परीक्षण से स्थिति आकलन व दक्षताओं में सुधार (बेसलाईन-मिडलाइन-एण्डलाइन टेस्ट)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप प्रदेश की प्रत्येक शासकीय शाला द्वारा इस प्रकार योजनाबद्ध कोशिश की जाएं कि प्रत्येक बच्चा जिस कक्षा में अध्ययनरत है उसके अनुरूप सीखने की दक्षताएं एवं कौशल अर्जित कर सकें। इस हेतु प्रदेश में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में बेसलाइन, मिडलाइन व एण्डलाइन टेस्ट का आयोजन राज्य स्तर से किया गया। प्रदेश की 1,13,689 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पदस्थ शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 में हिन्दी एवं गणित विषयों की बुनियादी दक्षताओं पर आधारित टेस्ट लिया जाता है। राज्य स्तर से हिन्दी एवं गणित की बुनियादी दक्षताओं पर आधारित टूल जिलों को उपलब्ध कराया गया साथ ही टेस्ट प्रक्रिया संबंधी विस्तृत निर्देश सभी शालाओं को प्रदाय किए गए।

अकादमिक वर्ष 2019-20 में गतवर्ष के एण्डलाइन टेस्ट का मूलभूत दक्षता की स्थिति (बच्चेवार) प्रत्येक शाला के पास उपलब्ध होने के दृष्टिगत एण्डलाइन के विगत वर्ष के डेटा को ही इस वर्ष बेसलाइन का परिणाम मानते हुए शाला में अध्ययनरत बच्चों को सीखने के स्तर के अनुसार तीन समूहों- अंकुर, तरूण और उमंग में बांटकर बच्चों से अभ्यास/गतिविधियां करवाकर दक्षता उन्नयन हेतु प्रयास किए गये।

तदनुसार शिक्षकों को सीखने के स्तर के अनुसार शैक्षिक सामग्री के रूप में वर्कबुक तथा उसमें समाहित सामग्री को बच्चों को सिखाने के लिए मार्गदर्शिका के रूप में "टीचर हैंडबुक" उपलब्ध कराई तथा राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए सुझावात्मक समय-सारणी के आधार पर विद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ दक्षता उन्नयन का हिन्दी भाषा एवं गणित में विशेष कक्षाएं संचालित की गयी। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक का लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक कक्षा में दर्ज प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा स्तर के अनुरूप मूलभूत दक्षता प्राप्त कर लें। विभाग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी को इन प्रक्रियाओं की व्यवस्थित एवं सघन मॉनिटरिंग करने, प्राप्त रिपोर्ट/प्राप्त स्थिति के आधार पर फॉलोअप करने एवं आवश्यकतानुसार सपोर्ट करने के निर्देश दिये गए है।

दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप बच्चों की प्रगति को ट्रेक करने के उद्देश्य से मिडलाइन टेस्ट का आयोजन 3,4,5 अक्टूबर 2019 की अवधि में शत-प्रतिशत बच्चों का लिया गया। इस लिए टूल, मूल्यांकन प्रपत्र, शालावार संकलन प्रपत्र, बच्चों के स्तर आकलन संबंधी निर्देश राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए। मिडलाइन टेस्ट की पारदर्शित, विश्वसनीयता एवं वैधता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभागीय स्तर पर शालामित्र, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला, राज्य स्तर से जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा मॉनीटरिंग एवं थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग के रूप में प्रथम एजूकेशन फाउंडेशन के विशेषज्ञों द्वारा चयनित शालाओं में आकर मिडलाइन टेस्ट प्रक्रिया एवं अभिलेख संधारण का मूल्यांकन एवं

सत्यापन किया जाता है। प्रत्येक जिले की लगभग 20 प्रतिशत चयनित सेम्पल शालाओं का रेण्डमली चयन राज्य स्तर से किया जाकर बाह्यमूल्यांकनकर्ता के रूप में शालामित्र द्वारा मिडलाइन टेस्ट को संपादित किया गया। टेस्ट संपादन होने के उपरांत शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा ही "एम.शिक्षामित्र एप" के माध्यम से स्वयं ही डाटा एण्ट्री का कार्य किया गया। मिडलाइन टेस्ट के परिणामों के विश्लेषण उपरांत दक्षता उन्नयन की प्रगति की समीक्षा और सुधार के संबंध में शाला से लेकर राज्य स्तर तक आवश्यक कार्यवाही की गई। कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं की मॉनिटरिंग एवं ऑन साइड सपोर्ट के अतिरिक्त प्रयास किए गए।

टेस्ट प्रक्रिया को बेहतर ढंग से सम्पादित करने के लिए विद्यालय के शिक्षकों को राज्य से जारी निर्देश की प्रति, टेस्ट प्रक्रिया के वीडियो क्रमशः वहाट्सएप (Whatsapp) पर लिंक के रूप में एवं यू-ट्यूब पर उपलब्ध कराए गए साथ ही प्रक्रिया सम्पादन की हार्डकॉपी भी शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई। विकासखण्ड स्तर पर प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण भी किया गया है।

उक्त प्रयासों के फलस्वरूप बच्चों की नियमित प्रगति ट्रेक करने के उद्देश्य से प्रत्येक शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत समस्त बच्चों की हिन्दी व गणित की मूलभूत दक्षताओं की स्थिति पता करने हेतु एण्डलाइन टेस्ट दिनांक 6 से 8 जनवरी 2020 की अवधि में लिया गया। कक्षा 1 एवं 2 में अध्ययनरत बच्चों का भी हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी की बुनियादी दक्षताओं पर आधारित एण्डलाइन टेस्ट इसी अवधि में लिया गया। एण्डलाइन टेस्ट हेतु नवीन टूल राज्य स्तर से प्रेषित किया गया। टेस्ट संपादन प्रक्रिया, मॉनीटरिंग, सत्यापन प्रक्रिया, डेटा एण्ट्री प्रक्रिया, परिणाम विश्लेषण प्रक्रिया, सुधारात्मक कार्यवाही आदि मिडलाइन टेस्ट के समान ही की गई।

3.2.2.14 हमारी शाला ऐसी हो- शाला सिद्धि कार्यक्रम

विद्यार्थियों को भयमुक्त एवं आनंददायी वातावरण में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों में दक्षता उन्नयन,प्रतिभा पर्व, हमारी शाला कैसी हो, शाला गुणवत्ता कार्यक्रम इत्यादि प्रमुख हैं। मानव संसाधन विकास मत्रांलय के तत्वावधान में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा शालाओं के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु " शाला सिद्वि " फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसे दिनांक 07.11.2015 को प्रारंभ किया गया। इस फ्रेमवर्क को आधार मानते हुए तथा राज्य की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को केंन्द्रित करते हुए मध्यप्रदेश में शालाओं के मूल्यांकन से उन्नयन हेतु शाला सिद्वि-हमारी शाला ऐसी हो कार्यक्रम तैयार किया गया हैं।

राज्य शिक्षा केंन्द्र भोपाल द्वारा " शाला सिद्वि हमारी शाला ऐसी हो " कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सत्र 2016-17 में प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्रत्येक जनशिक्षा केंन्द्र से चार प्राथमिक एवं चार माध्यमिक शालाओं का चयन किया गया। इस प्रकार प्रदेश में कुल 24,792 शालाएं चयनित की गयी। प्रत्येक शाला द्वारा स्वमूल्यांकन, बाहय मूल्यांकन कार्ययोजना निर्माण तथा कार्ययोजना के अनुसार सुधार हेतु कार्यवाही की गयी। द्वितीय चरण में सत्र 2019-20 में सभी माध्यमिक शालाओं, एक शाला एक परिसर के अंतर्गत आने वाली सभी प्राथमिक शालाओं एवं प्रत्येक जनशिक्षा केंन्द्र से चार प्राथमिक शालाओं अर्थात कुल 30,000 शालाओं का चयन किया गया हैं। जिनमें स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही हैं। वर्तमान सत्र में वार्षिक परीक्षा समाप्ति के पश्चात शालाओं का बाहय मूल्यांकन कर कार्ययोजना बनायी जायेगी।

इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम शाला के सभी साझेदार जैसे प्रधानाध्यापक,शिक्षक,एसएमसी के सदस्य, बाल केबिनेट के सदस्य एवं पालक मिलकर 7 आयामो के 46 मानकों पर स्वमूल्यांकन कर शाला का स्तर निर्धारित करेंगे। इसके पश्चात 2 सदस्यीय टीम द्वारा शाला के स्वमूल्यांकन की पुष्टि करते हुए बाहयमूल्यांकन किया जायेगा। बाहय मूल्यांकन के पश्चात जो सुधार की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं है, उसके आधार पर कार्ययोजना बनाकर विद्यालय उन्नयन किया जा सकेगा।

उक्त कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर शाला सिद्वि कोर समूह का गठन किया गया हैं। साथ ही जो शालाएं विभिन्न मानकों पर स्तर उन्नयन का कार्य तीव्रता से कर रही हैं उन्हे अन्य शालाओं के लिये मेंटर शाला का दायित्व दिया गया हैं। यह शालाएं अन्य शालाओं के स्तर उन्नयन में मार्गदर्शन का कार्य करेगी।

शालाओं द्वारा कार्ययोजना बनाकर स्तर उन्नयन करने से शाला के सभी आयामों पर व्यवस्थित ढंग से कार्य हो रहा है एवं शाला को अपनी वर्तमान स्थिति तथा उन्नयन हेतु निश्चित उपकरण उपलब्ध हुये हैं। जिनके आधार पर वह अपने कार्य की दिशा निर्धारित कर सकते हैं।

3.2.2.16 शिक्षा में गुणवत्ता हेतु अन्य गतिविधियाँ

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रत्येक बच्चे के सीखने के सामर्थ्य को सहज स्वीकार करने तथा उनके सीखने के दौरान ही ज्ञान-निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने सम्बन्धी अवधारणा को विकसित किये जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) 2005 में विशेष रूप से रचनावादी दृष्टिकोण से शिक्षण कराने पर बल दिया गया है। एन.सी.एफ. 2005 और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रदेश स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु किये जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं –

पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तक एवं गुणवत्ता विकास से संबंधित गतिविधियाँ

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रत्येक बच्चे के सीखने के सामर्थ्य को सहज स्वीकार करने तथा उनके सीखने के दौरान ही ज्ञान-निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने सम्बन्धी अवधारणा को विकसित किये जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) 2005 में विशेष रूप से रचनावादी दृष्टिकोण से शिक्षण कराने पर बल दिया गया है। एन.सी.एफ.2005 और नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्तर पर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु सत्र 2019-20 में की गई प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

(1) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक

- एनसीईआरटी पुस्तकों का अभिग्रहण –
- कक्षा 1 से 5 की गणित,पर्यावरण अध्ययन
- कक्षा 6 से 8 गणित, विज्ञान तथा कक्षा –6 सामाजिक विज्ञान
- कक्षा 9 व 10 गणित, विज्ञान तथा कक्षा –9 सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा।
- कक्षा 11 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा।
- कक्षा 11 व 12 के लिए विज्ञान, गणित, वाणिज्य तथा कला समूह।

NCERT की उपर्युक्त कुल 236 पाठय पुस्तकें सत्र 2017-18 से 2019-20 की अवधि में चरणबद्व रूप से प्रदेश की शालाओं हेतु अभिगृहित की गई है।

प्रदेश में प्रचलित अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण -

कक्षा 7 व 8 की सामाजिक विज्ञान (हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी तथा उर्दू माध्यम) कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान (हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम) तथा कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 10 व 12 की भाषा पाठ्यपुस्तकों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू) एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 11 व 12 की (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) SCERT म.प्र.द्वारा निर्मित कुल 93 पाठ्यपुस्तकों को पुनरीक्षित एवं संशोधित कर अद्यतन किया गया।

(2) गुणवत्ता विकास हेतु नवाचारी गतिविधियाँ

आस-पास की खोज -

सत्र 2019 में आस –पास की खोज से सबंधित गतिविधियों का आयोजन प्रदेश की समस्त 30228 माध्यमिक

शालाओं में किया गया, जिसमें विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं अन्वेषी प्रवृत्ति के विकास हेतु विशेष नवाचारी पहल की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं। जैसे - स्थानीय लोक गीतों का संकलन, ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, रीति-रिवाजों, परंपराओं एवं तीज - त्यौहारों आदि की जानकारी एकत्रित करना आदि। छात्रों को 14 थीम्स सुझावात्मक गतिविधियों के रूप में उपलब्ध कराई गई हैं। आस-पास की खोज की गतिविधियों के आयोजन हेतु रूपये 3000/- की राशि प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराई गई है।

मोबाइल विज्ञान वेन भ्रमण -

आंचलिक विज्ञान केन्द्र भोपाल के सहयोग से प्रदेश के चयनित जिलों पन्ना, दमोह व छतरपुर में मोबाइल विज्ञान वैन का भ्रमण सत्र 2019-20 में सुनिश्चित कराया गया। उक्त मोबाइल वैन में विज्ञान के चलित मॉडल का प्रदर्शन करते हुए विज्ञान की अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया।

विज्ञान मित्र क्लब -

विद्यार्थियों को दैनिक परिवर्तनों एवं अवलोकनों के वैज्ञानिक कारणों को तर्कसम्मत व स्वतंत्र सोच से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करने एवं अंधविश्वास, रुढ़िवादिता, कुरीतियों को समाप्त करने हेतु वैज्ञानिक तथ्य खोजने के उद्देश्य से सभी माध्यमिक शालाओं में विज्ञान मित्र क्लब स्थापित किये गए हैं, जिनमें 9 विभिन्न क्षेत्रों पर गतिविधियाँ सुझाते हुए रूपये 3000/- की राशि विद्यालयों को जारी की गई है तथा 3 हाउस बनाते हुए गतिविधियाँ जनवरी माह तक संचालित की कराई गई। उनका अभिलेखीकरण करने हेतु सभी माध्यमिक विद्यालयों को रंगीन "अन्वेषिका" जिले से मुद्रित करके प्रदान की गई है। जिसमें अपने परिवेश में पाए जाने वाले पक्षियों के रहने, उनकी चोच, आँखों से देखने की शक्ति के बारे में अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट कार्य करने की गतिविधि भी दी गई, जिसकी एक सफलता की कहानी यहाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत है -

पक्षी -दर्शन - विज्ञान मित्र क्लब की सफलता की कहानी

(अपने पर्यावरण से सीखने का अनूठा प्रयास)

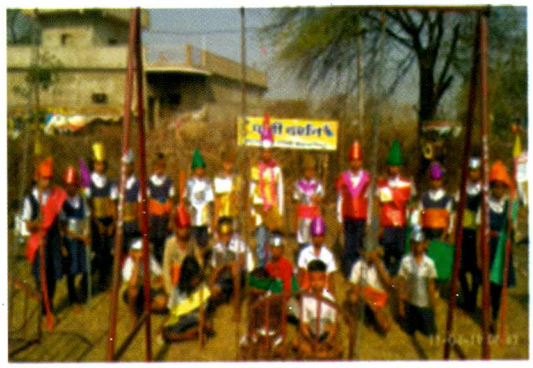

सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक की शाला–कल्याणपुर में बच्चों के जीवन के अनुभवों से जुड़कर पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसमें बच्चे अपने शिक्षक के साथ गाँव में पेड़ों, चट्टानों, जंगलों में पक्षियों के असामयिक मरे पाए जाने पर शोध करने में रूचि लेने लगे, जिसके लिए विद्यार्थी उत्सुक होकर प्रश्न करने, ध्यानपूर्वक अवलोकन करने, चर्चा करके कारणों का पता लगाने और वर्गीकरण, विश्लेषण से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में उत्साह से कार्य किए। इससे बच्चों के साथ गाँव के लोगों में भी पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है।

शिक्षक ने स्कूल के पीछे बबूल के पेड़ के नीचे मिट्टी के सटोरों में पक्षी के लिए दाना और पानी भी रखना आरंभ किया, जिससे प्रवासी पक्षी भी आने लगे, प्रार्थना सभा में भी गीत, कविताएँ, कहानियों के प्रसंग पक्षियों से संबंधित होते। धीरे-धीरे पक्षियों के प्रति विद्यार्थियों का लगाव बढ़ता गया और शिक्षक के सहयोग से बच्चों ने गाँव में मृत पक्षियों का ब्यौरा दर्ज किया और एक सरल तालिका में उसे लिखा–

राहतगढ़ ब्लॉक में 22 फरवरी 2019 को बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रखी गई "पक्षियों का संरक्षण" जिसमें पक्षियों के चार्ट्स, हस्तशिल्प से तैयार किए गए मिट्टी, कागज के खिलौने और बच्चों के द्वारा बने पक्षी अवलोकन के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। इसी थीम पर बच्चों ने एक विशेष नाटक "दयालु सिद्धार्थ" का मंचन किया, जिसे मेले के मुख्य अतिथि फारेस्ट रेंजर द्वारा खूब सराहा गया। बच्चों ने उनसे प्रश्न करके पक्षियों को बचाने के लिए सुझाव भी प्राप्त किए गए।

1. खेती कार्यों में उपयोग किये जाने वाले कीटनाशक और खरपतवारनाशक दुश्मन है, पक्षियों के। इससे दानों के साथ उनके पेट में थोड़ी सी मात्रा कीट नाशक की जाने से ही उनकी आंते एकदम से फट जाती हैं।
2. नदी किनारे पक्षी अधिक समय तक जीवित बने रहते है क्योंकि रासायनिक जहर दानों के साथ लेने पर तुरन्त उन्हें पानी मिल जाता है तो उनका असर कम हो जाता है।
3. घरों के पास गंदगी की जगहों पर पॉलीथिन का छोटा टुकड़ा भी उनके लिए जानलेवा होता है।
4. पक्षी भी ऑक्सीजन लेते है, अत: अधिक गंदगी, पेड़ो की कटाई से उनको साँस लेने में दिक्कतें होती हैं।
5. अत्यधिक ठण्ड लगने से भी पक्षियों की अकाल मृत्यु होती है।

प्रोजेक्ट में पक्षियों की थीम पर "बाल मेला" आयोजित करने से योगात्मक आकलन भी हुआ और इससे बच्चों के सीखने के उत्साह को दुगना कर दिया। इस प्रोजेक्ट से बच्चों को पक्षियों के घोसलों की सामग्री, अंडो के आकार, रंग और घोसलें बनाने की जगहों की पहचान प्राप्त हुई। इससे रोजाना के अनुभवों को बिन्दुवार दर्ज करके डायरी लेखन के कार्य को करने में बच्चे आनंदित हुए, उन्हें प्रोजेक्ट कार्य को सही तरीके से करने की दिशा प्राप्त हुई एवं कार्य करने का रोचक अनुभव भी प्राप्त हुआ। शिक्षक एवं स्कूल प्रधानाध्यापिका के मिले–जुले कार्यों से पर्यावरण अध्ययन के कौशल और संवेदन शीलता को बच्चों में स्थापित करने का सकारात्मक प्रयास सफल हुआ।

3) गणित में रूचि जागृत करने हेतु गतिविधियाँ -

मेथ्स ओलम्पियाड -

प्रदेश में सत्र 2017 –18 से जूनियर मेथ्स ओलम्पियाड का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें शास. माध्यमिक शालाओं के कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की जा रही है। सत्र 2019–20 में जूनियर गणित ओलिम्पियाड के प्रथम चरण में कुल 115000 बच्चों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिसमें से कुल 72000 विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की गई। जूनियर मेथ्स ओलम्पियाड के द्वितीय चरण में सफल 100 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार दिया गया।

समर कैम्प गणित -

सत्र 2019-20 जूनियर गणित ओलिम्पियाड में जिले की ओर से प्रथम स्थान प्राप्त 50 विद्यार्थियों के लिए आँचलिक विज्ञान केन्द्र के सहयोग से 5 दिवसीय समय कैम्प का आयोजन किया गया। समर कैम्प में बच्चे करके सीखने, रोबोट, विद्युत पैनल बनाने जैसी गतिविधियाँ आँचलिक विज्ञान केन्द्र द्वारा कराई गई। इस कैम्प में प्रतिभागी विद्यार्थियों को वन विहार, खेल स्टेडियम एवं भोपाल के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया गया।

समर कैम्प विज्ञान -

सत्र 2019-20 में जिले की ओर से विज्ञान मित्र क्लब की गतिविधि में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 51 विद्यार्थियों के लिए आँचलिक विज्ञान केन्द्र के सहयोग से 5 दिवसीय समय कैम्प का आयोजन किया गया। जिन्हें गणित के समान ही विभिन्न गतिविधियाँ कराई।

(4) भाषा के उन्नयन हेतु गतिविधियाँ -

कहानी उत्सव -

कहानी उत्सव भारत शासन की महत्वाकॉक्षी योजना 'पढ़ें भारत- बढ़ें भारत' के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि जागृत करने के उद्देश्य से 'कहानी उत्सव' का आयोजन सत्र 2016-17 से निरन्तर किया जा रहा है। व्यवस्था, अनुशासन, एकाग्रता, भाषा विकास, इतिहास बोध, लोक संस्कृति से परिचय आदि के लिए कहानी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। 'कहानी-उत्सव' का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि जागृत करना एवं पढ़ना उनकी आदत में शामिल हो है। इसे दो श्रेणियॉ में आयोजित किया जाता है।

I. कक्षा 5 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् बच्चे।

ii. शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक

2. कहानी-उत्सव का प्रारंभ पूरे प्रदेश में प्रदेश के प्रत्येक शास. प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में किया गया।

3. उक्त आयोजन के अन्तर्गत शाला स्तर, जनशिक्षा केन्द्र स्तर, विकासखण्ड स्तर व जिला स्तर तक बच्चों के समूह (कक्षा 5 से 8 में अध्ययनरत् बच्चे) में से तीन बच्चे एवं शिक्षक समूह से प्रत्येक स्तर पर तीन-तीन शिक्षकों को चयनित किया जाता है। समस्त स्तरों पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र व पुरूस्कार प्रदाय किए जाते हैं।

4. 'कहानी-उत्सव' में अधिकाधिक समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त आयोजन सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, पंचायत का प्रागंण, शाला का खेल मैदान आदि स्थानों पर आयोजित कराए जाने के निर्देश हैं।

5. राज्य स्तरीय कहानी उत्सव में प्रत्येक जिले से एक विद्यार्थी व एक शिक्षक (जिला स्तर पर प्रथम स्थान में चयनित) सहभागी सहभागिता करते हैं। राज्य स्तरीय आयोजन में प्रथम पॉच बच्चों एवं प्रथम तीन स्थान प्राप्त शिक्षकों को पुरूस्कार व प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाता है। शेष सहभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं।

6. सत्र 2019-20 में प्रदेश स्तर पर कुल 51 बच्चों तथा 51 शिक्षकों द्वारा सहभागिता की गई व जिन्हें राज्य स्तर से पुरस्कृत किया गया।

हिन्दी ऑलिंपियाड -

हिन्दी भाषा के प्रति बच्चों की रूचि जागृत करने व पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए सत्र 2017-18 से हिन्दी ऑलिंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। उक्त ऑलिंपियाड में प्रदेश के शास. माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थी सम्मिलित होते है। सत्र 2019-20 में प्रदेश के कुल 1,18,372 विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छिक पंजीयन कराकर प्रथम चरण में उत्तीर्ण हुए। मेरिट के आधार पर द्वितीय चरण हेतु कुल 1872 बच्चों का चयन किया गया है।

हिन्दी समर कैम्प 'नन्ही कलम से'-

हिन्दी ऑलिंपियाड के द्वितीय चरण में चिह्नित बच्चे, कहानी उत्सव में जिले स्तर पर प्रथम आए बच्चे तथा पत्रिका 'गुल्लक' में प्रकाशित रचनाओं के बाल रचनाकार को सम्मिलित करते हुए पाँच दिवसीय समर कैम्प का आयोजन

किया जाता है, जिसमें कविता लेखन, कहानी लेखन, अभिनय,

समाचार प्त्र निर्माण आदि विधाओं पर प्रदेश के वरिष्ठ रंगकर्मी, समाजसेवी, शिक्षाविदों के माध्यम से सत्र संचालन किया जाता है। समर कैम्प में लगभग 100 विद्यार्थी अभिभावक/शिक्षक सहित सम्मिलित होते है।

पत्रिका 'नवांकुर' एवं 'गुल्लक'-

बच्चों की लेखन प्रतिभा को बढ़ाने की दृष्टि से जिला स्तर पर बच्चों द्वारा लिखी गई कविताओं/ कहानियों/ आलेख/ चित्रों आदि को संयोजित कर जिला स्तरीय पत्रिका 'नवांकुर' का प्रकाशन किया जाता है। जिले से चयनित रचनाओं को राज्य स्तरीय पत्रिका 'गुल्लक' में प्रकाशित किया जाता है। 'नवांकुर' जिले द्वारा प्रत्येक शाला को उपलब्ध कराई जाती है तथा 'गुल्लक' राज्य द्वारा प्रदेश की प्रत्येक शास. शालाओं में उपलब्ध कराई जा रही है।

(5) मूलभूत दक्षताओं के उन्नयन हेतु गतिविधियाँ

जॉयफुल लर्निंग -

जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम सत्र 2018-19 से प्रारम्भ किया गया। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आनंददायी वातावरण में सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए जॉयफुल लर्निंग का उपक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। "विद्यालय में विद्यार्थियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के उददेश्य से विद्यालय में भयमुक्त एवं आनंददायी वातावरण में जॉयफुल लर्निंग की गतिविधियाँ कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सत्र के आरम्भ से की गई है, जिसमें बिना पुस्तक एवं बस्ते के शिक्षण गतिविधियाँ खेल-खेल में की जाती है एवं विद्यार्थियों को खेल-कूद, चित्रकारी आदि के किए स्केच पेन, ड्राइंग शीट एवं खेल सामग्री प्रदाय की जाती है और खेल-खेल में ही भाषा एवं गणित की दक्षता का उन्नयन किया जाता है।"

शिक्षा सत्र 2019-20 के प्रारंभिक माह अप्रैल व जून में आनंददायी वातावरण के अन्तर्गत "जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम" की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके लिए भाषा विषयांतर्गत 40 तथा गणित की 40 गतिविधियाँ दी गई है। इसके साथ ही उक्त गतिविधियों के संचालन के लिए ई-कंटेंट, पीपीटी एवं वीडियोज आदि प्रदाय किए गए।

दक्षता उन्नयन कार्यक्रम

- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे एवं प्रतिभा पर्व के परिणाम में यह परिलक्षित हुआ कि मध्यप्रदेश के बच्चों के उपलब्धि स्तर में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता उन्नयन हेतु कक्षा 3 से 8 तक के हिन्दी एवं गणित विषयों में स्तरवार पाठ्य सामग्री निर्माण कर प्रदेश के समस्त शास. विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई तथा शिक्षकों को मार्गदर्शिका उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण दिया गया।
- दक्षता उन्नयन कार्यक्रम जून 2018 से दिसम्बर 2018 तक संचालित किया गया। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित विषय में अभ्यास के अधिक अवसर प्रदान कराते हुए दक्षता उन्नयन के लिए अभ्यास पुस्तिका एवं शिक्षक मार्गदर्शिका तैयार उपलब्ध कराई गई।
- यह कार्यक्रम माह जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 तक नियमित शैक्षिक कार्यक्रम के साथ प्रतिदिन न्यूनतम हिन्दी के लिए 40 मिनिट तथा गणित के लिए 40 मिनिट संचालित किया गया। तत्पश्चात एण्डलाइन टेस्ट के माध्यम से उपलब्धि परीक्षण किया गया।
- कार्यक्रम में 2 माह का बूस्टर डोज के अन्तर्गत हिन्दी व गणित लिए 40-40 मिनिट तथा गणित के लिए 40-40 मिनिट संचालित किया गया। जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए।

''वॉल ऑफ फेम'' -

''विमर्श पोर्टल'' पर शाला का नाम, शाला के शिक्षकों का नाम प्रदर्शित किया जा रहा है। जिसमें कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 में दक्षता उन्नयन की प्रगति ट्रेक की गई है। इसके अंतर्गत भाषा एवं गणित विषयों में मूलभूत दक्षताएँ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर के आधार पर ''वॉल-ऑफ-फेम'' पर सम्मानित किए जाने के तीन स्तर निर्धारित किए गए हैं-

- स्वर्ण पदक स्तर - 90: विद्यार्थी जो भाषा, गणित की उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं।
- रजत पदक स्तर - 75: विद्यार्थी जो भाषा, गणित की उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं।
- कांस्य पदक स्तर - कम से कम 60: विद्यार्थी जो भाषा, गणित की उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं।

सत्र 2019-20 में ''वॉल ऑफ फेम'' पर प्रदेश की 536 शालाएँ स्वर्ण पदक स्तर पर, 1857 शालाएँ रजत पदक स्तर पर तथा 4400 शालाएँ कांस्य पदक स्तर को प्राप्त किए हैं।

(6) विषयवार सीखने के प्रतिफल प्राप्ति हेतु सामग्री निर्माण -

सीखने की सम्प्राप्ति अर्थात सीखने के प्रतिफल से आशय है कि बच्चे को सत्र के अंत में क्या-क्या दक्षताएँ प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसे शैक्षिक अपेक्षाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। सीखने के प्रतिफल को कक्षावार व विषयवार तैयार किए गए हैं। यह सीखने की सम्प्राप्ति आंकलन के मानक या आंकलन के बेंच मार्क के रूप में चिह्नित किए गए हैं। यह सामग्री तीन स्वरूप पोस्टर, ब्रोशर, पुस्तिका के रूप में तैयार की गई है। तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों को उपलब्ध कराई गई।

सीखने के प्रतिफल (लर्निंग आउटकम्स) के लिए क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी टीचर हैण्डबुक विषयवार तैयार की गयी। जिसमें लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए टीचर हैण्डबुक में सुझावात्मक पैडागॉजिकल प्रक्रिया, आवश्यक टी.एल.एम. एवं सतत् मूल्यांकन हेतु गतिविधियों के साथ प्रश्न आदि सुझावात्मक रूप से दिए गए हैं।

(7) पाठ्यांशों में तकनीकी शिक्षा को बढाने हेतु हेडस्टार्ट एवं स्मार्ट क्लास कार्यक्रम -

इस कार्यक्रम के तहत 2589 जनशिक्षा केन्द्रों में हेडस्टार्ट केन्द्र हैं। हेडस्टार्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी के सॉफ्टवेयर स्थानीय परिवेश और बच्चों के सीखने के अनुरूप विकसित किए गए हैं। विभिन्न विषयों पर कई सी. डी. विकसित की जा चुकी हैं। इसके अलावा एन. सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्मित कार्यक्रम की सी.डी. भी इन केन्द्रों को उपलब्ध करायी गयी हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी की स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की घोषणा की पूर्ति करने के परिपेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 1380 माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्सास की स्थापना की जा चुकी है। स्मार्ट क्लास में एक लेपटॉप, 42'' टेलीविजन तथा यू.पी.एस.प्रदाय किया गया है। ज्ञान पिटारा के अन्तर्गत कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (सी.ए.एल.) के लिए विषयवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री जैसे वीडियो, आडियो, पीडीएफ तथा अन्य उपयोगी लिंक अपलोड की गयी है। चिन्हित स्मार्ट क्लास के प्रधानाध्यापक को माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रदेश में 8 स्थानों पर माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(I) **प्री-प्रायमरी**

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में चयनित 5 जिलों भोपाल (200), सीहोर (250), सागर (250), शहडोल (300) एवं छिंदवाड़ा (500), कुल 1500 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के साथ संलग्न प्री-प्रायमरी की के.जी. 1 कक्षाएं आरंभ की गई है। तदनुसार जिन शासकीय प्राथमिक शालाओं में प्री प्रायमरी कक्षाएं संचालित की जा रही है। वहां शिक्षकों की व्यवस्था होने तक उपलब्ध शिक्षकों के माध्यम से प्री-प्रायमरी कक्षाओं का संचालन कार्य आरंभ किया गया है। उक्त पाँच जिलों में 4+ आयु समूह के लगभग 15 हजार बच्चें लाभान्वित हो रहे है। बच्चों की गतिविधियों हेतु शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करायी गई है तथा शिक्षकों को प्री-प्रायमरी कक्षाओं के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्री-प्रायमरी शालाओं में शिक्षिका के साथ-साथ एक सहायिका का प्रावधान है।

(ii) **विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन**

एडूसेट कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र में स्थापित एडूसेट स्टूडियो से एम.एड., बी.एड. तथा डी.एल.एड. के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार वर्चुअल कक्षाओं का नियमित रूप से संचालन किया जाता है। प्रदेश में शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जनपद शिक्षा केन्द्रों में 64 सेटेलाईट इंटरेक्टिव टर्मिनल (SIT) स्थापित हैं, जिनका उपयोग प्रशिक्षण तथा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है। प्रशासन अकादमी में स्थापित हब के द्वारा अपलिंक/डाउनलिंक सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।

(iii) **निर्माण कार्य**

वर्ष 2018-19 तक के SSA में स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति एवं प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

क्र.	कार्य का प्रकार	वर्ष 2019-20 में दिनांक 30.09.2019 की स्थिति में कार्यो की प्रगति	
		लक्ष्य	पूर्ण कार्य
01	बी.आर.सी. (विकास खंड स्त्रोत केन्द्र)	84	84
02	नवीन प्राथमिक शाला भवन	26738	26634
03	नवीन माध्यमिक शाला	19667	19594
04	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक)	125801	121105
05	कार्यालय सह प्रधानाध्यापक कक्ष (प्रधानाध्यापक)	12262	11246
06	शौचालय (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक)	96581	94620
07	पेय जल (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक)	18723	18709
08	आवासीय विद्यालयों का निर्माण	15	15
09	बाउण्ड्रीवॉल (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक)	5491	5491
10	शाला भवन मरम्मत कार्य	14612	13264
	कुल -	319974	310762

(i) भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना में 1108 बालक शौचालय रूपये 3301.84 लाख, 629 बालिका शौचालय रूपये 1962.48 लाख, 241 पेयजल स्थाई स्त्रोत रूपये 313.30 लाख की स्वीकृति दिनांक 25/07/2019 एवं 45 के.जी.बी.व्ही. छात्रावास भवनों के उन्नयन निर्माण कार्य रूपये 6210.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 26/08/2019 तथा 88 के.जी.बी.व्ही. छात्रावासों की बाउण्ड्रीवाल लंबाई 24700 मीटर राशि रूपये 913.90 लाख की स्वीकृति दिनांक 29/07/2019 को जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा 2351 अतिरिक्त कक्ष रूपये 10367.91 लाख, 7661 बाह्य विद्युतीकरण रूपये 1838.64 लाख, 61 मेजर रिपेयर रूपये 49.654 लाख की स्वीकृति दी गई जारी की गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा R.T.E. नार्मस के आधार पर उक्त अतिरिक्त कक्ष, बाह्य विद्युतीकरण एवं मेजर रिपेयर कार्यो की आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर जिलों को स्वीकृति एवं बजट जारी करने का निर्णय म.प्र. समग्र शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22/08/2019 में लिया गया, जिसके आधार पर 14532 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाह्य विद्युतीकरण की स्वीकृति राशि रूपये 1838.638 लाख की दिनांक 20/09/2019 को जारी की गई। अतिरिक्त कक्ष एवं मेजर रिपेयर की स्वीकृति जारी की जाना है।

म.प्र.शासन पंचायतराज संचालनालय द्वारा वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्र की 2285 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बालक शौचालय एवं 1591 शालाओं में बालिका शौचालय स्वीकृत किये गये है, जो निर्माणाधीन है।

(ii) यूनिसेफ की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में गतवर्ष एक एवं दो स्टार शालाओं को सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से दर्शाये गये स्वच्छता के घटकों में कार्य करते हुये तीन स्टार एवं उसके ऊपर अपग्रेड करने हेतु कार्य किया जा रहा है, कुल 31546 एक एवं दो स्टार शालाओं में से इस वर्ष 14 जिलों में 9646 एक एवं दो स्टार शालाओं को लक्षित कर सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से उन्नत किया जा रहा है। यूनीसेफ द्वारा प्रदत्त मोबाइल एप के साफ्टवेयर के माध्यम से बेंचमार्किंग कर सर्वे किया जावेगा। वर्ष 2019 में स्वच्छता पखवाड़ा एवं स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत सभी शालाओं में उत्साह पूर्वक गतिविधियॉ आयोजित की गई जिसमें 105450 शालाओं में 6588550 विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया, जिसे एम. एच.आर.डी. के गूगल ट्रेकर एवं ड्राईव में समय-सीमा में अपलोड किया गया। इस वर्ष विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर-2019 में प्रदेश के समस्त शालाओं में विद्यार्थियों ने सक्रीय रूप से भाग लेते हुये शालाओं ने साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था का संधारण किया गया है एवं नियमित रूप से साबुन से हाथ धुलाई का संधारण किया जाता है। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर 94043 शालाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा तथा 5079928 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। शालाओं में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था हेतु 86246 सोप बैंक का गठन किया गया है।

(iii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यूनीसेफ एवं वाटर एड तकनीकी सहयोग से झाबुआ एवं अलीराजपुर में के.जी.ब्ही.बी. एवं बालिका छात्रावास में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वार्डन एवं सहायक वार्डन के क्षमता संवर्धन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, छात्रावासों में स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यक मरम्मत एवं किशोरी बालिकाओं के साथ सत्रों का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष कुल 39 छात्रावास इकाईयों में लगभग 5000 किशोरी बालिकाओं के साथ गतिविधियॉ संचालित की जा रही है।

(iv) प्रदेश के 312 छात्रावासों में शिक्षक आवास गृह निर्माण राशि रू. 2496.00 लाख की योजना वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक राज्य मद से उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत है। वर्ष 2018-19 में 130 शिक्षक आवास गृह रूपये 975.00 लाख के स्वीकृत किये गये है, जिनमें से बजट उपलब्धता अनुसार राशि रूपये 975.00 लाख जारी किये गये।

(v) प्रदेश के 6730 पेयजल स्त्रोत विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में से राज्य मद अंतर्गत 3954 शालाओं में नलजल/हैण्डपंप खनन के माध्यम से स्थाई पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराने हेतु राशि रू. 4465.00 लाख की योजना वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक योजना स्वीकृत है। राज्य मद अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 2305 शालाओं में स्थाई पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराने हेतु राशि रू. 1999.736 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिनमें बजट उपलब्धता के आधार पर राशि रूपये 1999.736 लाख जारी की गई। पंचायत राज संचालनालय द्वारा शेष 2776 शालाओं में स्थाई पेयजल स्त्रोत हेतु राशि रूपये 3886.40 लाख लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्वीकृति एवं राशि जारी की गई है।

(vi) प्रदेश के 101 भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में भवन निर्माण राशि रू. 1599.7 लाख की योजना वर्ष 2018-19 एवं से 2019-20 राज्य मद से उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 64 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में भवन राशि रू. 989.24 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें से बजट उपलब्धता अनुसार राशि रूपये 560.00 लाख जारी की गई।

(vii) प्रदेश के 2024 शालाओं में चैनलिंक फेंसिंग एवं 867 शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल कुल 2891 शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण राशि रू. 7050.00 लाख की योजना वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य मद से निर्माण कराने हेतु योजना स्वीकृत है। योजना में रूपये 5000.00 लाख स्कूल शिक्षा विभाग एवं रूपये 2050.00 लाख मनरेगा का कनवर्जेंस शामिल है। वर्ष 2018-19 में 461 शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल रूपये 1625.01 लाख (स्कूल शिक्षा 893.00 लाख) की स्वीकृति एवं स्कूल शिक्षा का अंश राशि रूपये 893.00 लाख जारी किये गये है। वर्ष 2019-20 में 520 शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल रू. 2591.0 लाख (स्कूल शिक्षा विभाग का अंश रू. 1463.00 लाख) की स्वीकृति की गई है, जिसमें बजट उपलब्धता अनुसार पक्की बाउण्ड्रीवाल के लिए रूपये 609.75 लाख जारी किये गये।

(viii) भारत सरकार द्वारा प्रधानाध्यापक कक्ष के अपूर्ण निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु विगत 05 वर्षो से राशि जारी नही की गई है। म.प्र. शासन द्वारा प्रधानाध्यापक कक्ष के 2665 अपूर्ण निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु राशि रू. 972.97 लाख की योजना वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राज्य मद से उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत है, जिसमें से बजट उपलब्धता अनुसार रूपये 422.90 लाख जारी किये गये।

(ix) "मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना" अंतर्गत राज्य मद से विगत वर्ष 10490 शालाओं में विद्युत संयोजन राशि रूपये 1320.70 लाख का कार्य किया जा चुका है। राज्य मद अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक शेष 97291 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विद्युत सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि रूपये 27121.595 लाख की योजना स्वीकृत है। वर्ष 2018-19 में 25329 शालाओं में विद्युत संयोजन का कार्य किया जा चुका है। राज्यमद अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 29678 शालाओं में 17054 विद्युतीकरण संयोजन हेतु राशि रूपये 2684.65 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें बजट उपलब्धता अनुसार राशि रूपये 858.51 लाख जारी किये जा रहे है।

(x) राज्य मद अंतर्गत 6039 शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की सुविधा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक राशि रूपये 10000.00 लाख की योजना स्वीकृत है। वर्ष 2019-20 में योजना अंतर्गत राशि रूपये 1000.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजना अंतर्गत व्यय निरंक है।

एकीकृत शाला निधि :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से शालाओं हेतु एकीकृत शाला निधि स्वीकृत की गई जिसके माध्यम से शाला का अधोसंरचना का रखरखाव एवं शाला में लगने वाले आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु 10: राशि निर्धारित की गई है, जिसमें माध्यम से शाला के शौचालयों की नियमित सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाना है। इस धनराशि के उपयोग का निर्णय शाला प्रबंधन समिति ही करती है। शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का एकीकृत शाला निधि का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शालाओं में एकीकृत शाला निधि के रूप में 14 छात्र संख्या तक रूपये 12500/-, 15 से 100 छात्र संख्या तक रूपये 25000/- 101 से 250 छात्र संख्या तक रूपये 50000/-, 251 से 1000 छात्र संख्या तक 75000/- एवं 1000 से अधिक छात्र संख्या वाली शालाओं में रूपये 100000/- शाला प्रबंधन समिति के खातों में जारी किया जाना है।

3.2.4 शिक्षक-शिक्षा सुदृढ़ीकरण

केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल एवं इसके अधीन संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के दृष्टिगत शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त और बेहतर करने की योजना है।

शिक्षक शिक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु सेवाकालीन एवं सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र मेंनिम्नानुसार कार्यवाही की गई है-

3.2.4.1 सत्र 2019-20 में भारत सरकार द्वारा राज्य की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के आवर्ती मद के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन के लिए राशि रुपए 3820.70 लाख का अनुमोदन दिया गया है, जिसमें केन्द्रांश राशि रुपए 2292.42 (60 प्रतिशत) लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 1528.28 लाख (40 प्रतिशत) है एवं अनावर्ती मद के अन्तर्गत राशि रुपए 1,479.40 लाख, जिसमें केन्द्रांश राशि रुपए 887.64 लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 591.76 लाख है। नवीन जिलों अशोक नगर, अनूपपुर एवं सिंगरौली में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक भवन निर्माण किये जा रहे है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों की अकादमिक दक्षता सम्वर्धन हेतु विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से उन्मुखीकरण की योजना है।

3.2.4.2 वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 47 डाईट्स में से 43 डाईट्स द्वारा डी.एल.एड. नियमित पाठ्यक्रम संचालित है। शेष डाईट्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालन करने की मान्यता प्रक्रियाधीन है। इन सीट्स पर प्रवेश के लिए संबंधित शिक्षक को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाते है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नियमावली अनुसार गठित फीस विनियामक समिति द्वारा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारित किये गये है।

शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों हेतु संस्थान विकास समिति गठित है। इन समितियों की नियमित बैठक आयोजित कर स्थानीय प्रबंधन एवं संसाधनों का सुदृढीकरण किया गया है।

3.2.4.3 प्रदेश में शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को बी.एड. पाठ्यक्रम में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित करने हेतु 1,345 स्थान उपलब्ध हैं। 3600 अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी.एल.एड. पाठ्यक्रम (नियमित) में डाईट द्वारा तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण के द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 40 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश प्रदान कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों हेतु 340 सीट्स/स्थान उपलब्ध है।

3.2.4.4 सतत् शिक्षा के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पी.एच.डी. प्रवेश के अर्हताधारी सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षकों को पी.एच.डी. हेतु प्रशासकीय अनुमति प्रदान की जा रही है।

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्धारित संख्या में परीक्षा केन्द्रों का चिन्हांकन किया जाएगा। पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा मार्च 2019 में आयेजित की जाएगी।

3.2.4.6 सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित गतिविधियों में सहयोग

शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रक्रिया पुष्ट करने के लिए संचालित नवाचारी गतिविधियोंके लिएपरिषद् एवं अधीनस्थ संस्थाओं व्दारा आवश्यक सामग्री का विकास, नवाचारी प्रयोग प्रविधि हेतु शिक्षक-प्रशिक्षक तथा शिक्षकों के उपयोगार्थ प्रशिक्षण सामग्री विकास, प्रशिक्षण एवं अकादमिक मॉनिटरिंग एवं अनुसमर्थन का कार्य सतत् रूप से किया गया -

- प्रदेश की चयनित कुल 16005 प्राथमिक शालाओं में गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम (एबीएल) संचालित रहा है। जिसके अंतर्गत सतत् अकादमिक सहयोग दिया गया।
- प्रदेश की 14288 माध्यमिक शालाओं में सक्रिय अधिगम प्रविधि मॉडल (ए.एल.एम.) एवं शेष माध्यमिक शालाओं में (ए.एल.एम.) 2 बाल केन्द्रित प्रविधि से प्रदेश के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण।

3.2.4.7 प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ताा हेतु संचालित विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के सफल एवं गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन का मूल्यांकन शासकीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं एवं प्रतिष्ठित शासकीय/गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है।02 प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASE)- भोपाल एवं जबलपुर, 07 शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTE) (राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान) और 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) द्वारा शैक्षिक योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर शोध के माध्यम से संप्राप्तियां, निष्कर्ष, सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रदान की जाती है।

- वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण में शोध से प्राप्त निष्कर्षो एवं अनुशंसाओं को सम्मिलित किया जाता है। सत्र 2017-18 में प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं -
- 09 मध्यावधि- शोध प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) द्वारा, 43-लघु अवधि शोध जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) द्वारा किये जा रहे हैं। 558 क्रियात्मक अनुसंधान- प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किये जा रहे हैं। प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) द्वारा M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों से 310 Dissertation (लघु शोध प्रबंध) करवाए जा रहे हैं।
- सत्र 2019-20 में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के विभिन्न आयामों का क्रियान्वयन एवं उपलब्धि स्तर पर प्रभाव, विद्यार्थियों की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरुकता एवं दृष्टिकोण, बाल कैबिनेट की गतिविधियों का संचालन, विज्ञान मित्र क्लब से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गुणों का विकास, NCERT की पुस्तकों (पर्यावरण अध्ययन विज्ञान) के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की समझ एवं शिक्षण प्रक्रिया, शाला सिद्धि कार्यक्रम (आयाम 2 व 3) का क्रियान्वयन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों की उपस्थिति, ठहराव एवं उपलब्धि, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास के वार्डन एवं सहायक वार्डन के S4D प्रशिक्षण का बालिकाओं के विकास पर प्रभाव, शैक्षिक संवाद की प्रभावशीलता, CWSN छात्रावास में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का उनकी शैक्षिक स्थिति एवं सामाजीकरण, शाला विकास में सामुदायिक सहयोग का विश्लेषण पुस्तकालय की स्थिति एवं उपयोगिता आदि विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे है।
- सभी जिलों में क्रियात्मक अनुसंधान विषय पर दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे है।
- शोधकर्ताओं के लिये शोध प्रविधियों पर प्रशिक्षण सह कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
- शोध कार्यों की मॉनीटरिंग समय-समय पर प्रत्येक स्तर पर की जाती है।

3.2.5 मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना

केन्द्र प्रायोजित स्कीम "मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की योजना S.P.Q.E.M (Scheme for Providing Quality Education in Madrasa/Minorities) योजना " के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पूर्व में 1810 मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 4177 स्नातक एवं 251 स्नातकोत्तर शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं तथा 214 एवं 59 नवीन मदरसों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में भेजे गये हैं , जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। इन शिक्षकों को भारत सरकार से प्रतिवर्ष आवर्ती वित्तीय सहायता रू. 72,000/- प्रति शिक्षक के मान से प्रतिवर्ष

दिया जाता है। पूर्व में यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र से सहायता प्राप्त योजना थी, वर्तमान में इस योजना का नाम S.P.E.M.M (Scheme for Providing Quality Education in Madrasa/Minorities) कर दिया गया है तथा केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

दिनांक 19 अगस्त 2019 को सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे सभी मदरसों को जिन्हें भारत शासन से अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुशंसा की गई हो अथवा की जायेगी को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जायेगा तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बजट प्रावधान कर राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने क्रमांक एफ 27-20/2019/20-2, दिनांक 19.09.2019 द्वारा आदेश जारी किये गये है। 273 मदरसों में प्राथमिक शाला में 12213 तथा माध्यमिक शाला 3342 (कुल 15555) लगभग अध्ययनरत् विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

3.2.6 नेशनल स्कीम फार इन्सेनटिव टु गर्ल्स फार सेकण्डरी ऐज्यूकेशन (एन.एस.आई.जी.एस.ई)

नेशनल स्कीम फार इन्सेनटिव टु गर्ल्स फार सेकण्डरी ऐज्यूकेशन (NSIGSE) भारत सरकार की पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना अन्तर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी वर्गों की पात्र बालिका के खाते में राशि रू 3000/- (राशि तीन हजार रूपए मात्र) की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे कक्षा 10 वी उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु व अविवाहित होने पर राशि आहरित करने हेतु पात्र होती है।

वर्ष 2016-17 से भारत सरकार की यह योजना "राष्ट्रीय छात्रवृर्ति पोर्टल" (National Scholarship Portal (NSP) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। On-line आवेदन जिले/संस्थाओं के माध्यम से किए जा रहे है।

वर्ष 2016-17 में 127194 एवं वर्ष 2017-18 में (National Scholarship Portal (NSP) पर लगभग 126135 हितग्राही बालिकाओं के द्वारा Online आवेदन किया गया था। उक्त योजना को नवीन स्वरूप में संचालन हेतु मानव ससांधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेशों से सुझाव/संशोधन चाहे गये थे। वर्ष 2018-19 व 2019-20 हेतु भारत सरकार से योजना के संबध में अद्यतन दिशा निर्देश अपेक्षित है।

3.2.7 इंस्पायर अवार्ड योजना

भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना प्रदेश के युवाओं में किया गया एक ऐसा निवेश है, जो विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान को विकसित करता है । इसका उददेश्य बच्चों में विज्ञान का बीज बोना, उसका पोषण करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, रूचि बढना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है । इस योजना हेतु प्रदेश के सभी शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक, हाईस्कूल, उ. मा. विद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय, केन्द्रीय स्कूल (सेन्ट्रल स्कूल) नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं केन्द्र सरकार के अन्य विद्यालय सीबीएसई, आईसीएसई विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी पुरस्कार के पात्र होते है । शैक्षणिक सत्र 2017-18 में भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन्सपायर अवार्ड मानक योजना किया गया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम देशभर के पाँच लाख विद्यालयों के स्कूली बच्चों (प्रत्येक विद्यालय से दो सर्वश्रेष्ठ विचार के लगभग 10 लाख नवाचारों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना में मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग और 6वीं-10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आइडिया को शामिल किया गया।

योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 4895 विद्यार्थीयों के प्रदेश के आइडिया का चयन किया जाकर प्रति छात्र 10,000/- अवार्ड राशि प्रदान की गई । वर्ष 2019-20 में प्रदेश से 33,000 छात्रों द्वारा अपने वैज्ञानिक विचार भारत सरकार विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग को योजना अन्तर्गत ऑनलाईन भेजे गए, जिसमें से 2310 विद्यार्थियों का अवार्ड हेतु चयन किया जाकर उन्हें राशि रू. 10,000/- प्रतिछात्र के मान से अवार्ड राशि प्रदान की गई। योजनान्तर्गत जिला स्तरीय, राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन राज्य स्तर पर एवं राज्य स्तर पर चयनित विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

3.3 अन्य योजनाएं/गतिविधियाँ

3.3.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश

3.3.1.1 बेस्ट फाईव पद्धति

माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा प्रणाली में सुधार के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत कक्षा 10वीं में "बेस्ट फाईव" पद्धति लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 06 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ली जाती है, उन में से जिन 05 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हो, परीक्षा परिणाम की गणना हेतु उन 05 विषयों के अंकों को ही लिया जाता है। परीक्षाफल "बेस्ट फाईव" पद्धति से जिन 05 विषयों में अधिकतम अंक होते है, उनको महायोग में सम्मिलित करके परीक्षाफल घोषित किया जाता है, परन्तु पांच विषयों में (सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक/Project) में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छटवां विषय जिसमें सबसे न्यूनतम अंक होते है, की गणना महायोग में नहीं की जाती है। छटवें विषय के अंक, अंकसूची में मात्र प्रदर्शित किये जाते है।

हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओं में "बेस्ट फाईव" पद्धति अपनायी जाने से न केवल परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव दूर हो रहा है, बल्कि प्रदेश के छात्रों-छात्राओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इस पद्धति से सत्र 2017-18 में परीक्षाफल में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्तमान में यह पद्धति लागू है।

3.3.1.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना

शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा सत्र 2017-18 में व्यवसायिक परीक्षा के 07 नवीन ट्रेड को जोड़ा गया तथा हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा सत्र 2017-18 में व्यवसायिक परीक्षा के 02 ट्रेड की परीक्षा ली गई। इस योजना में हाईस्कूल के छात्र तृतीय भाषा या व्यवसायिक विषय के 09 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी परीक्षा के छात्र द्वितीय भाषा या व्यवसायिक विषय के 09 ट्रेड में किसी एक ट्रेड का चयन कर सकते हैं।

नवीन व्यावसायिक जिला योजना अन्तर्गत सत्र 2018-19 से दो वर्षीय पाठ्यक्रम के 05 ट्रेडस कक्षा 9वीं में प्रारंभ किए गए है जिनका प्रथम बैंच कक्षा 10वीं में सत्र 2019-20 में Exit होगा, एवं सत्र 2018-19 से 04 ट्रेडस कक्षा 9वीं में प्रारंभ किए गए है जिनका प्रथम बैंच कक्षा 10वीं सत्र 2020-21 में Exit होगा।

3.3.1.3 म.प्र. में ऐच्छिक विषय के रूप में एन.सी.सी.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में सत्र 2017-18 तथा सत्र 2019-20 से हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओं में एन.सी.सी. को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऐच्छिक विषय की ग्रेड अंकसूचियों में प्रदर्शित की जा रही है। इसका उद्देश्य हैं कि एन.सी.सी. विषय के प्रति छात्र-छात्राओं में और अधिक रूझान उत्पन्न हो सके तथा प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं में रक्षा सेवाओं की भांति अनुशासन, समर्पण, देश-भक्ति की भावना जागृत की जा सके।

3.3.1.4 अंकसूची संशोधन का विकेन्द्रीकरण

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दस्तावेजों में संशोधन हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों के निराकरण की नवीन विकेन्द्रित एवं पूर्णत: ऑन-लाईन व्यवस्था लागू की गई है। नवीन व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन के आवेदन कियोस्क के माध्यम से किये जा सकते है। आवेदन जिले के उत्कृट विद्यालय में ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। समन्वयक संस्था प्राचार्य, परीक्षण उपरान्त संशोधन योग्य प्रकरण मण्डल मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित करते हैं। मण्डल मुख्यालय द्वारा संशोधित दस्तावेज आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं।

3.3.1.5 दिव्यांग (दृष्टिहीन, मूक-बधिर) छात्रों हेतु पृथक से परीक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग (दृष्टिहीन, मूक-बधिर)

नियमित/स्वाध्यायी छात्र-छात्राओं हेतु पृथक से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है, जारी परीक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक विषय में काफी अंतराल रखा गया है जिससे कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी में समय मिल सके। इन छात्रों के लिये परीक्षा का समय भी दोपहर 1.00 बजे से रखा गया है, जिससे कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं को परीक्षा केन्द्र में पहुंचने में असुविधा नहीं हो।

3.3.1.6 कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को बोर्ड परीक्षा शुल्क में छूट

कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं में वर्ष 2017-18 से परीक्षा शुल्क में पूर्णत: छूट प्रदान की गई है।

3.3.1.7 मोबाइल एप

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से निम्नानुसार सेवाएं/सुविधाएं छात्र-छात्राओं को प्रदान की जा रही हैं :-

- डुप्लीकेट डाक्यूमेंट प्राप्त किये जाने की सुविधा।
- प्रवेश पत्र प्राप्त करने की सुविधा।
- परीक्षा परिणाम प्राप्त करने की सुविधा।
- पुर्नगणना के आवेदन प्रेषित किये जाने की सुविधा।
- उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु आवेदन प्रेषित किये जाने की सुविधा।
- पूरक परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन प्रेषित करने की सुविधा।

3.3.1.8 हेल्पलाइन सेवा

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सत्र 2006-07 से विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा के उपरान्त होने वाले मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव व अन्य प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं के निदान तथा करियर काउंसलिंग एवं गाईडेंस हेतु हेल्पलाइन सेवा का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2019 हेतु मण्डल की हेल्पलाइन सेवा दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर 2019 तक संचालित की गई। हेल्पलाइन सेवा का संचालन 04-04 घन्टे की 03 पारियो के माध्यम से प्रात: 08.00 से रात्रि 08.00 तक किया गया। प्रत्येक पारी में 06 काउंसलर्स द्वारा दूरभाष पर काउंसलिंग प्रदान की गई, साथ ही व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होने वाले छात्रों को भी परामर्श प्रदान किया गया।

मण्डल द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु टोल फ्री नम्बर 18002330175 की 06 लाइन्स् पर वर्ष 2019 में दिनांक 31/12/2019 तक कुल 123591 विद्यार्थियों को हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से काउंसलिग का लाभ प्रदान किया गया।

3.3.1.9 आई.टी.आई. उत्तीर्ण छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सुअवसर

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अन्तर मिटाने हेतु आई.टी.आई. नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग/स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा आयोजित दो या दो वर्ष से अधिक के मान्यता प्राप्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कक्षा 10वीं/12वीं बोर्ड परीक्षाओं में दो विषय-सामान्य हिन्दी एवं एक अन्य वैकल्पिक विषय लेकर सम्मिलित हो रहे हैं। उक्त व्यवस्था अंतर्गत उत्तीर्ण आई.टी.आई. के छात्र क्रमश: हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के समकक्ष मान्य होंगे। यह व्यवस्था वर्तमान में भी प्रचलित है।

3.3.1.10 अंग्रेजी भाषा के कौशल में सुधार हेतु ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट

ब्रिटिश काउंसिंल एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जो भारत वर्ष में लगभग 50 वर्षो से अंग्रेजी भाषा शिक्षण एवं

सांस्कृतिक गतिविधियों में सहायता प्रदान कर रही है। ब्रिटिश कांउसिल के विश्वव्यापी शिक्षण अनुभव को देखते हुए प्रदेश के अंग्रेजी भाषा के लगभग 7000 शिक्षकों के अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण एवं सम्प्रेक्षण कौशल (Communication Skills) को विकसित करने हेतु एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ब्रिटिश कांउसिल के 04 वर्षीय प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश के अंग्रेज़ी भाषा के शिक्षकों को वर्ष 2018 से 2022 के मध्य अंग्रेजी भाषा शिक्षण के साथ-साथ सम्प्रेषण कौशल बढ़ाने हेतु जोर दिया जा रहा है साथ ही बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने एवं अंग्रेजी भाषा बोल चाल हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वर्ष 2019 में निम्नानुसार आवासीय प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया :-

स.क्र	प्रशिक्षण शिविर माह	शिविरों की संख्या	प्रशिक्षित स्त्रोत शिक्षक
1	जून से जुलाई 2019	04	186
2	सितम्बर से अक्टूबर 2019	03	174
3	दिसम्बर	03	177
		योग	537

अक्टूबर माह में प्रशिक्षित किये गए स्त्रोत शिक्षकों द्वारा प्रत्येक जिले में अंग्रेज़ी भाषा के शिक्षकों को सम्प्रेक्षण कौशल (Communication Skills) का प्रशिक्षण ज़िला स्तर पर प्रदान किया गया।

3.3.1.11 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम -

मण्डल द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी कक्षाओं के परीक्षा-परिणामों में सुधार एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों के विषयज्ञान के गुणात्मक स्तर में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों यथा विभिन्न आडियो वीजुअल इत्यादि तकनीक के माध्यम से सुधार हेतु शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

3.3.1.12 मण्डल की परि-सम्पत्तियों का जीर्णोद्धार

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल स्कूल रीवा एवं संभागीय कार्यालय का आवासीय परिसर के पुनरूद्धार कार्य हेतु कुल राशि रू. 967.81 लाख की डी.पी.आर. मण्डल कार्यपालिका समिति द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य म.प्र. लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं मण्डल की तकनीकी शाखा द्वारा संपादित कराया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल स्कूल जावरा के अंतर्गत आवास निर्माण पी.आई.यू. से कराया जा रहा है तथा छिंदवाड़ा स्थित कन्या उच्चतर मा.वि. कैलाश नगर का अधिग्रहण किया जाकर कर मॉडल स्कूल में पूर्व निर्मित भवन का उन्नयनीकरण एवं चतुर्थ मंजिला भवन का निर्माण पी.आई.यू. के माध्यम से कराया जा रहा है, जिस बाबत् रू. 456.36 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, तथा शास.उमावि देहगांव के रिनोवेशयन कार्य हेतु 140.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.3.1.13 मण्डल परिसर के भवन की छतों पर रुफ टॉप सोलर परियोजना की स्थापना:-

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में वर्ष 2018 में 200 किलोवाट सोलर संयत्र स्थापित किया गया है। यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय रुफ टाप एवं नेटमीटरड सोलर संयत्र है। इसे लगभग 20000 वर्गफिट में मण्डल कार्यालय एवं परिसर में स्थित दो अन्य भवनों की छत पर लगाया गया है। इस संयंत्र से 800 यूनिट प्रति दिवस का बिजली उत्पादन हो रहा है। जुलाई 2018 से कार्यरत सौर संयंत्र द्वारा अभी तक 3388059 यूनिट विद्युत का उत्पाद किया जा चुका है, जिससे मण्डल को अभी तक राशि रु. 27,28,783/- की बचत हो गई है।

3.3.1.14 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के लिये नवीन मूल्यांकन योजना

सत्र 2018-19 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा हेतु नवीन मूल्यांकन योजना प्रारम्भ

की गई है। अंक विभाजन निम्नानुसार है :-

हाईस्कूल :- हाईस्कूल में गणित एवं विज्ञान विषय में एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। हाईस्कूल के सभी विषयों में 80 अंक सैद्धांतिक परीक्षा एवं 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। हाईस्कूल परीक्षा हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण 100 अंकों का ही होगा। केवल नियमित छात्रों हेतु 100 अंक का 80 प्रतिशत अधिभार अंकसूची में प्रदर्शित किया जायेगा। स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल विज्ञान विषय में 80 अंक सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित है।

एन.एस.क्यू.एफ. एवं माईनर भाषाएं, अंध-मूक, बधिर छात्रों के लिए पेंटिंग एवं संगीत विषय के प्रश्न पत्र निर्माण एवं मूल्यांकन व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति यथावत रहेगी।

हायर सेकेण्डरी :- हायर सेकेण्डरी के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। हायर सेकेण्डरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों हेतु प्रायोगिक विषयों का मूल्यांकन 70 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा तथा 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर किया गया है।

सत्र 2019-20 से कक्षा 11वीं एवं सत्र 2020-21 में कला संकाय के इतिहास, भूगोल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं मनोविज्ञान विषयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वाणिज्य संकाय के छात्रों हेतु मूल्यांकन व्यवस्था :- नियमित छात्रों हेतु 100 अंकों का प्रश्न पत्र निर्धारित है। 100 अंकों में से प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अधिभार अंकसूची में प्रदर्शित किया जायेगा एवं 20 अंक प्रोजेक्ट वर्क के लिए निर्धारित है। स्वाध्यायी छात्रों के लिए 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा एवं प्राप्तांक अंकसूची में प्रदर्शित किये जायेंगे। स्वाध्यायी छात्रों हेतु प्रोजेक्ट वर्क का प्रावधाान नहीं रखा गया है।

एन.एस.क्यू.एफ., भारतीय संगीत, ड्राइंग एण्ड डिजाईनिंग एवं ललित कला समूह में मूल्यांकन व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी।

3.3.2 म.प्र. मदरसा बोर्ड

मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ग़ैर अनुदानित मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ दिलाये जाने के संबंध में दिनांक 19 अगस्त 2019 को संपन्न मंत्री-परिषद की बैठक में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि "मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे सभी मदरसों को जिन्हें भारत शासन से अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुशंसा की गई हो अथवा की जायेगी, को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ प्रदान किया जाये। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ही इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभाग में बजट प्रावधान कर राशि उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी वर्षों में नवीन मान्यता प्राप्त करने वाले मदरसों जिनका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा, को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।" इसी क्रम में 272 मदरसों में प्राथमिक एवं माध्यमिक की ईकाईयॉ क्रमश: 272 एव 131 कुल 403 है जिनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 12989 एवं 3533 कुल 16522 विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ दिया जाएगा।

3.3.3 मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड

3.3.3.1 रूक जाना नहीं योजना

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल से अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को साल खराब नहीं हो इसी उद्धेश्य से रूक जाना नहीं योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से नियमित/स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है ताकि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उनका वर्ष बरबाद नहीं हो और वे आत्मघाती कदम उठाने से दूर रहें। उक्त योजना का लाभ लेकर कक्षा 10 के विद्यार्थी कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत है तथा कक्षा 12 वीं के विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के बाद उच्च अध्ययन हेतु अन्य संस्थाओं में प्रवेश लेकर अध्ययनरत है।

डिजीटल मूल्यांकन

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा जून एवं दिसम्बर 2019 में आयोजित परीक्षाओं की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल मूल्यांकन द्वारा कराया जा रहा है। समस्त अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कराई जाकर लगभग दस लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से कप्यूटर पर ही कराया जाकर एक माह से कम रिकार्ड समय सीमा में परीक्षा परिणाम तैयार कराकर घोषित किया गया। डिजीटल मूल्यांकन कार्य कराये जाने से मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता आयी और फर्जीवाडा भी समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल प्रदेश ही नहीं अपितु देश का पहला ऐसा बोर्ड है जिसके द्वारा सब्जेक्टिव डिजीटल मूल्यांकन कार्य कराया जा रहा है जिसके सार्थक परिणाम सामने आये हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में चार व्यावसायिक विषय यथा स्टेनोग्राफी (हिन्दी), खाद्य संसाधन, कटिंग टेलरिंग एण्ड ड्रेस मटेरियल तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर असेम्बली एण्ड मेंटनेंस तथा उद्यमिता एवं कौशल विकास की शिक्षा दी जा रही है। ये विषय कुछ चुने हुए अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये हैं। विद्यार्थी इन चार विषयों में से किसी एक विषय का चयन, अन्य विषयों के साथ कर सकता है।

अध्ययन सामग्री

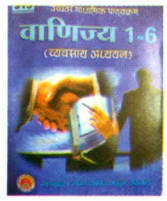

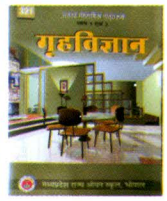

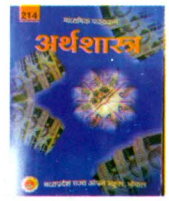

छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन सामग्री ओपन स्कूल की वेबसाइट पर जारी की गई। म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा दसवीं तथा बारहवीं के पाठ्यक्रम में क्रमशः 11 व 18 विषय सम्मिलित हैं। कक्षा 10वीं में कुल 5 भाषाएँ तथा अन्य शैक्षिक विषय है। जबकि कक्षा 12वीं में 3 भाषाओं तथा 4 व्यवसायिक विषयों सहित कुल 18 विषय हैं। जिनमें से विद्यार्थियों द्वारा अधिकतम 2 भाषाओं का चयन किया जा सकता है।

ऑन लाईन प्रमाण पत्र की व्यवस्था

डिजीटल इंडिया के सपने का साकार करने के के उद्धेश्य से मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रवेश फार्म, प्रवेश पत्र, माइग्रेशन ऑन लाईन के माध्यम से विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे किसी भी विद्यार्थी को उक्त अभिलेख प्राप्त करने के लिए मुख्यालय, भोपाल नहीं आना पडे।

सबके लिए शिक्षा (EFA) योजना

सबके लिए शिक्षा (EFA) योजना के तहत प्रदेश के समस्त 52 जिलों के मुख्यालय में स्थित एक-एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विश्वस्तरीय विद्यालय बनाये जाने की योजना प्रारंभ की जा रही है। उक्त सभी स्कूलों में विश्वस्तरीय सुविधा एवं अध्ययन कराया जावेगा उक्त पर खर्च होने वाली धनराशि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की निधि से खर्च की जावेगी।

वर्ल्ड ऑन व्हील प्रोजेक्ट

प्रदेश के समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान प्रदान

करने के उद्धेश्य से "वर्ल्ड ऑन व्हील योजना" के तहत EDII (Enterpreneurship Development Institute of India, Gandhi Nagar Gujrat) गुजरात की कम्पनी से एक बस प्राप्त की गई है उक्त बस 20 कम्प्यूटर लेब से सुसज्जित है जो कि सोलर उर्जा के माध्यम से भी चल रही है। उक्त बस में प्रशिक्षक के द्वारा विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान तक उक्त बस के माध्यम से करीब 05 जिलों को कव्हर करके 295 स्कूल के 6426 विद्यार्थियों तथा 752 शिक्षकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उक्त प्रशिक्षण में विद्यार्थियों में अत्यधिक उत्साह देखा गया है।

मोबाईल एप सुविधा

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों का योजनाओं की जानकारी हेतु वेबसाइट का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से जनमानस को संस्था की योजनाओं/नियमों/निर्देशों की प्रतियों को प्रसारित किया जाता है। इसी प्रकार संस्था के द्वारा मोबाईल एप्प (MPSOS) का भी निर्माण किया गया है जिससे अनेकों विद्यार्थियों को संस्था की जानकारी प्राप्त हो रही है और प्रश्न मंच के माध्यम से विद्यार्थियों की कठिनाईयों का भी निराकरण किया जा रहा है।

वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को अपने विषय संबंधी कठिनाईयों के निराकरण के लिए वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय, भोपाल कार्यालय के वीडियो कान्फ्रेंसिग कक्ष से सीधे समस्त ब्लाक में स्थित विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण से विद्यार्थियों की विषय संबंधी कठिनाईयों का निराकरण किया जा रहा है।

चयन / पात्रता / प्रवेश परीक्षा का आयोजन

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा अपनी परम्परागत परीक्षाओं के साथ-साथ राज्य शासन के निर्देश पर निम्नांकित चयन/पात्रता/प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया तथा रिकार्ड समय सीमा अर्थात 07

दिवसों में ही परीक्षा परिणाम, मेरिट लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी की गई।

क्र.	परीक्षा का नाम	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या
1.	उत्कृष्ट विद्यालय/मॉडल स्कूल चयन परीक्षा	97,846
2.	श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा (श्रम विभाग द्वारा संचालित विद्यालय)	04,634
3.	आदर्श संस्कृत कन्या आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा	110
4.	सुपर-100 चयन परीक्षा	38,175

संकलन केन्द्रों का सुदृढीकरण

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के 9 संभागीय मुख्यालयों पर 2000 विद्यार्थियों के एक साथ परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए एक हाल का निर्माण संस्था की निधि से कराया जा रहा है। उक्त शेड के निर्माण के साथ-साथ बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था भी की जावेगी। उक्त निर्माण से विद्यालय में 2000 विद्यार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। उक्त हॉल का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं एवं मूल्यांकन कार्य के लिए भी किया जा सकेगा। हॉल में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकेंगे।

कम्प्यूटर लेब हेतु अनुदान

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रदेश के समस्त 52 जिलों में स्थित संकलन केन्दों के सुदृढीकरण करने के उद्धेश्य से उक्त संकलन केन्द्रों पर 100 कम्प्यूटर से युक्त लेब एवं फर्नीचर के लिए संस्था की निधि से अनुदान

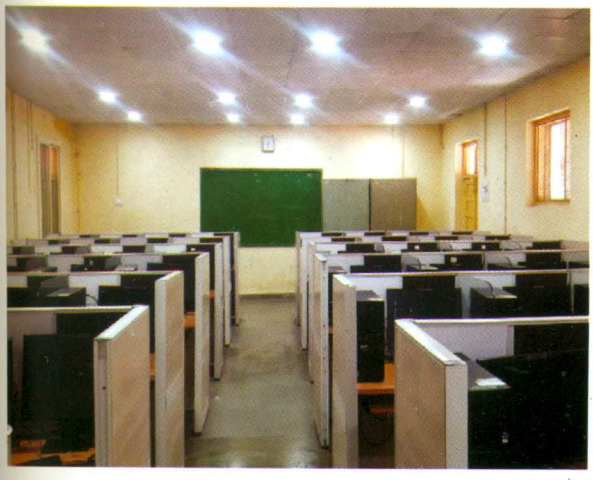

स्वीकृत किया गया है। उक्त कम्प्यूटर लेब से विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे साथ ही उक्त लेब का उपयोग मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के डिजीटल मूल्यांकन के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। स्थानीय सरोजनी नायडू कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में उक्त लैब स्थापित की चुकी है।

कक्षा 9 वीं 11 की परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री

राज्य शासन के निर्देश पर इस वर्ष प्रदेश के सभी विद्यालयों की 09 वीं 11 की स्थानीय परीक्षाओं के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र (गोपनीय सामग्री) मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल के द्वारा समस्त 52 जिलों में उपलब्ध कराई गई है। इन परीक्षाओं में सम्पूर्ण 52 जिलों में कक्षा 09 वीं में 8,76,391 तथा कक्षा 11 वीं में 4,29,418 विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं अर्थात कुल 13,05,809 परीक्षार्थियों के लिए इस संस्था द्वारा गोपनीय सामग्री का मुद्रण कराकर केन्द्रों को प्रदान किया गया है।

स्मार्ट क्लास एवं हॉल का निर्माण

रायसेन जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल की निधि से आधुनिक सर्वसुविधा युक्त स्मार्ट क्लास तथा एक हॉल का निर्माण कराया गया है जिस पर लगभग 25 लाख रूपये का व्यय हुआ है। उक्त स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यालय की बालिकाओं को आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।

उक्त स्मार्ट क्लास और हाल का लोकार्पण विगत 26 जनवरी, 2019 को माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया।

परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों का विवरण

1. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों की संख्यावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परीक्षा वर्ष	योजना का का नाम	सम्मिलित कक्षा 10 वीं	सम्मिलित कक्षा 12 वीं	उत्तीर्ण कक्षा 10 वीं	उत्तीर्ण कक्षा 12 वी
1.	जून,2018	रूक जाना नहीं	59,665	64,659	28,637	30,764
2.	जून,2018	ओपन स्कूल परम्परागत	12,047	06,634	02,595	01,836
3.	दिसम्बर,2018	रूक जाना नहीं	22,231	25,195	09,735	12,380
4.	दिसम्बर,2018	ओपन स्कूल परम्परागत	09,712	06,431	02,824	02,343
5.	जून,2019	रूक जाना नहीं	77,374	54,659	15,207	25,714
6.	जून,2019	ओपन स्कूल परम्परागत	07,950	05,714	01,548	01,592
7.	दिसम्बर,2019	रूक जाना नहीं	20,678	25,218	11,205	09,914
8.	दिसम्बर,2019	ओपन स्कूल परम्परागत	09,089	05,704	02,565	01,936

ओपन स्कूल के परम्परागत विद्यार्थियों की परीक्षाएं

रूक जाना नहीं योजना/प्रवेश/पात्रता/चयन परीक्षाओं के साथ-साथ ही ओपन स्कूल में परम्परागत परीक्षार्थियों की भी परीक्षाएं तथा मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में प्रवेशित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं विगत वर्षों की तरह वर्ष 2019 में भी आयोजित की गई है।

आई.टी.आई विद्यार्थियों के लिये योजना

आई.टी.आई. करने के बाद रोजगार के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके इस हेतु कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण

करने के पश्चात् आई.टी.आई. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा 12 वीं के समकक्ष माना जाने के लिए ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा लागू की गई है जिसमें अनेक विद्यार्थी सम्मिलित होकर योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस हेतु मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और कौशल विकास संचालनालय के मध्य अनुबंध भी हस्ताक्षरित किया गया है।

इस योजना में सम्मिलित विद्यार्थियों की परीक्षाएं जून,2019 एवं दिसम्बर,2019 में आयोजित कराई जा चुकी हैं।

3.3.4 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान

3.3.4.1 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन एवं शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल की समेकित वेबसाईट www.mpssbhopal.org संचालित है। जिसमें संस्थान से संबंधित समस्त जानकारी एवं आयोजन, गतिविधियों,पाठ्यक्रम, परीक्षा, सम्बद्धता,प्रशिक्षण आदि के संबंध में जारी किये जाने वाले आदेश अपलोड किये गये है। वेबसाईट पर लगभग 538 प्राचीन पुस्तकें ,संस्थान की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को मार्गदर्शन हेतु प्रश्नबैंक एवं आदर्श उत्तर , संस्कृत भाषा में एल.के.जी. यू.के.जी कक्षाओं तथा कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं की 03 पुस्तकों के प्रायोगिक संस्करण को स्केन किया जाकर अपलोड किया गया है जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है।

2. तीनों संस्थाओं की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाई जाकर मोबाईल बस द्वारा प्रदेश में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। संस्थान से सम्बद्ध विद्यालयों के लिये वार्षिक शैक्षणिक कलेण्डर जारी किया गया है जिससे समस्त संबंधित संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों में समानता रहे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के सर्वसुविधा युक्त 4 मंजिला नवीन भवन हेतु लागत रू. 8.38 करोड़ स्वीकृत किये गये। इस भवन में 165 सीटर आडीटोरियम, गेस्ट हाऊस एवं कार्यालय की व्यवस्था है। जिसका निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (पी.आई.यू.) द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

3. प्रदेश का पहला राज्यस्तरीय शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत उ.मा. विद्यालय भोपाल जो GARGI'S (GOVT.ADARSH RESIDENTIAL GIRLS INSTITUTE FOR SANSKRIT) के नाम से जाना जाता है, जुलाई 2018 से प्रारंभ किया गया है। विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक संस्कृत माध्यम में शिक्षा दी जा रही है। सत्र 2019-20 में कक्षा 6 एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की गयी । प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं को मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया गया है। सत्र 2019-20 में विद्यालय की कक्षा 6, 7, 9, एवं 10 में 105 छात्राएं अध्ययनरत है जिन्हें नि:शुल्क छात्रावास, नि:शुल्क भोजन,स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय एवं समस्त सुविधाऐं उपलब्ध है। यहाँ छात्रायें पारम्परिक एवं आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन कर रही है।

4. प्रदेश में पांच आदर्श संस्कृत विद्यालय, सिरोंज, दतिया, उज्जैन, बुरहानपुर एवं बरही (कटनी) में स्वीकृत किये जाकर इनमें से सिरोंज, दतिया ,एवं उज्जैन के आदर्श संस्कृत विद्यालय प्रारंभ किये जा चुके है। इन विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा के परम्परागत विधि से किये जा रहे अध्ययन को और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिये आधुनिक पद्धति से भी शिक्षा का प्रावधान है। इन सभी विद्यालयों में संस्कृत और इसके साहित्य तथा प्राच्य संस्कृत को सम्मिलित करते हुये संस्कृत में ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं के अध्ययन की व्यवस्था की गयी है।

5. सत्र 2018-19 में व्यावहारिक ज्योतिर्विज्ञान में एक वर्षीय रोजगारोन्मुखी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले 8 परीक्षार्थियों को मेधावी छात्र सम्मान समारोह में पत्रोपाधि प्रमाणपत्र प्रदान किये गये । व्यावहारिक ज्योतिर्विज्ञान सायंकालीन कक्षायें शासकीय योग केन्द्र में संचालित की जाती है।

6. संस्कृत साहित्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचित कराने के लिये संस्थान द्वारा दिनांक 2,3 ,4 जनवरी 2020 को भोपाल में संस्कृत सम्मेलन तथा मेधावी छात्र प्रोत्साहन समारोह एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें देश के प्रख्यात संस्कृत विद्वानों, प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा सहभागिता की गयी।

7. वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में संस्थान द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की प्राविण्य सूची में प्रथम 10-10 स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप कुल राशि रू. 9 लाख 46 हजार के डिमांड ड्राफ्ट, प्रशस्ति पत्र एवं मोमेन्टो देकर सम्मानित किया गया। संस्कृत शिक्षा क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को सम्मान निधि रू.

10000/-(प्रत्येक शिक्षक को) एवं प्रशस्ति पट्टिका से सम्मानित किया गया है।

8. संस्कृत सप्ताह एवं श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य एवं विश्व बन्धुत्व के भावों को अपने अन्दर संजोए हुए वर्तमान में संगणक के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्कृत भाषा को जन-जन की भाषा बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय/प्राच्य /परम्परागत संस्कृत उ.मा.विद्यालयों में 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह महोत्सव के आयोजन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस , विश्व विज्ञान दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा प्रति विद्यालय को राशि रू. 5000/- उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

9. प्राच्य एवं परम्परागत संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 10 विद्यालयों के अधोसंरचना विकास के लिये रू. 50 लाख वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों से जन सामान्य को परिचित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित मंचों पर शासकीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय भोपाल द्वारा नृत्य नाटिका ऋतुसंहारम् एवं विद्योत्तमा नाटक की प्रस्तुती की गई है।

11. संस्कृत विद्यालयों में अध्यनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर इन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भेजने के लिये दिनांक 22.से 23 अक्टूबर 2019 तक राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतिभा खोज चयन स्पर्धा श्री पीतांबरा संस्कृत विद्यापीठ दतिया में आयोजित की गयी। इन स्पर्धाओं में चयनित छात्रों द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल परिसर द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय आयोजित स्पर्धा में प्रतिभागिता की गई। राज्य स्तरीय स्पर्धा में चयनित तीन छात्रों द्वारा अगरतला (त्रिपुरा) में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता की गयी।

12. संस्थान की विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित कक्षा 1 से 12वी तक नवीन पाठ्यक्रम आधारित 58 संस्कृत पाठ्यपुस्तकों का लेखन कार्य मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गठित पाठ्यपुस्तक लेखन समन्वय समिति के मार्गदर्शन में राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश के सहयोग से प्रांरभ हो गया है। इस हेतु रू. 4.65 करोड़ स्वीकृत है। वर्तमान में 03 पुस्तकों का लेखन किया जाकर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किया गया है एवं इनके प्रायोगिक संस्करण संस्थान के वेबसाईट पर अपलोड किये गये है। इसके अतिरिक्त, एल.के.जी.(अरूण) एवं यू.के.जी.(उद्य)की पुस्तकें तैयार की जाकर वेबसाईट पर अपलोड की गयी एवं कक्षा 01 से कक्षा 04 तक के पुस्तकों के लेखन के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया प्रचलन में है।

13. सत्र 2018-19 में प्रथमा से उत्तरमध्यमा स्तर तक के कुल 209 विद्यालयों को नवीन सम्बद्धता एवं सम्बद्धता का नवीनीकरण किया गया है। प्रदेश में संस्कृत भाषा में अध्ययन-अध्यापन के उद्देश्य से नर्सरी से कक्षा 4 तक की कक्षाएं संचालित करने के लिए 55 विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गई है।

14. इस वर्ष से सभी सम्बद्धता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में एल.के.जी.(अरूण) से संस्कृत शिक्षा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सम्बद्धता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्कृत विद्यालय एवं परम्परागत आवासीय संस्कृत विद्यालयों के 110 संस्कृत शिक्षकों एवं प्राचार्यो को कौशल विकास एवं शाला प्रबंधन हेतु दिनांक 02.01.2020 से 04.01.2020 तक आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है।

15. सम्बद्ध समस्त विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों में एकरूपता एवं गुणवत्ता हेतु वार्षिक शैक्षणिक कैलेण्डर भी जारी किया गया है।

16. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित बोर्ड पूर्वमध्यमा अंतिम खण्ड एवं उत्तमध्यमा अंतिम खण्ड की परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा क्रमशः हाईस्कूल (10वी) एवं हायर सेकेण्डरी (12वी) के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। संस्थान द्वारा आयोजित पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा द्वितीयखण्ड (कक्षा - 10वीं एवं 12वीं) की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। जिससे परीक्षायें अधिक पारदर्शी हो गयी है। संस्थान की परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों के प्रव्रजन (माइग्रेशन) एवं अंकसूची की द्वितीय प्रति के आवेदन एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से जमा कर जारी किये जाते है।

17. संस्थान स्थित पुस्तकालय में व्याकरण, ज्योतिष, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, कर्मकाण्ड, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन आदि संस्कृत विषयों के 2084 ग्रन्थ एवं अन्य साहित्य उपलब्ध हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

विषय	संख्या	विषय	संख्या
व्याकरण	87	कोष	25
ज्योतिष	76	दर्शन	61
न्याय	07	शिक्षा	06
वेद	43	इतिहास	40
पुराण	50	अर्थशास्त्र	03
धर्मशास्त्र	32	साहित्य/नाटक/निबंध	375
मीमांसा	09	आयुर्वेद	27
कर्मकाण्ड	45	अन्य पुस्तकें	660
प्राचीन ग्रन्थ डिजिटल वर्जन	538		

3.3.4.2 शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन :-

1. मौसम के सटीक आकड़ें भेजने हेतु भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक मौसम केन्द्र नागपुर द्वारा इस वर्ष भी अति-उत्तम कार्य हेतु वेधशाला को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार के रुप में प्रावीण्य प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि रुपये 500/-वेधशाला को प्राप्त हुए है।

2. सिंहस्थ 2016 के दौरान शेष रही बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रुपये 27.48 लाख महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल द्वारा पीआईयू उज्जैन को उपलब्ध करवाये गये है। जिससे बाण्डड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

3. नक्षत्र वाटिका का निर्माण कार्य वन मण्डल अधिकारी उज्जैन के द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रत्यक्ष खगोलीय स्थिति को दर्शाते हुए नक्षत्र वाटिका बनकर तैयार हो रही है।

4. महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के पत्र क्रमांक/म.प.स.सं./अकादमिक /2019/1142 भोपाल, दिनांक 29.06.2019 के अन्तर्गत शा. जीवाजी वेधशाला उज्जैन में उज्जैन विकासखण्ड के 20 विद्यालयों के विद्यार्थियों के वेधशाला भ्रमण की अनुमति प्रदान की गई । खगोलीय अवलोकन हेतु उज्जैन विकासखण्ड के कक्षा 10 वीं के वर्ष 2019 के परीक्षा परिणाम के आधार पर उज्जैन विकासखण्ड के 20 विद्यालयों का चयन किया गया।

खगोलीय अवलोकन हेतु प्रत्येक विद्यालय से 60-60 विद्यार्थियों को वेधशाला आमंत्रित किया गया। विद्यार्थियों को प्राचीन यन्त्रों (अवधि 1 घण्टा), तारामण्डल (अवधि 40 मिनट),सी.डी.शो (अवधि 45 मिनट), कार्यशील मॉडल (अवधि 35 मिनट) इस प्रकार कुल 3 घण्टे खगोलीय जानकारी प्रदान कर जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। प्रत्येक दिवस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों के व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया।

खगोलीय अवलोकन दिनांक 8 जुलाई 19 से दिनांक 5 अगस्त 19 तक सम्पन्न हुआ। खगोलीय अवलोकन में 21 विद्यालयों के कुल 1192 विद्यार्थियों एवं 78 शिक्षकों ने सहभागिता की। प्रत्येक विद्यार्थी को सहभागिता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय से 3 विद्यार्थियों का चयन खगोलीय ज्ञान परीक्षा हेतु किया गया।

5. दिनांक 22 दिसम्बर 2019 खगोलीय दिवस पर पूर्व चयनित 21 विद्यालयों के 3-3 विद्यार्थियों को शिक्षक के साथ वेधशाला आमंत्रित कर खगोलीय ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा उपरांत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थियों को नकद राशि एवं सोलर फिल्टर युक्त चश्मा प्रदान किया गया। विद्यार्थियों को पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण द्वारा उन्नत खगोलीय जानकारी प्रदान कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

6. विद्यालयों को प्रामाणिक खगोलीय जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खगोलीय क्लब के गठन एवं

वेधशाला उज्जैन में विद्यार्थियों के अवलोकन करवाने हेतु अद्यतन वेधशाला द्वारा 27 खगोलीय क्लब का पंजीयन किया जा चुका है। पंजीकृत खगोलीय क्लब को वर्ष में होने वाली खगोलीय घटनाओं की प्रमाणिक जानकारी सतत् रुप से उपलब्ध करवाई जा रही है। बड़ी संख्या में विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को वेधशाला उज्जैन का अवलोकन करवाकर खगोलीय जानकारी प्राप्त की जा रही है।

7. वर्ष 2018-19 में कुल 48205 एवं 230 विदेशी पर्यटकों ने वेधशाला अवलोकन किया। 8280 पर्यटकों ने तारामण्डल तथा 269 पर्यटकों ने टेलिस्कोप से आकाशीय अवलोकन किया गया। वर्ष 2019-20 में (10 फरवरी 2020 तक) कुल 56956 एवं 111 विदेशी पर्यटकों ने वेधशाला अवलोकन किया गया। 12989 पर्यटकों ने तारामण्डल तथा 163 पर्यटकों ने टेलिस्कोप से आकाशीय अवलोकन किया।

8. 21 मार्च, 21 जून, 23 सितम्बर एवं 22 दिसम्बर की खगोलीय घटना को वेधशाला के प्राचीन यंत्रों के द्वारा दिखाया गया।

9. वर्ष 2019 में होने वाले तीन सूर्यग्रहण, दो चन्द्रग्रहण एवं बुध पारगमन के दिनांक, प्रारम्भ, मध्य, अन्त के समय, दिखने वाले स्थान आदि की जानकारी वेधशाला की वेबसाइट एवं मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई। दिनांक 16-17 जुलाई 2019 की रात्रि में हुए आंशिक चन्द्रग्रहण एवं दिनांक 26 दिसम्बर 2019 को हुए कणिका सूर्यग्रहण को वेधशाला द्वारा टेलिस्कोप/सोलर फिल्टर युक्त चश्मों के माध्यम से दिखाया गया। जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस खगोलीय घटना का अवलोकन किया।

10. दिनांक 26 दिसम्बर 2019 को हुए कणिका सूर्यग्रहण की जागरुकता, देखने के तरीके एवं ग्रहण की जानकारी हेतु वेधशाला के खगोल विशेषज्ञों के द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय उज्जैन, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय उज्जैन, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन, अशासकीय महाराजा शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन, शासकीय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन में व्याख्यान का आयोजन किया गया एवं सोलर फिल्टर युक्त चश्में प्रदान किए गए।

11. माह जून 2019 में खगोलीय अवलोकन केम्प लगाकर टेलिस्कोप के माध्यम से नागरिकों को आकाशीय अवलोकन करवाया गया।

12. वेधशाला अधीक्षक द्वारा शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, एवं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में खगोलीय व्याख्यान दिए गए।

13. हिस्ट्री चेनल-18 में द लीजेन्ट ऑफ महाकाल कार्यक्रम के अन्तर्गत कालगणना के महत्वपूर्ण केन्द्र के रुप में वेधशाला के यन्त्रों पर आधारित डाक्यूमेन्ट्री का प्रसारण किया गया।

14. लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के माध्यम से संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन द्वारा हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद नईदिल्ली द्वारा प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण में सहभागिता करने वाले प्रतिभागी शिक्षकों को वेधशाला अवलोकन करवा कर खगोलीय जानकारी प्रदान की गई।

3.3.4.3 शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल :-

शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र म.प्र., भोपाल एक राज्य स्तरीय योग प्रशिक्षण संस्था है, जिसमें वर्ष भर योग प्रशिक्षण सत्र एवं योग प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित होती हैं। म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 44-04/2009/20-3 भोपाल, दिनांक 08.06.2009 के द्वारा शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र का नियंत्रण महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के अधीन कर दिया गया है।

1. यह संस्था मध्यप्रदेश की एक मात्र शासकीय योग संस्था है जिसमें योगासन, सूर्यनमस्कार, चंद्रनमस्कार, प्राणायाम, स्थूल एवं सूक्ष्म व्यायाम, शुद्धि क्रियाएं (षटकर्म) एवं ध्यान व त्राटक का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष भर की योग गतिविधियों का वार्षिक योग पंचांग प्रतिवर्ष आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा जारी किया जाता है, जिसके आधार पर शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा योग गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक 30 दिवसीय योग प्रशिक्षण सत्र में 10 स्थान जन

सामान्य के इच्छुक अशासकीय पात्र व्यक्तियों हेतु उपलब्ध हैं। निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धितों को योग प्रशिक्षण सत्र में सशुल्क प्रवेश दिया जाता है।

2. जून 2019 से फरवरी 2020 तक मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों के 260 शिक्षकों/प्राचार्यों/ अधिकारियों एवं जन सामान्य के इच्छुक अशासकीय पात्र व्यक्तियों को मासिक/13 दिवसीय योग प्रशिक्षण दिया गया।

3. स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2020 के वृहद कार्यक्रम सूर्यनमस्कार के आयोजन हेतु पूर्व तैयारी में सहयोग किया गया, मुख्य कार्यक्रम में सम्मिलित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को सूर्यनमस्कार का विधिवत् प्रशिक्षण दिया गया। सूर्यनमस्कार के मुख्य कार्यक्रम में योग केन्द्र के प्रशिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों एवं स्टॉफ द्वारा सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग प्रदान किया गया।

4. 21 जून 2019 विश्व योग दिवस के महाआयोजन हेतु भोपाल शहर के इच्छुक जन सामान्य एवं अधिकारी/कर्मचारियों को योग केन्द्र में विश्व योग दिवस के कॉमन योग प्रोटोकॉल का पूर्व अभ्यास विशेष शिविर कराया गया। इस आयोजन में योग केन्द्र के प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता एवं स्टॉफ द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

5. 03 जून 2019 से 26 जून 2019 तक विभागीय प्राचार्यों/अधिकारियों हेतु 10 दिवसीय योग प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया। योग प्रशिक्षण सत्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रशिक्षण / गतिविधि का विवरण	सम्मिलित सम्भाग / जिले	प्रतिभागियों की संख्या
1	03.06.2019 से 12.06.2019 10 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (प्राचार्य/अधिकारी स्तर)	उज्जैन- उज्जैन, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा जबलपुर- जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, मण्डला, बालाघाट ग्वालियर- ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी रीवा- रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना	28
2	17.06.2019 से 26.06.2019 10 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (प्राचार्य/अधिकारी स्तर)	भोपाल- भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ इन्दौर- इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी नर्मदापुरम- होशंगाबाद, हरदा, बैतूल सागर- सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, पन्ना शहडोल-शहडोल, अनूपपुर, उमरिया	28

6. 02 जुलाई 2019 से 13 फरवरी 2020 तक विभागीय शिक्षकों हेतु 30 दिवसीय योग प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया। योग प्रशिक्षण सत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रशिक्षण / गतिविधि का विवरण	सम्मिलित सम्भाग / जिले	प्रतिभागियों की संख्या
1	02.07.2019 से 31.07.2019 30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर)	ग्वालियर- ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी	44

क्र.	प्रशिक्षण / गतिविधि का विवरण	सम्मिलित सम्भाग / जिले	प्रतिभागियों की संख्या
2	02.08.2019 से 31.08.2019 30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर)	जबलपुर- जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, मण्डला, बालाघाट	21
3	02.09.2019 से 01.10.2019 30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर)	इन्दौर- इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी	30
4	10.10.2019 से 08.11.2019 30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर)	उज्जैन- उज्जैन, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा	36
5	13.11.2019 से 12.12.2019 30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर)	भोपाल- भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदि□ा, राजगढ़	20
6	16.12.2019 से 14.01.2020 30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर)	सागर- सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना नर्मदापुरम- होशंगाबाद, हरदा, बैतूल	27
7	15.01.2020 से 13.02.2020 30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर)	रीवा-रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना शहडोल-शहडोल, अनूपपुर, उमरिया	26

3.3.5 राष्ट्रीय कैडेट कोर

3.3.5.1 अखिल भारतीय स्तर के शिविर

क्रमांक	शिविर का नाम	भाग लेने वाले कैडेट्स की संख्या
1.	एडवांस लीडरशिप शिविर	85
2.	रॉक क्लाइविंग शिविर	92
3.	नौ सैनिक शिविर	31
4.	राष्ट्रीय एकात्मकता शिविर (एन.आई.सी.) (अन्य संचालनालय द्वारा आयोजित)	144
5.	राष्ट्रीय एकात्मकता शिविर (एन.आई.सी.) (म.प्र. संचालनालय द्वारा आयोजित)	825
6.	वायु सैनिक शिविर	28
7.	थल सेना शिविर	78
8.	एन.आई.सी. पोर्ट ब्लेयर	03
9.	ए.टी.सी. नेवल	09
10.	स्पेशल एन.आई.सी.	30
	योग	1325

3.3.5.2 यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (अन्य देशों में गये कैडेट्स का विवरण)

क्र.	कैडेट का नाम	युनिट का नाम	देश का नाम	अवधि
1.	कैडेट मोहित सिंह भदौरिया	8 म.प्र. बटालियन एनसीसी ग्वालियर	बांग्लादेश	12.12.2019 से 23.12.2019
2.	अन्डर ऑफिसर मन चतुर्वेदी	1 म.प्र. आमर्ड एनसीसी जबलपुर	कजाकिस्तान	06.05.2019 से 18.05.2019
3.	कैडेट साचेत शरण सुंद	2 म0प्र0 नेवल युनिट एनसीसी जबलपुर	श्रीलंका	22.10.2019 से 29.10.2019
4.	कैडेट रोहित पांडे	2 म0प्र0 नेवल युनिट एनसीसी जबलपुर	रसिया	29.09.2019 से 06.10.2019
5.	सार्जेंट प्रवीण त्यागी	4 म0प्र0 बटालियन एनसीसी भोपाल	रसिया	18.08.2019 से 02.09.2019
6.	कैडेट विकास सिंह तोमर	3 म0प्र0 नेवल युनिट एनसीसी ग्वालियर	सिंगापुर	11.11.2019 से 20.11.2019
7.	अण्डर ऑफिसर दिव्यानी श्रीवास्तव	13 म0प्र0 बटालियन एनसीसी होशंगाबाद	बांग्लादेश	12.12.2019 से 23.12.2019

8.	सार्जेंट अदिति वर्मा	2 म.प्र. गर्ल्स बटालियन एनसीसी जबलपुर	सिंगापुर	11.11.2019 से 20.11.2019
9.	कैडेट अंजली एन जोसफ	2 म0प्र0 नेवल युनिट एनसीसी जबलपुर	कजाकिस्तान	01.10.2019 से 11.10.2019
10.	कैडेट पवित्रा पाटीदार	1 म.प्र. नेवल युनिट एनसीसी भोपाल	मेडागास्कर, केन्या एवं तंजानिया	22.09.2019 से 29.10.2019

3.3.5.3 ट्रेकिंग

क्रमांक	ट्रेक का नाम	भाग लेने वाले कैडेट्स की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड ट्रेक	40
2.	बिहार ट्रेक	120
3.	शिवाजी ट्रेक (महाराष्ट्र)	65
4.	दार्जिलिंग-सिक्किम (वेस्ट बंगाल)	120
5.	केरल	120
6.	हिमाचल-पंजाब ट्रेक	100
7.	अजमेर ट्रेक	120
8.	अमरकंटक ट्रेक	485
9	आन्ध्रप्रदेश ट्रेक	80
10.	बेलगाम ट्रेक	65
11.	गुजरात ट्रेक	65
12.	उड़ीसा ट्रेक	65
	योग	1445

3.3.5.4 एनसीसी दिवस का आयोजन

एनसीसी स्थापना की 71वीं वर्षगांठ पर दिनांक 24 नवंबर 2019 को एनसीसी दिवस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी के निधन के कारण निरस्त कर दिया गया।

3.3.5.5 एन.सी.सी. प्रमाण पत्र परीक्षा

वर्ष 2019 में एन.सी.सी. प्रमाण पत्र परीक्षाओं में निम्नानुसार कैडेटों ने सफलता अर्जित की।

प्रमाण पत्र	परीक्षा में सम्मिलित कैडेटों की संख्या	परीक्षा में उत्तीर्ण कैडेटों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
ए प्रमाण पत्र	22831	21311	93

बी प्रमाण पत्र	9069	7912	87
सी प्रमाण पत्र	5606	5143	91
योग	37506	34366	

3.3.6 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाती है। यह दो स्तरीय परीक्षा है। प्रथम चयन परीक्षा राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित की जाती है। द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा मई माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाती है। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार NCERT द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-2020 परीक्षा दिनांक 03.11.2019 को जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित की गई है, परीक्षा में कुल 1,02,879 विद्यार्थी दर्ज हुए है। मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रथम स्तर पर वर्ष 2019-20 के लिए कुल 530 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। प्रथम स्तर का परीक्षा परिणाम प्रक्रियाधीन है।

3.3.7 राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मैरिट छात्रवृत्ति परीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2008-2009 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2019-2020 की परीक्षा दिनांक 03.11.2019 को संम्पन्न हो चुकी है। मध्यप्रदेश राज्य के लिए कुल 6446 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है। मध्यप्रदेश राज्य में स्थित शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त अथवा स्थानीय निकायों के विद्यालयों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत् ऐसे नियमित विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है, जिन्होने कक्षा 7 वीं की परीक्षा कम से कम C ग्रेड से पास की हो एवं उनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख या उससे कम हो। इस परीक्षा में मध्यप्रदेश राज्य के नियमानुसार, जिलेवार आरक्षण का प्रावधान है। चयनित विद्यार्थियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा नई दिल्ली के माध्यम से प्रदान की जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9 एवं 11 में 55: अंक एवं कक्षा 10 में 60: अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा में 1,33,300 विद्यार्थी दर्ज हुए।

3.3.8 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश पोषित व एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा एवं किशोरावस्था शिक्षाप्से सम्बन्धित अकादमिक कार्यों का संचालन एवं निर्देशन मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी) भोपाल द्वारा वर्ष 1980 से लगातार करता रहा है। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत किशोर/किशोरियों हेतु विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य जन-जन में जागरुकता लाना है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना वार्षिक कार्ययोजना अनुसार मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में (एस.सी.ई.आर.टी) राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।

1.5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर 47 जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सभी डी.एल.एड प्रशिक्षणार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। निबंध लेखन हेतु जनसँख्या शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन किया गया। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

2.11 जुलाई को विश्व जनसँख्या दिवस का आयोजन

11 जुलाई विश्व जनसँख्या दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 9 से

कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। प्रतियोगिता का आयोजन शाला स्तर जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

शाला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त पोस्टर जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के जनसँख्या शिक्षा प्रकोष्ठ में भेजे जाते हैं। जिला स्तर पर शाला से प्राप्त पोस्टर्स में से निर्णायक मंडल द्वारा तीन पोस्टर्स का चयन किया गया एवं उन्हें पुरस्कार स्वरुप राशि प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर जिले से प्राप्त 10 पोस्टर्स का चयन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त पोस्टर्स को एन.सी.ई.आर.टी नयी दिल्ली भेजा जाता है।

3. एडवोकेसी प्रोग्राम

एडवोकेसी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के व्याख्यान का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डी.एल.एड.प्रशिक्षणार्थियों के लिए जनसंख्या शिक्षा एवं किशोरावस्था शिक्षा से संबंधित विषयों पर किया जाता है।

4. शोध कार्य -

वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत हर वर्ष जनसंख्या शिक्षा एवं किशोरावस्था शिक्षा से संबंधित विषयों पर एक शोध कार्य किया जाता है।

5. रोल प्ले प्रतियोगिता

रोल प्ले प्रतियोगिता के माध्यम से किशोरावस्था के विद्यार्थियों में जनसंख्या संबंधी मुद्दों की समझ व जागरुकता लाना है, जिससे उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का वे सफलतापूर्वक सामना कर सकें, क्योंकि यह एक ऐसी अभिनय प्रक्रिया है, जो वास्तविक जीवन की स्थितियों की व्याख्या करती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है एवं प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगियों के लिए राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त जिले को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु नई-दिल्ली भेजा जाता है।

6. लोकनृत्य प्रतियोगिता

लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन आदिवासी बाहुल्य जिलों में किया जाता है। लोक नृत्य (फोक डान्स) के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा और किशोरवयीन प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से दर्शाया जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है एवं प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगियों के लिए राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त जिले को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु नई-दिल्ली भेजा जाता है।

7. न्यूज लैटर का निर्माण

प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनसँख्या शिक्षा परियोजना की कार्ययोजना के अनुक्रम में जनसँख्या शिक्षा की आयोजित गतिविधियों पर आधारित वार्षिक न्यूज लैटर का निर्माण किया जाता है।

8. 01 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस का आयोजन

01 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस पर राष्ट्रीय जनसँख्या शिक्षा परियोजना की कार्ययोजना के अनुक्रम में जनसँख्या रैली एवं सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल में किया जाता है।

9. मॉनिटरिंग

विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय राष्ट्रीय जनसँख्या शिक्षा परियोजना की कार्ययोजना के अनुक्रम में प्रतियोगिताओं की मॉनिटरिंग मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल द्वारा कि जाती है।

3.3.9 वर्चुअल क्लास रूम

वर्चुअल क्लास रूम योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में प्रदेश के 313 विकासखण्डों में एक-एक शासकीय

उत्कृष्ट/आदर्श उ0मा0विद्यालय का चयन किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के विकासखण्ड स्तरीय 224 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया गया।

वर्चुअल क्लास के माध्यम से इस वर्ष से प्रदेश के समस्त जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को कक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आई.आई.टी/जे.ई.ई एवं नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। उक्त कोचिंग का प्रसारण देश के प्रख्यात एलन करियर इंस्टीट्यूट द्वारा शासकीय उमावि. मल्हार आश्रम इन्दौर से किया जा रहा है। जिससे देश विदेश के उच्च स्तरीय संस्थानों में प्रदेश के ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अत्यन्त उपयोगी और मददगार है।

वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से कक्षा 11वी एवं 12वी की आई.आई.टी/जे.ई.ई एवं नीट की कोचिंग कक्षाओं के संचालन के उपरान्त उपलब्ध समय में राज्य शिक्षा केन्द्र के अंग्रेजी शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा विभागीय 'एक शाला एक परिसर' योजनाओं के प्रशिक्षण करायें गए है। शेष बचे समय में वर्चुअल क्लास के सुविधा अन्य विभागों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण विकास विभाग का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा हैं।

3.3.10 वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत विशिष्ट आयोजन / प्रतियोगिताएं

वर्ष 2019-20 में स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत कालिदास समारोह, मोगली बाल उत्सव, राज्य स्तरीय बालरंग, बालसभा एवं योग खेल प्रशिक्षण, इंटर स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता, सामूहिक सूर्यनमस्कार, विश्व योग दिवस, पाठ्य सहगामी गतिविधियां, प्रशिक्षण, देशभक्ति कविता पाठ, साहित्यिक , सांस्कृतिक , पर्यावरण तथा शैक्षिक प्रतियोगिताऐं आदि गतिविधियां विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2019-20 हेतु बजट में रू. 4.54 करोड़ का प्रावधान होकर रू. 3.63 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है ।

(I) कालिदास समारोह -कालिदास अकादमी (संस्कृति विभाग) उज्जैन द्वारा देव प्रबोधिनी एकादमी के अवसर पर प्रतिवर्ष उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विगत वर्षों से महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्रांकन, श्लोक गायन, नृत्य नाटिका आदि प्रतियोगिताएं शाला स्तर, विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर पर आयोजित की जाती है तथा प्रत्येक संभाग से कनिष्ट एवं वरिष्ठ वर्ग से 12-12 सदस्यों का दल नृत्य नाटिका हेतु एवं श्लोक पाठ हेतु 2-2 विद्यार्थी द्वारा राज्य स्तरीय आयोजन में सहभागिता की जाती है। शैक्षणिक 2019-20 में कालिदास समारोह दिनांक 07 से 09 नवंबर 2019 को उज्जैन में महाकाल धर्मशाला में आयोजित किया गया हैं ।

(ii) मोगली बाल उत्सव - विद्यालयीन छात्र-छात्राओं में पर्यावरण, वन संरक्षण तथा वन्य प्राणियों के प्रति संचेतना जागृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2004 से प्रति वर्ष राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का आयोजन म.प्र. जैव विविधताओं बोर्ड, वन विभाग, इको पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण संरक्षण तथा नियोजन संगठन के सहयोग से आयोजित किया जाता है।

इस आयोजन में सहभागिता हेतु शाला स्तर, विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर पर पर्यावरण संबंधी विषयों पर त्रि-स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण प्रदेश के लगभग 20 से 25 लाख छात्र-छात्राएं प्रतिवर्ष सहभागिता करते है। वर्ष 2019 के इस आयोजन जिला स्तर पर चयनित 04 छात्र एवं 04 छात्राएं कुल 408 चयनित प्रतिभागी तथा 51 शिक्षक एवं 51 शिक्षिकाऐं द्वारा राज्य स्तरीय मोगली महोत्सव में सहभागिता की गई।

म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड क्विज प्रतियोगिता 2019 के 54 विजेता प्रतिभागी छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों द्वारा राज्य स्तरीय मोगली उत्सव में सहभागिता की गई।

वर्ष 2019-20 में मोगली बाल उत्सव का आयोजन टाइगर रिर्जव पेंच अभ्यारण सिवनी में दिनांक 27 से 29 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया।

(iii) राज्य स्तरीय बालरंग - बालरंग उत्सव में सहभागिता हेतु शाला, विकासखण्ड, जिला एंव संभाग स्तर पर साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, मदरसा, विज्ञान, संस्कृत, एंव नि:शुल्क बच्चो की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है । जिला/संभाग स्तर से राज्य स्तर हेतु छात्र-छात्राओं का चयन किया जाकर राज्य स्तरीय बालरंग प्रतियोगिता का आयोजन 19 दिसम्बर 2019 को

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के चयनित छात्र-छात्राओं द्वारा सहभागिता की गई।

(iv) राष्ट्रीय बालरंग - छात्र-छात्राओं को देश की विभिन्न लोक संस्कृतियों से परिचय एवं लोक विधा को समझने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से निरन्तर राष्ट्रीय बालरंग कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। लोक संस्कृति विषयों से संबंधित शाला, विकासखण्ड, जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाकर राज्य स्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त दल को राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु चयन किया जाता है । इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बालरंग का आयोजन 20-21 दिसम्बर, 2019 को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय बालरंग 2019-20 में सिक्किम, प्रथम, हरियाणा-द्वितीय, हिमालय प्रदेश-तृतीय पर रहा और छ्तीसगढ़ को प्रथम एवं मध्यप्रदेश राज्य को द्वितीय सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

(v) साप्ताहिक बालसभा के अन्तर्गत पाठ्य सहगामी एवं योग/खेल प्रशिक्षण - शिक्षण सत्र 2019-20 में पाठ्य सहगामी गतिविधियां, शैक्षणिक केलेण्डर, बालसभा एवं योग का राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के शिक्षकों को बालसभा एवं योग का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रतिदिन विद्यालय में एक कालखण्ड योग/खेल हेतु निर्धारित किया गया है। योजना गत 05 वर्ष से संचालित हैं। योजना अन्तर्गत बालसभा आधरित सतत् एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन पुस्तिका का मुद्रण किया जाकर सभी विद्यालयों को वितरित की गई।

(vi) स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता - वर्ष 2017 से भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं जौनल स्तरीय अन्तर स्कूल बैण्ड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 5.11.19 को जिला मुख्यालय पर, संभागीय प्रतियोगिता संभागीय जिला मुख्यालय पर दि. 14.11.19 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 19.11.19 एवं जोन स्तरीय प्रतियोगिता में दिनांक 14.12.19 को आयोजित की गई है। इसमें मध्यप्रदेश के 1 बालक वर्ग एवं 1 बालिका वर्ग के इंटर स्कूल बैण्ड प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई।

3.3.11 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान स्थापित होकर शिक्षकों द्वारा प्रति वर्ष देय अंशदान की राशि एवं राज्य शासन की अनुदान निधि से संचालित है। शिक्षकों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम प्रतिष्ठान के माध्यम से क्रियान्वित किये जाते है , इसके माध्यम से प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को 05 सितम्बर, शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है एवं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु अनुशंसित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

वर्ष 2019 में "शिक्षक दिवस" के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह

का आयोजन किया गया एवं राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के आयोजन में प्रदेश के 38 जिले के एक-एक उत्कृष्ट शिक्षक को रूपये 25000/- की नकद धनराशि शाल श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर "राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान" महामहिम राज्यपाल महोदय के कर-कमलों द्वारा प्रदान कराया गया।

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की प्रक्रिया को संशोधित कर शिक्षकों के ऑनलाईन प्रस्ताव चाहे गये थे। प्रदेश से राज्य स्तरीय समिति की 6 शिक्षकों की अनुशंसाएं चाही गई। जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश की एक शिक्षक डॉ, ललित मेहता, अध्यापक, शासकीय उत्कृष्ट उमावि. रतलाम म.प्र. का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु किया जाकर महामहिम महोदय के कर-कमलों द्वारा रूपये 50,000/- की सम्मान निधि, रजत पदक एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

दिनांक 5 सितम्बर 2019 को राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस का आयोजन आर.सी.व्ही नरोन्हा प्रशासन एकेडमी भोपाल में राज्य स्तरीय पुरूस्कार 2019 हेतु चयनित समस्त शिक्षकों के उत्साहवर्धन हेतु राज्य स्तरीय आयोजन में महामहिम राज्यपाल महोदय श्री लालजी टंडन की गरिमामयी उपस्थिति रही।

शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षकों एवं उनके आश्रित सदस्यों को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर रोग, किडनी रोग एवं दुर्घटना के अंग क्षति होने पर शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रदेश में 10 शिक्षक सदन भोपाल, जबलपुर में भेडाघाट, होशंगाबाद में इटारसी, टीकमगढ़ में ओरछा, ग्वालियर, इन्दौर, सीधी, रतलाम, रीवा, उज्जैन, सागर में संचालित हैं जिनके सुदृढीकरण एवं प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक शिक्षक सदन के निर्माण की योजना है। इन शिक्षक सदनों का संचालन राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है।

3.3.12 सामूहिक सूर्य नमस्कार

12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस "युवा दिवस" के अवसर पर प्रदेश की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में "एक ही समय" 'एक संकेत पर' सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन दिनांक 12 जनवरी को प्रतिवर्ष किया जाता है।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 12 जनवरी 2020 को सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में किया गया। राज्य स्तरीय आयोजन शासकीय सुभाष उत्कृष्ठ उमावि. शिवाजी नगर भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा, डॉ, प्रभुराम चौधरी एवं विधि विधायी तथा जनसंपर्क मंत्री माननीय श्री पी.सी.शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

3.3.13 विश्व योग दिवस

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय विश्व योग विगत 3 वर्षों से 21 जून को मनाया जाता है, यह कार्यक्रम संस्था स्तर पर, जिला स्तर पर आयोजित होते हैं 21 जून 2019 को प्रदेश में प्रत्येक शिक्षण संस्था में प्रत्येक जिला/ संभाग स्तर पर विश्व योग दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न योग संस्थाओं तथा गणमान्य नागरिकों द्वारा सहभागिता की गई।

भाग - चार

4 सामान्य प्रशासनिक विषय

4 सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1 यौन उत्पीड़न शिकायत एवं निवारण समिति

महिलाओं के हितों की रक्षा एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 नियम 2013 अंतर्गत संचालनालय सहित सभी संयुक्त संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी एवं शासकीय उ.मा.वि. कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। यह समितियाँ 3 वर्ष के लिए गठित की जाती है।

4.2 मध्यप्रदेश राज्य महिला नीति

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मध्यप्रदेश महिला नीति का गठन किया गया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य महिला नीति के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- विकास की मुख्य धारा में महिलाओं की गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।
- जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं हितों का संरक्षण करना है।
- महिलाओं की समग्र क्षमताओं का विकास करना।
- महिलाओं से संबंधित नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का परिणाम मूलक क्रियान्वयन करना।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य महिला नीति को लागू करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, शैक्षणिक संस्थाओं में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना, बालिका ड्रॉप आउट रेट कम करना, लिंग भेद समाप्त करना, भोपाल जिले में महिलाओं/ बालिकाओं के लिए सुरक्षित व हिंसा मुक्त वातावरण निर्माण के लिए विद्यालय के माध्यम से सेफसिटी कार्यक्रम की जागरूकता के लिए बालिकाओं को स्वरक्षा हेतु मार्शल आर्ट/जुडो/कराटे का प्रशिक्षण, विद्यालयों में बालिकाओं की समस्या के निराकरण हेतु एक महिला परामर्श दाता की व्यवस्था, यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में जागरूक्ता बढ़ाने हेतु विद्यालयों में प्रकाशन होने वाली वार्षिक पत्रिका में अनुच्छेद से संबंधित जानकारी प्रकाशित कराने, जागरूकता बढ़ाने हेतु विद्यालयों में समय-समय पर चर्चा/परिचर्चा, भाषण नाटक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस. के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विभाग द्वारा बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक, नि:शुल्क सायकिल वितरण, नि:शुल्क गणवेश एवं विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास संचालित हैं। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

राज्य के समस्त विद्यालयों में पूर्व में गठित आंतरिक परिवाद समिति का तीन वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नई समिति के गठन के निर्देश संचालनालय स्तर से दिये गये है। संचालनालय में नई आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है एवं शिकायत पेटी भी लगाई गई है।

संचालनालय स्तर पर समस्त महिला अधिकारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों से परिचित करने हेतु दिनांक 29.09.2018 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

संचालनालय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों की ऑन-लाईन शिकायत हेतु पॉक्सो ई-बॉक्स विकसित किया गया है। जिसका उद्देश्य बच्चों द्वार यौन शोषण की शिकायत सीधे एवं सरलीकृत ढंग से किया जाना है शिकायत दर्ज होने के पश्चात् सत्यापन होने पर पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत समस्त

संभाग/जिले एवं विद्यालयों में प्रचारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

संचालनालय स्तर पर समस्त विद्यालयों में छात्रों के बीच हेल्पलाईन नं. (1098) के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं प्रचारित करने के लिये सभी विद्यालयों में इस सहजदृश्य स्थान पर एवं बोर्ड पर हेल्पलाईन नं. को प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं।

4.3 न्यायालयीन प्रकरण

माननीय उच्च-न्यायालय में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी 11.02.2020 की स्थिति निम्नानुसार है:-

रिट याचिका

मान.उच्च न्यायालय	कुल	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत	प्रत्यावर्तन शेष
जबलपुर	1594	1235	359
ग्वालियर	867	743	124
इन्दौर	1015	890	125
कुल	3476	2868	608

अवमानना प्रकरण

मान.उच्च न्यायालय	कुल	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत	प्रत्यावर्तन शेष
जबलपुर	484	417	67
ग्वालियर	30	15	15
इन्दौर	236	184	52
कुल	750	616	134

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (विधि प्रकोष्ठ) कार्यालय जबलपुर, ग्वालियर तथा इन्दौर में स्थापित है। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, (विधि प्रकोष्ठ) विभागीय प्रकरणों के निराकरण हेतु महाधिवक्ता, कार्यालय जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर, इन्दौर से सतत् सम्पर्क में रह कर विभागीय प्रकरणों में समन्वय स्थापित करते है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा कुल रिट याचिका पारित 3476 में से 2868 प्रत्यार्वतन प्रस्तुत किये गए एवं 608 प्रत्यार्वन शेष है। मान. उच्च न्यायालय द्वारा कुल अवमानना 750 में से 616 में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये गए एवं 134 शेष हैं।

4.4 विभागीय जांच

वर्ष 2019-20 में विभागीय जॉच की जानकारी निम्नानुसार है:-

कुल विभागीय जॉच प्रकरण	शासन स्तर से निराकृत प्रकरण	संचालनालय स्तर से निराकृत प्रकरण	कुल निराकृत प्रकरण
68	01	10	11

4.5 भर्ती / स्थानांतरण

1. वर्ष 2018-19 में नवीन भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत लगभग 1.85 लाख अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में 1.05 लाख नियुक्ति की गई थी। शेष 80 हजार अध्यापकों में से 73 अध्यापकों को नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति वर्ष 2019-20 में की गई है। लगभग 07 हजार अध्यापकों की नियुक्ति के प्रकरण विभिम्न कारणों यथा: न्यायालयीन

प्रकरण, दण्ड प्रभावशील, अभिलेखों की कमी, विभागीय जॉच इत्यादि के कारण नही हुई है। ऐसे प्रकरणों की समय-समय पर समीक्षा कर निराकरण कराये जायेगें।

2. शिक्षक पदपूर्ति- उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की है। जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु 2.20 लाख एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग के लिए लगभग 4.78 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उच्च माध्यमिक के 15000 पदों एवं माध्यमिक के 5670 पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगले अकादमिक सत्र तक ये शिक्षक शालाओं में पहुँच जाएंगें।

3. प्रदेश में पहली बार विभागीय स्थानांतरण नीति 2019-20 के अन्तर्गत स्थानांतरण हेतु 69721 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें प्राथमिकता के क्रम में डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त 32873 तथा 1635 प्रशासनिक स्थानांतरण के आदे जारी किये गये। स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाईन की गई। प्राथमिकता क्रम के आधार पर 72 आवेदकों को शत-प्रतिशत परीक्षा, 1484 आवेदक गम्भीर बीमारी, 16514 आवेदक पति-पत्नि शासकीय सेवा, विधवा, तलाक शुदा एवं परित्यागताओं एवं 1756 आवेदकों को दिव्यांगजनों को स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्राप्त हुआ है। स्थानांतरण की ऑनलाईन प्रक्रिया पारदर्शिता को सम्पन्न कराई गई।

भाग - पांच

5 अभिनव योजना / पहल

5 अभिनव योजना/पहल

5.1 विभाग में e-governance एवं m-governance

अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यो के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा परिणामों की समीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर जानकारी की त्वरित उपलब्धता तथा उनके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2008 में एन.आई.सी के सहयोग से विभाग द्वारा एजूकेशन पोर्टल विकसित किया गया।

एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं :

- लगभग 3.9 लाख कर्मचारी एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत प्रोफाइल एवं ई-सेवा पुस्तिका का संधारण
- सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के ऑनलाइन वेतन देयक तैयार करने की व्यवस्था
- लगभग 1.21 लाख स्कूलों की प्रोफाइल मय जी.आई.एस. फोटो सहित
- ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन
- शिक्षा का अधिकार अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों की ऑनलाईन मान्यता
- वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था कायम की गई।
- इस प्रावधान के तहत अध्ययनरत् बच्चों का आधार सत्यापन तथा ऑनलाईन बैंकिग के माध्यम से सीधे स्कूलों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था
- प्रतिभा पर्व पोर्टल के माध्यम से स्कूलों की ग्रेडिंग
- स्कूलों के निरीक्षण एवं फॉलोअप हेतु शाला दर्पण
- अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन व्यवस्था
- ई-पाठशाला
- स्कूल नामांकन
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास
- शाला से बाहर बच्चों की निगरानी
- ऑनलाइन सायकिल वितरण प्रणाली
- निर्माण कार्य
- वित्तीय लेखा प्रबन्धन प्रणाली
- युक्तियुक्तकरण प्रणाली
- अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन संविलियन प्रणाली
- ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली

उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप विभाग को वर्ष 2017-18 Ministry of Personal, Public grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms & Public Grievances- e-governance

Divisions द्वारा Innovation in Existing Project of Government Departments other than PSUs – Category III esa Gold अवार्ड प्रदान किया गया है।

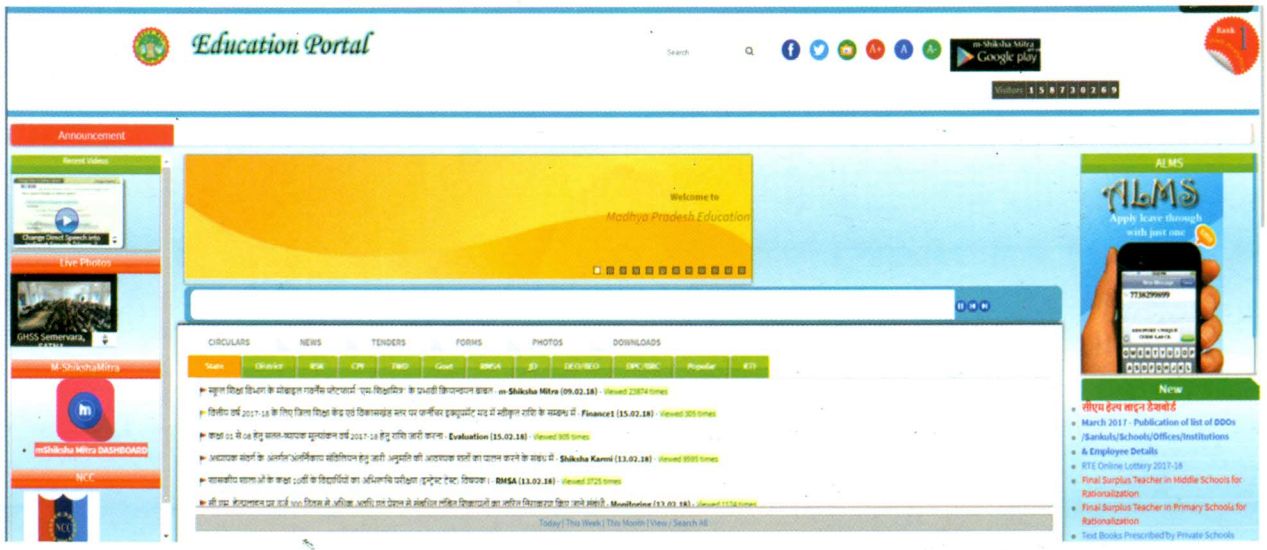

भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में नियुक्ति (ऑनलाईन)

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 प्रकाशित किये गये हैं। नियमों में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अध्यापक संवर्ग की शिक्षा विभाग में नियुक्ति की कार्यवाही जिसमें लगभग 1.85 लाख अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों का सत्यापन, संबधितों की प्रोफाइल अपडेट करना, दावा आपत्ति प्राप्त करना एवं डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नियुक्ति आदेश जारी करना आदि समस्त कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से कराई गयी। अब तक लगभग 1.75 लाख अध्यापकों के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

5.2 मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफार्म (एम-शिक्षामित्र) :

इन्टरनेट-युक्त स्मार्ट फोन की सहज उपलब्धता को संज्ञान में लेते हुए विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध सभी सुविधाएँ/सेवाओं को चरणबद्ध रूप से एप्प के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए NIC के सहयोग से "m-ShikshaMitra" एप्प को एम्-गवर्नेंस प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया गया है। एप्प के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं (स्टेक होल्डर्स यथा अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकों) को विभाग से सम्बंधित सेवायें और सुविधाएँ एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गयी है।

एम-शिक्षा मित्र के माध्यम से निम्न सुविधाएँ क्रमबद्ध रूप से प्रदान की जा रही है :

- सभी शालाओं की प्रोफाइल, नामांकन, पदस्थ शिक्षक, सुविधाएं, अधोसरंचना, लोकेशन, शाला में दर्ज विद्यार्थियों की सूची, शाला को राज्य स्तर से जारी प्राप्त राशियाँ/फंड्स इत्यादि
- पे-स्लिप, अवकाश आवेदन पंजीयन, ई-सेवा पुस्तिका, शिक्षको की विभागीय एवं सेवा संबंधित शिकायतों का पंजीयन एवं ट्रैकिंग
- नियुक्ति आदेश डाउनलोड करना
- राज्य, संभाग, जिला, ब्लाक एवं संकुल स्तर के कार्यालयों द्वारा जारी आदेश/सर्कुलर्स.
- विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि का स्टेटस/ट्रैकिंग, विद्यार्थियों का आगामी कक्षा में प्रमोशन इत्यादि

- अधिकारियों/शिक्षकों/विद्यार्थियों/कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति
- किसी भी स्थान के पास संचालित सभी स्कूल का मेप पर प्रदर्शन.
- निशुल्क SMS
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन
- ज्ञान पिटारा

5.3 ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत बड़ी संख्या में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के शिक्षक, जो कि स्थानीय निकायों के कर्मचारी होने के कारण उनका स्थानान्तरण विगत 15-20 वर्षों से नहीं हो पा रहा था। कई लोक सेवक अपने घरों से 500-800 किलोमीटर दूरी पर सेवारत थे और लगातार इनके द्वारा स्थानान्तरण की मांग किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा नवीन स्थानान्तरण नीति दिनांक 22 जून से जारी की गयी। सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्यवाही की गयी इसके लिए विभागीय एजुकेशन पोर्टल पर ही यह सुविधा सम्बंधित लोक सेवक के यूजर पासवर्ड पर उपलब्ध करायी गयी जिससे बिना किसी कार्यालय में जाए सम्बंधित अपना आवेदन कर सके।

स्थानान्तरण हेतु लगभग 70000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए यह अपने आप में बहुत बड़ी संख्या अर्थात अनुमान से अधिक थी जिसकी स्क्रूटनी करते हुए प्राथमिकता के क्रम में आवंटन की कार्यवाही ऑनलाइन ही NIC द्वारा की गयी। नीति के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जारी आदेशों में लोक सेवकों द्वारा कुल 20 विकल्प भरे जाने का प्रावधान किया गया था जिसमे से 45% लोकसेवकों को प्रथम चॉइस और 15% लोकसेवकों को द्वितीय विकल्प इसी प्रकार 80% लोक सेवकों को प्रथम पांच विकल्प में से शाला आवंटित हुई।

विशेष प्राथमिकता अर्थात शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम, गंभीर रोग से ग्रस्त, पति पत्नी के शासकीय सेवा में होने एवं दिव्यांग आदि को स्थानान्तरण हेतु शाला आवंटन की स्थिति निम्नानुसार है

Prominent Reason for Allotment	No of Teahcers
Teachers from Schools with 100% board result (Only HS /HSS)	72
Teachers with Self or Family Member with Critical Illness	1484
Teacher with Spouse working as Government Employee	16514
Female Teachers who are Widowed/ Divorcee/ Deserted	1198
Teachers appointed in Disabled Category	1756

इस प्रकार लगभग 35 हजार स्थानान्तरण किये गये।

5.3 प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना

5.3.1 योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय विद्यालयों/छात्रावासों के भौतिक एवं अकादमिक विकास हेतु समुदाय की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है। इस योजना के माध्यम से शासकीय शालाओं एवं छात्रावास को सहायता उपहार या राशि के रूप में शाला/छात्रावास को उपलब्ध होगी, जिससे शाला/छात्रावास में सीखने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उपहार दाता के रूप में कोई भी व्यक्ति/संस्था योजना से जुड़ सकते है। उपहार दाता का शाला से जुड़ाव मात्र उपहार देने तक ही सीमित नहीं रहेगा अपितु शाला एवं उपहार दाता के बीच जीवंत संपर्क बना रहेगा ताकि वह भी शाला के भौतिक एवं अकादमिक विकास के साक्षी बन सके।

5.3.2 प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना का स्वरूप

प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना अन्तर्गत शाला से जुड़ने हेतु उपहार दाता के पास तीन विकल्प उपलब्ध हैं -राशि, सामग्री एवं अधोसंरचना के कार्य (अतिरिक्ति कक्ष/सम्पूर्ण शाला भवन/शाला का जीर्णोद्धार/भूमि/अन्य अधोसंरचना संबंधी कार्य)।

प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना हेतु पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिससे सभी शालाओं/छात्रावास की आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध एवं कोई भी व्यक्ति/संस्थाओं/शालाओं/ छात्रावास को राशि/उपहार देने की सहमति पोर्टल के माध्यम से दे सकेगा।

5.3.3 योजना अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही

योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला उपहार समिति का गठन किया गया हैं। जिला कलेक्टर समिति के अध्यक्ष हैं, इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (RMSA), जिला परियोजना समन्वयक (SSA) सहायक परियोजना समन्वयक मोबेलाईजेशन एवं सहायक यंत्री सर्व शिक्षा अभियान सदस्य हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हैं।

राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय उपहार समिति गठित करने की व्यवस्था, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग हैं तथा आयुक्त, लोक शिक्षण, आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (सदस्य सचिव) सदस्य हैं।

प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना शाला और समुदाय के मध्य जीवंत संपर्क निर्मित करने का उत्तम माध्यम है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से समुदाय की सक्रिय सहभागिता से शाला के अधोसंरचनात्मक एवं अकादमिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में लगभग रू. 38.00 करोड़ की अनुमानित राशि (भूमि/ अद्योसंरचना, शैक्षणिक व अन्य सामग्री एवं नगद राशि के रूप में) शालाओं में प्राप्त हो चुकी है।

5.4 विमर्श पोर्टल

विभाग द्वारा शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं स्कूलों को अकादमिक दृष्टि से सुदृढ करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विमर्श पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :-

1. विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो, मेरिट वाले विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाएं, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र एवं मॉडल उत्तर पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे विद्यार्थी किसी भी विषयवस्तु को आसानी से समझ सकेगें। इस पोर्टल पर यह भी व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी अपनी पठन-पाठन की जिज्ञासाओं को साझा करके उन जिज्ञासाओं के समाधान भी विशेषज्ञ शिक्षकों से प्राप्त कर सकें।

2. प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी - शिक्षक अपने द्वारा किए गए नवाचारों को साझा कर सकते है। अध्यापन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर विशेषज्ञ शिक्षकों से समाधान प्राप्त कर सकते है। पठन-पाठन हेतु विषय मान से उपलब्ध पठन-पाठन सामग्री, वीडियो इत्यादि का उपयोग कर अपने पठन-पाठन को अधिक प्रभावी बना सकते है।

5.5 परीक्षा परिणाम विश्लेषण

बोर्ड परीक्षाओं का विश्लेषण कर 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों की दक्षताओं के आकलन हेतु माह जून एवं अक्टूबर में परीक्षा का आयोजन किया गया। लगभग 6,215 शिक्षकों की दक्षताओं का आकलन कर उनकी दक्षताओं में सुधार के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराया गया। अक्टूबर माह की परीक्षा में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों में से स्कूल शिक्षा विभाग के 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई तथा 20 शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय जॉच आरंभ की गई है।

जिन स्कूलों के परीक्षा परिणाम विगत वर्षो में कमजोर थे वहां वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए रविवार एवं अवकाश के दिवसों में भी अतिरिक्त कक्षाएं लगाई गई।

5.6 एकीकृत शासकीय शालाएं -एक परिसर एक शाला

प्रदेश में 80,807 शासकीय प्राथमिक शालाएं, 30,228 शासकीय माध्यमिक शालाएं, 4,987 हाईस्कूल, 4,271 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल है। इन शालाओं में से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 57,555 प्राथमिक, 23,274 माध्यमिक, 3,787 हाईस्कूल एवं 3,292 हायरसेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं। एक परिसर एक शाला के अंतर्गत 35,113 केम्पस शालाओं को 16,644 शालाओं में एकीकृत किया गया है इससे शालाओं का स्वरूप परिवर्तित हुआ है तथा विद्यार्थियों का कक्षा 5 से 6 एवं 8 से 9 में आसानी से अंतरण हो सका। उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होने लगा। मल्टीग्रेड टीचिंग 35 प्रतिशत से घटकर ईपीईएस स्कूलो में 21 प्रतिशत हो गया। सीएसी को सपोर्ट देने हेतु शालाओं की संख्या औसत रूप से 23 से घटकर 19 हो गया। प्रति स्कूल शिक्षकों की संख्या 3.4 से बढकर 7.4 हो गई।

5.7 सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन

परीक्षा के दबाव में चलते बडी संख्यात में विदयार्थियों की आत्महत्या की समस्या को देखते हुए इस समस्या के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर कक्षा 9 से 12 तक बाल सभा आधारित सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन गतिविधियां प्रारंभ करने तथा उसके लिए 20 अंक दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

इस योजना के अंतर्गत लगभग दस हजार प्राचार्य एवं कक्षा शिक्षकों को सीधे प्रशिक्षण दिया गया है।

सी.सी.एल.ई. गतिविधियों के संचालन से विद्यार्थियों में सहयोग, सृजनात्मकता और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा गायन, नृत्य, दृश्य कलाओं और नाटक आदि पहलुओं से उनमें सौन्दर्यात्मक और वैयक्तिक चेतना को भी प्रोत्साहन मिला है जिससे कि वे विविध रूपों में खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते है। निरंतर संवाद, सामूहिक गतिविधियों तथा प्रतियोगिताओं के चलते विद्यार्थियों तथा उनके माता पिता पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी कम हुआ है तथा विद्यार्थी सफलता अथवा विफलता को स्वीकार कर पाते है तथा जीवन में समय समय पर आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हो पा रहे है।

उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रदेश के विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को प्रथम तीन कालखंड़ों में सतत और व्यापक मूल्यांकन हेतु गतिविधि संचालित की जाती है।

5.8 एक्सपोजर विजिट

गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अकाद्मिक प्रक्रियाओं में सुधार आवश्यक है। इस दृष्टि से विभागीय अधिकारियों, प्राचार्यों और शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट कराई गई। इसके अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उत्कृष्टता के आधार पर चयनित निजी विद्यालयों का भ्रमण करवाकर उनकी अकादमिक प्रक्रियाओं का अवलोकन कराया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली के शासकीय स्कूलों और नोएडा स्थित महामाया स्कूल का भ्रमण कराया गया। इसके अलावा 56 शिक्षकों को बैंगलूरू विश्वेशरैया म्यूजियम के भ्रमण हेतु भेजा गया, जहां विज्ञान विषय की सभी अवधारणाओं को प्रायोगिक रूप से दर्शाया गया है। इसी प्रकार 50 शिक्षकों को कोलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन इत्यादि शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी स्थलों का भ्रमण करवाया गया है। संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए आईआईएम, लखनऊ में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

विभागीय अधिकारियों और प्राचार्यों को शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे नवाचारों से परिचित कराने के लिए विभाग द्वारा कोरिया डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट के सहयोग से सिओल, साऊथ कोरिया में 03 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें विभिन्न अकादमिक प्रक्रियाओं, आईसीटी के उपयोग, पैडालॉजी तकनीकों, अन्तर्राष्ट्रीय असेसमेंट टेस्ट PISA आदि का ओरियंटेशन प्रदान किया गया और विभिन्न रिसर्च और डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट का भ्रमण कराया गया। 05 दलों में कुल 169 प्रतिभागी इस प्रशिक्षण में शामिल हुए।

5.9 स्टीम कॉन्क्लेव

साउथ कोरिया में हुए प्रशिक्षण के दौरान स्टीम शिक्षा पद्धत्ति (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथमेटिक्स में आर्टस अर्थात कला समूह के विभिन्न विषयों को समाहित करते हुए आर्ट इंटिग्रेटेड स्टेम एज्युकेशन) का ओरियंटेशन प्राप्त हुआ। स्टीम शिक्षा पद्धत्ति को मध्य प्रदेश में भी लागू करने के विजन से विभाग द्वारा दिनांक 30 और 31 अक्टूबर को दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव "मध्य प्रदेश स्टीम कॉन्क्लेव 2019 - क्राफटिंग द् फ्यूचर विथ स्टीम करीकुलम" का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्कॉलर, रिसर्चर, शिक्षाविद, शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए। विभाग द्वारा प्रथम चरण में 1ए500 स्कूलों को स्टीम स्कूलों के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। इनमें से स्टीम लैब्स भी स्थापित की जाएंगी।

5.10 मीडिया कार्यशाला

विभागीय गतिविधियों, प्रयासो एवं उपलब्धियों को जनसामान्य के मध्य बहुविस्तारित करने की दृष्टि से दिनांक 27 नवम्बर 2019 को राजधानी भोपाल में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। संभवतः यह प्रथम प्रयास था जिसमें विभाग के माननीय मंत्री एवं शीर्ष अधिकारियों ने कार्यशाला के रूप में संचार मित्रों के साथ विभागीय जानकारिया साझा की इस कार्यशाला में विभागीय गतिविधियों को संचार मित्रों के साथ न केवल साझा किया गया वरन मीडिया के साथियों ने स्वयं भी स्टीम पद्धति की शिक्षण गतिविधियों को कार्यशाला में स्वयं भी कर के देखा और समझा। कार्यशाला में विभाग की मैदानी गतिविधियों और उपलब्धि भी केस स्टडी के रूप में संचार मित्रों के साथ साझा किया गया।

5.11 कॉपी चैकिंग अभियान

विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे गृहकार्य एवं कक्षा की नियमित जाँच एवं त्रुटि सुधार शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

शालाओं के पर्यवेक्षण से स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के कई शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के अभ्यास कार्य अभ्यास पुस्तिकाओं (कॉपियों) की जॉच गम्भीरता से नहीं की जाकर केवल सही या ग़लत के निशान अंकित कर की जा रही है। विद्यार्थियों की कॉपियों पर त्रुटि का चिन्हांकन कर सुधरात्मक निर्देश भी अंकित नही किए जा रहें हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा 06 दिसम्बर 2019 से राज्य स्तर के सभी मॉनिटरिंगकर्ता के माध्यम से कॉपी चैकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। कॉपियों की चैकिंग का महत्व सभी शिक्षकों को बताया गया तथा विद्यार्थियों के अभ्यास कार्य में सुधार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 139 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी गई तथा 1000 शिक्षकों का वेतन काटने तथा सख्त चेतावनी देकर भविष्य में कॉपियों की चैकिंग तथा त्रुटि सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

5.12 PTM / अभिभावक शिक्षक बैठक

शिक्षण व्यवस्था में अभिभावकों एवं सामुदायिक सहभागिता की दृष्टि से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में, प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन प्रारंभ किया गया। प्रथमतः 2 फरवरी को एवं तदनुपंरात 19 अक्टूबर 2019 को प्रदेश की लगभग 1 लाख 20 हजार शालाओं में इन बैठकों का आयोजन किया गया। जिनमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया।

शिक्षकों के प्रयासों को, पालकों के सहयोग से ही मूर्त रुप दिया जा सकता है। अतः इन बैठकों में, अभिभावकों को उनके बच्चों की स्टूडेन्ट वर्कबुक पर चर्चाकर, शैक्षणिक स्तर की जानकारी प्रदान की गई। शाला के अकादमिक मुद्दों से पालकों को अवगत कराते हुए उनके बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु, अभिभावकों को प्रेरित किया गया। बच्चे की शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी भी इन बैठकों में पालकों को प्रदान की गई। इस दौरान कक्षा शिक्षकों के द्वारा सभी पालकों से उनके बच्चों के संबंध में व्यक्तिगत चर्चा भी की गई। जिसके तहत, प्रमुखतः विद्यार्थी की एण्डलाइन टेस्ट/अर्धवार्षिक परीक्षा/प्रतिभा पर्व की कॉपियों और स्टूडेन्ट वर्कबुक पर चर्चा कर, पालकों को शाला में संचालित होने वाली निदानात्मक (रेमेडियल) कक्षाओं की जानकारी प्रदान की गई।

भाग - छः

6 प्रकाशन

6 प्रकाशन

6.1 लोक शिक्षण

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख गतिविधियों के संग्रहण एवं संदर्भीकरण की दृष्टि से निम्नानुसार प्रकाशन किये गये : -

(1) शैक्षणिक कलेण्डर -

प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र के दौरान निर्धारित शिक्षण दिवसों में पाठ्यक्रम का शिक्षण पूर्ण हो इस उद्देश्य से शैक्षणिक कलेण्डर का प्रकाशन किया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षण के अतिरिक्त अन्य सहायक गतिविधियों के संचालन व उसमें एकरूपता की दृष्टि से भी यह कलेण्डर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस वर्ष प्रदेश के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक , जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक तथा हाईस्कूल तथा हायरसेकेण्डरी के लगभग 7000 प्राचार्य को प्रशिक्षण दिया गया।

(2) बालरंग स्मारिका -

वार्षिक बाल रंग कार्यक्रम के पश्चात बालरंग स्मारिका का प्रकाशन किया जाता है। स्मारिका के बालरंग कार्यक्रम की झलकियों के साथ साथ अन्य भागीदार प्रदेशों के बार में रोचक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

6.2 राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य स्तरीय बाल पत्रिका 'गुल्लक'

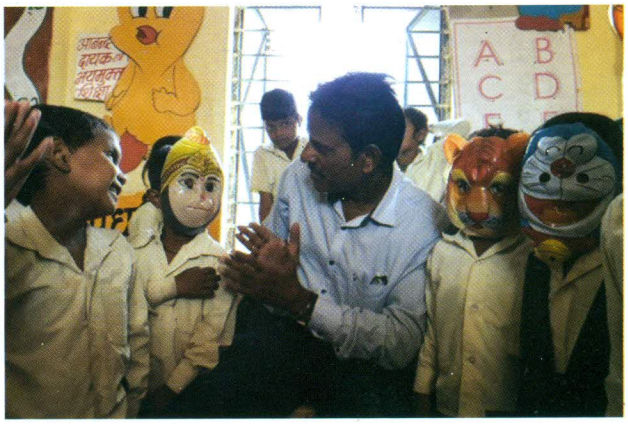

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सत्र 2018-19 से बच्चों की पत्रिका 'गुल्लक' प्रकाशित की जा रही है। पत्रिका का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने व लिखने की प्रवृत्ति का विकास करना है। राज्य की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली बालसभा में माह के प्रथम शनिवार को अन्य सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों के साथ कविता लेखन, कहानी लेखन, यात्रा-वृतान्त लेखन आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों से बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई रचनाओं को शाला स्तर पर संकलित करते हुए शाला स्तर से तीन रचनाओं को चयनित कर विकासखएड स्तर पर भेजा जाता है। शाला स्तर पर शेष रचनाओं को 'शाला पत्रिका' के रूप में संधारित कर पुस्तकालय का हिस्सा बनाया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर प्राप्त बच्चों की रचनाओं को विकासखण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण कर तीन श्रेष्ठ रचनाओं को जिला स्तर पर डाईट/डी.आर.सी. को प्रेषित किया जाता है। जिला स्तर पर प्राप्त रचनाओं का जिला स्तरीय अकादमिक समिति परीक्षण कर प्रत्येक जिले से तीन श्रेष्ठ रचना चयनित कर राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराई जाती हैं। जिला स्तर पर प्राप्त रचनाओं में से शेष रचनाओं का वार्षिक पत्रिका के रूप में जिले की बाल पत्रिका 'नवांकुर' के नाम से प्रकाशित की जाती है, जिसे जिले के समस्त शालाओं तक भेजा जाता है।

राज्य स्तर पर प्राप्त रचनाओं को संपादन उपरान्त मासिक पत्रिका 'गुल्लक' का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में प्राप्त रचनाओं का बाल रचनाकार के नाम के साथ ही प्रकाशित किया जाता है। पत्रिका के नियमित प्रकाशन से बच्चों में उनकी रचनाओं के प्रकाशन से स्वाभाविक रूप से पढ़ने व लिखने के प्रति रूचि जागृत की जा रही है साथ ही बच्चों में अभिव्यक्ति का कौशल भी विकसित किया जा रहा है।

6.3 एनसीसी संचालनालय

प्रतिवर्ष एनसीसी जनरल का प्रकाशन किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान संपादित एनसीसी गतिविधियों इत्यादि का विवरण दर्शाया जाता है। वर्ष 2019 में एनसीसी जनरल का 55वां संस्करण 'युवास्पंदन' नाम से प्रकाशित किया गया।

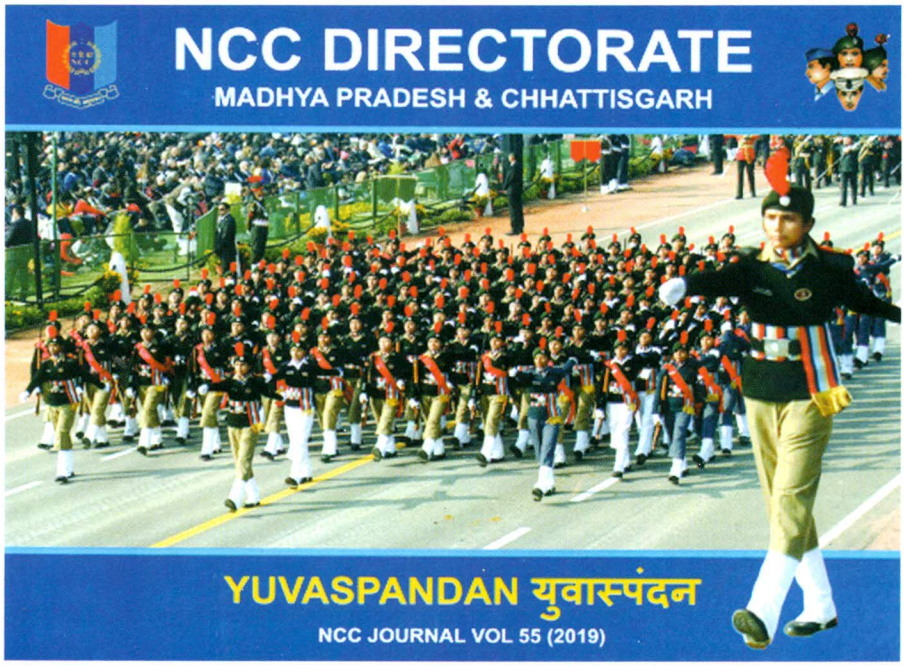

6.4 बालचर रवि मासिक पत्रिका -

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की आदर्श पत्रिका "बालचर रवि" अपने अन्दर उन सभी बातों को समाहित करती है जिनसे बालक-बालिका, युवक-युवती एवं समाज के विभिन्न वर्गो की जानकारी गागर में सागर की तरह परिलक्षित करती है । प्रदेश के विभिन्न अंचलों के स्काउट एवं गाइड के समाचार समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लेख, विचार, कहानी, रचनाऐं, विद्यार्थियों के विकास एवं रोजगार की जानकारी देने के लिये कैरियर गाइडेन्स, स्वास्थ्य चर्चा, खेलकूद सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, महापुरूषों की जीवनी, रहस्यमय एवं रोमांचकारी घटनाएं प्रश्नोत्तरी, दिमागी पहेली, प्रेरक प्रसंग, सामान्य ज्ञान की जानकारियॉ, देशभक्ति एवं मनोंरंजक कवितायें तथा नवीनतम, पठनीय एवं ज्ञानवर्द्धक जानकारियॉ "बालचर रवि" में निरंतर प्रकाशित की जा रही है ।

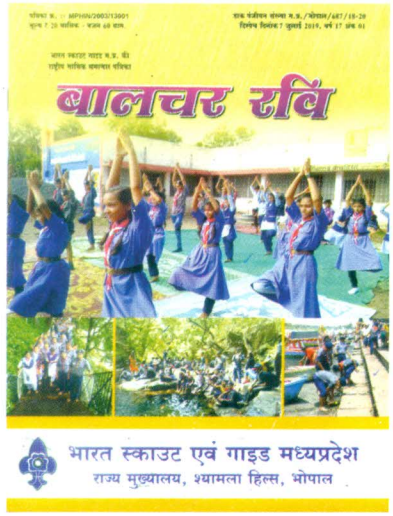

शत् हस्त् समाहर, सहस्त्रहस्त सं किरं

सौ हाथों से कमा, हजार हाथों से दान कर ।

यह पत्रिका प्रदेश के स्कूलों में बच्चों, शिक्षकों, जिला तथा प्रदेश के अधिकारियों, समाज सेवी, व्यवसायियों, राजनेताओं तथा अन्य प्रदेशों के पदाधिकारियों को नियमित रूप से भेजी जाती है।

फोटो गैलेरी : विभागीय गतिविधियाँ कैमरे की नजर से

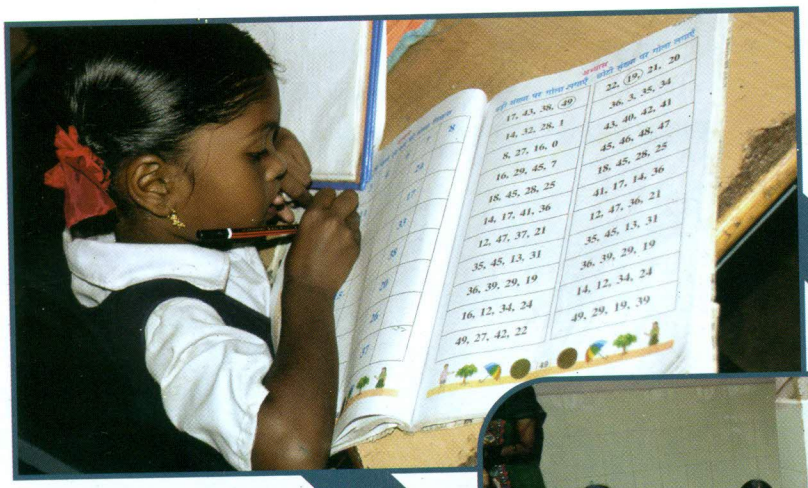

दक्षता उन्नयन की वर्कबुक में ध्यान मग्न बालिका

राष्ट्रीय पर्व की तैयारी

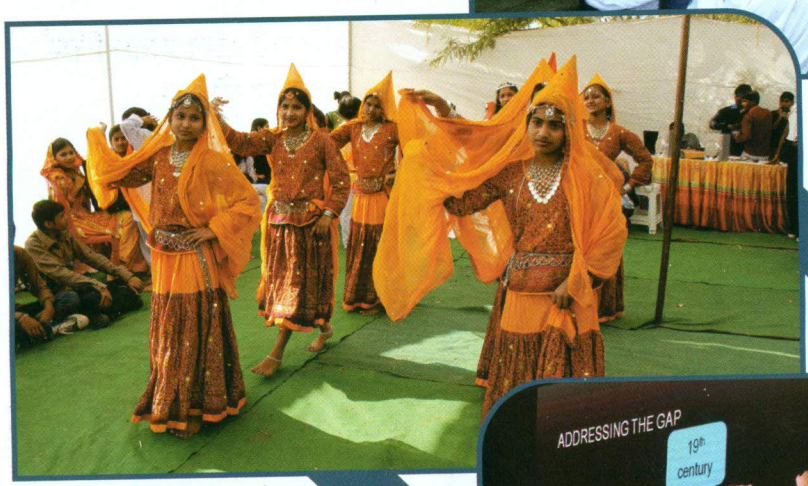

सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन

STEAM कॉनक्लेव को सम्बोधित करती विशेषज्ञ

निःशुल्क सायकल
का उपहार

नौनिहाल की
कक्षा

मस्ती भरी खेल गतिविधियाँ
(सर्वांगीण विकास)

समूह अध्ययन

कृषि विज्ञान प्रदर्शनी

शाला प्रबंधन समिति की बैठक

कला संगीत का सहशिक्षण

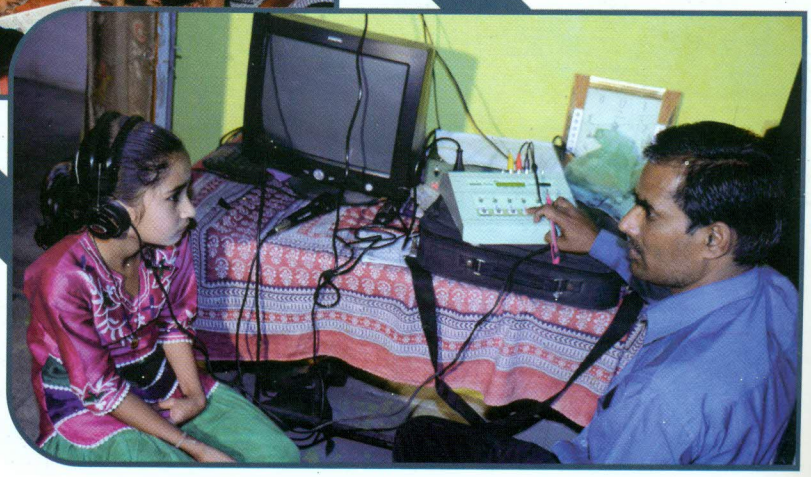

दिव्यांग बच्चों का विशेष परीक्षण

पत्र लेखन की
व्यवहारिक शिक्षा

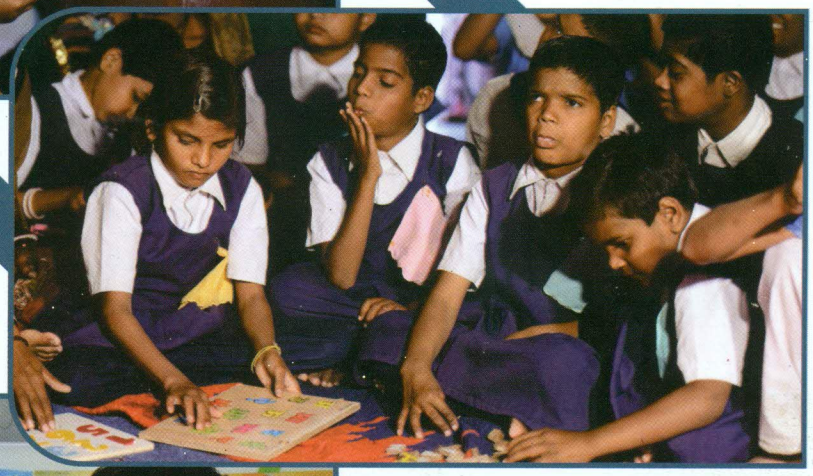

दिव्यांग विद्यार्थी
शिक्षण पथ पर

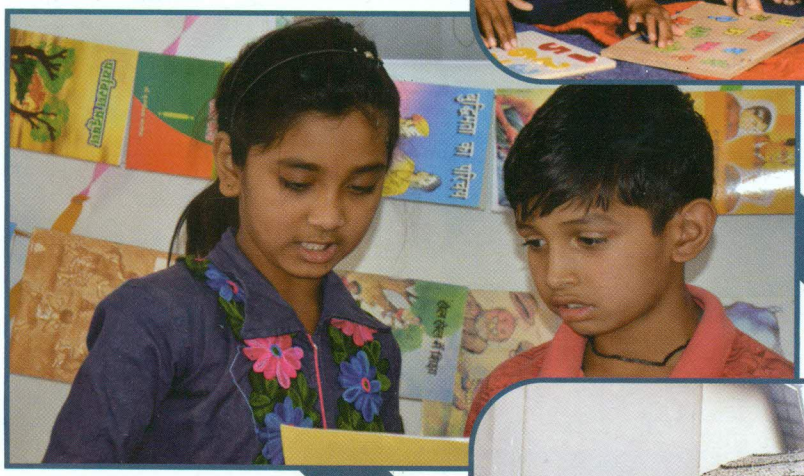

"पुस्तकालय"
पुस्तकों से दोस्ती

ग्रीष्म शिविर में
जिलों के विजेता विद्यार्थी

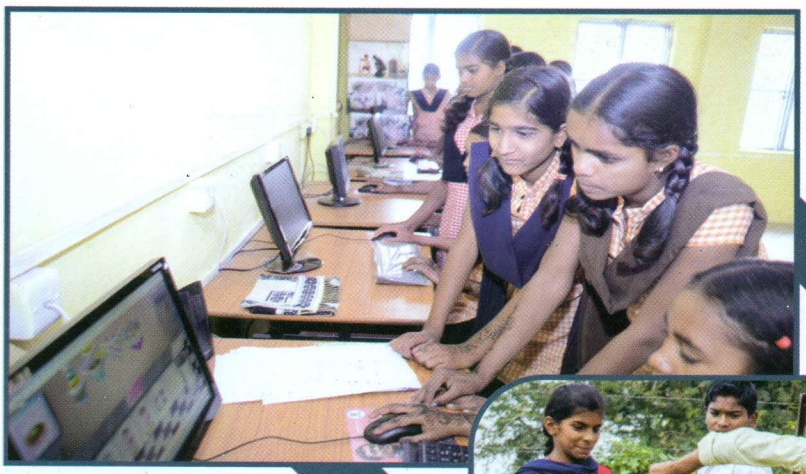

छात्रावास में
कम्प्यूटर शिक्षा

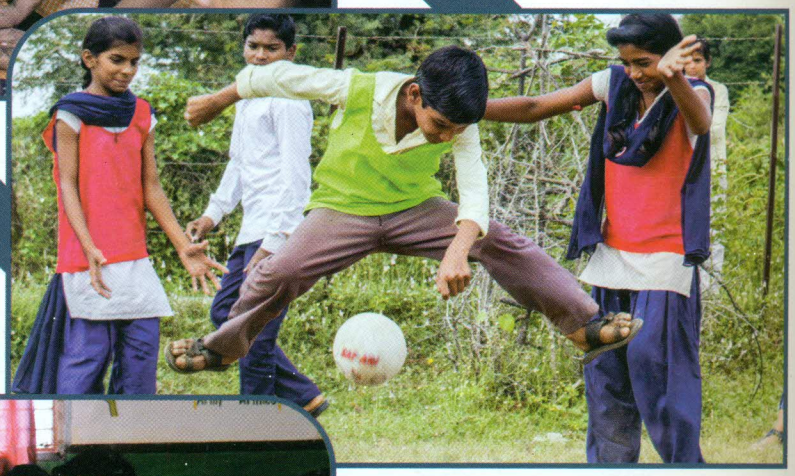

S_4D, Sports for
Development
(स्पोर्ट्स फॉर डेव्हलपमेन्ट)

बालक छात्रावास में
सांस्कृतिक अभ्यास

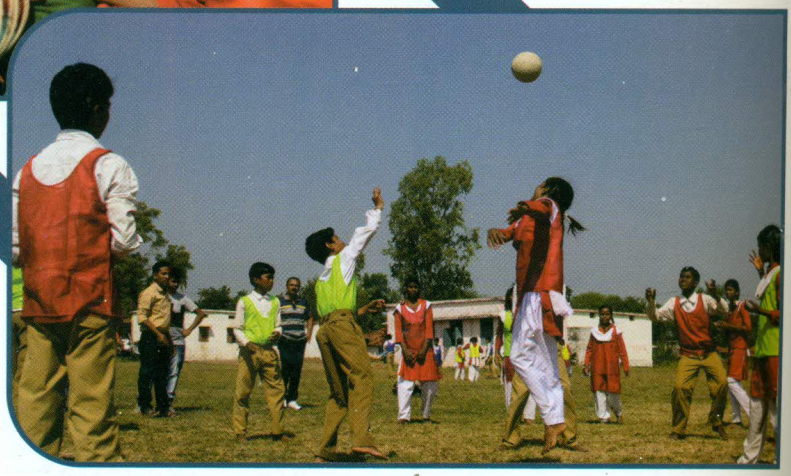

S_4D
(स्पोर्ट्स फॉर डेव्हलपमेन्ट)

शिक्षक दिवस
सम्मान समारोह

राष्ट्रीय बालरंग 2019

राष्ट्रीय बालरंग 2019

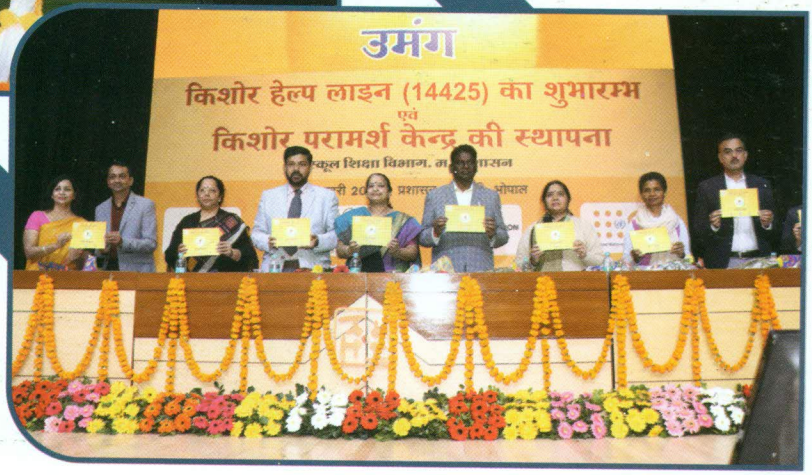

उमंग हेल्पलाईन और
परामर्श केन्द्र का
शुभारम्भ

राज्य स्तरीय
कहानी उत्सव

संभागीय समीक्षा
(ग्वालियर)

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के
तहत जम्मू और कश्मीर के
विद्यार्थी राजधानी के शासकीय
सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में

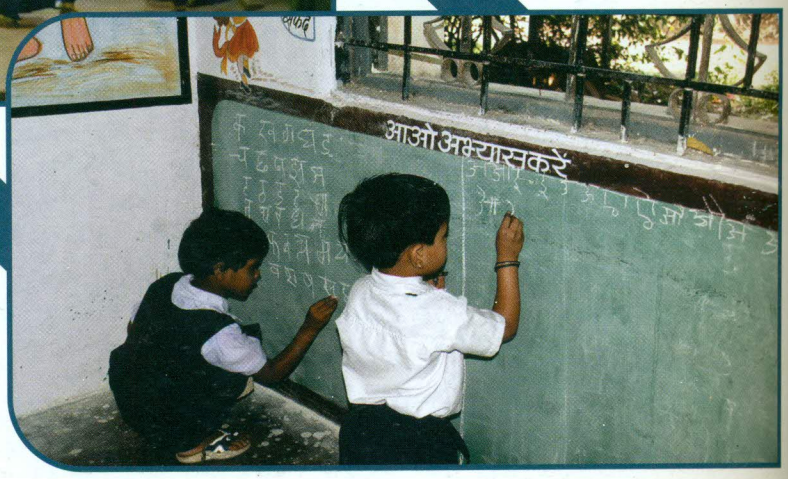

आओ अभ्यास
करें

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश माध्यम/2020
मेहता ग्राफिक्स एण्ड प्रिंटर्स, इन्दौर